विधानसभा में

बिरंची नारायण

(खण्ड-2)

2015

शीतकालीन सत्र

2016

• बजट सत्र • मानसून सत्र

• शीतकालीन सत्र

संपादक

डॉ. विष्णु राजगढ़िया

संकलन

दीपेश निराला

प्रस्तुति

झारखण्ड फाउंडेशन

विधानसभा में बिरंची नारायण
(खण्ड-2)

जनवरी 2017

संपादक
डॉ. विष्णु राजगढ़िया

संकलन
दीपेश निराला

प्रस्तुति
Jharkhand Foundation
Ranchi

प्रकाशक
गुलमोहर पब्लिकेशन

ISBN - 978-81-909745-9-2

मुद्रक
कैलाश पेपर कन्वर्शन प्रा. लि., रांची

मूल्य : **250/-**

वैधानिक सूचना - इस पुस्तक की सामग्री सामान्य जानकारी मात्र हेतु प्रस्तुत की गयी है। किसी उपयोग हेतु विधानसभा के आधिकारिक दस्तावेजों से पुष्टि अवश्य कर ली जाए।

भाषा संबंधी स्पष्टीकरण - इस पुस्तक में सदन में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर, चर्चा, वक्तव्य इत्यादि की मूल रूप से प्रस्तुति की गई है। इसके कारण व्याकरण संबंधी कतिपय त्रुटियों को सुधारा नहीं गया है।

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

झारखण्ड सरकार

प्रोजेक्ट भवन
धुर्वा, रांची

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित झारखंड विधानसभा के सदस्य श्री बिरंची नारायण की पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। इसमें उनके द्वारा झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत प्रश्नों तथा सरकार के जवाब एवं चर्चा के साथ ही बजट चर्चा आदि का संकलन किया गया है। इसके लिए साधुवाद और बधाई।

झारखंड विधानसभा के गठन के सोलह वर्षों में माननीय सदस्यों द्वारा जनहित के विषयों को लगातार सदन के समक्ष लाया जाता रहा है। उन पर चर्चा के माध्यम से राज्य के विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते रहे हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों पर विधायी कार्यों का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। माननीय सदस्यों के विधायी कार्यों का समुचित संकलन और दस्तावेजीकरण करना कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। किंतु सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों अथवा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ऐसा कार्य करना एक विशिष्ट उपलब्धि के साथ–साथ प्रेरक प्रसंग भी है।

इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर श्री बिरंची नारायण सहित बोकारो विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के साथ ही पूरे प्रदेश की जनता को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं।

(रघुवर दास)

दिनेश उराँव
अध्यक्ष
झारखण्ड विधानसभा
रांची

सत्यमेव जयते

अध्यक्षीय कार्यालय :
दूरभाष : 0651-2440400 (का.)
फैक्स : 0651-2441712
मोबाइल : 094311-16277
आवासीय कार्यालय :
दूरभाष : 0651-2281884
फैक्स : 0651-2284046

संदेश

हमारे देश में जनप्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर नागरिकों की आकांक्षाओं तथा देश, राज्य, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों पर चिंतन–मनन और चर्चा का दायित्व होता है। इसके जरिये सुशासन की स्थापना होती है।

विधानसभा ऐसे दायित्व के निर्वहन का केंद्रबिंदु है। सदन के सत्र के माध्यम से नागरिकों के हित के प्रश्नों को सामने लाया जाता है। लिहाजा, नागरिकों का अधिकार है कि उनके चयनित प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इसकी समुचित जानकारी मिले।

मुझे प्रसन्नता है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण द्वारा झारखंड विधानसभा में लाये गये प्रश्नों, उन पर सरकार के जवाब एवं चर्चा के साथ ही बजट चर्चा इत्यादि की भी जानकारी देते हुए एक पुस्तक का संकलन किया गया है। अभी इसके द्वितीय खण्ड का प्रकाशन हो रहा है। मुझे आशा है कि बिरंची जी के इस प्रयोग से राज्य में लोकतंत्र के प्रति नागरिकों की आस्था बढ़ेगी।

श्री बिरंची नारायण एवं राज्य के समस्त नागरिकों को शुभकामना।

28.12.16
(दिनेश उराँव)

भारतीय जनता पार्टी
झारखण्ड प्रदेश

लक्ष्मण गिलुआ
प्रदेश अध्यक्ष
सह
सांसद, चाईबासा

कार्यालय :
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन,
एम-7, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची
दूरभाष : 0651-2246377

संदेश

झारखंड विधानसभा में बोकारो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर मिलने के उपरांत श्री बिरंची नारायण द्वारा अपने कार्यों के संबंध में पुस्तक का प्रकाशन काफी सुखद है। लोकतंत्र में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके जनप्रतिनिधि सदन में किस तरह के सवाल कर रहे हैं और सरकार के द्वारा उस पर क्या जवाब दिये गए हैं। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण इसी पारदर्शिता का एक उदाहरण है।

युवा विधायक श्री बिरंची नारायण ने पहले भी विधानसभा में अपने सवालों का संकलन प्रस्तुत किया था। अब इसका दूसरा खंड भी प्रकाशित किया जाना हर्ष का विषय है। मैं झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें इस नये प्रयोग के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आशा है कि भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को जागरूक करने का यह प्रयास काफी सफल होगा। ''सबका साथ–सबका विकास'' के नारे को साकार करने में ऐसे प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार फिर से बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(लक्ष्मण गिलुवा)

परस्पर पूरक हों जनप्रतिनिधि और नागरिक

– डॉ. विष्णु राजगढ़िया

बिरंची जी की पुस्तक के दूसरे खण्ड का संपादन भी मेरे लिए सुखद अनुभव है। बिरंची नारायण से पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। बारह जनवरी 2002 की बात है। उस वक्त मैं धनबाद में प्रभात खबर का स्थानीय संपादक था। देर शाम एक विज्ञप्ति से पता चला कि नौजवानों का एक जत्था तोपचांची से मनियाडीह होकर टुंडी तक तीन दिन की पदयात्रा पर है। रात्रि–विश्राम उग्रवाद प्रभावित इलाके में रखा गया था। मुझे भरोसा नहीं हुआ। लगा कि यह सब महज प्रचार है। देर शाम सब अपने घर लौट जाएंगे।

असलियत समझने देर रात हम लुसाडीह स्थित शिविर पहुंचे। देखकर हैरानी हुई कि बड़ी संख्या में नौजवान वहां जुटे थे। बिरंची जी ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इन नौजवानों के उत्साह ने इतना प्रभावित किया कि इनके द्वारा गोद लिये गये मनियाडीह का हमने कई बार दौरा किया और उस पर खूब लिखा।

अब, विधानसभा सदस्य बनने के बाद बिरंची नारायण ने सदन में सवालों और प्रस्तुति में एक अलग छाप छोड़ी है। इस बात की चर्चा हर जगह है। उनके सहयोगी दीपेश निराला ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर तथा चर्चा वगैरह का अच्छा संकलन किया है। जब बिरंची जी ने यह सामग्री दिखाते हुए पुस्तक प्रकाशन की इच्छा जतायी तो मुझे अच्छा लगा। परिणाम के तौर पर यह पुस्तक आपके हाथ में है।

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को पढ़ने–लिखने के ही काम का असल दायित्व है। लेकिन इस काम के सिवाय तमाम काम उनसे कराये जाते हैं। पढ़ाई–लिखाई कोई नहीं पूछता। जबकि नागरिकों का एक समूह अपने क्षेत्र और पूरे राज्य के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों की सदन में भूमिका पर नजर रखे तो सूरत बदल सकती है। जनप्रतिनिधियों के जिन सवालों का सरकार ने गोलमटोल जवाब दिया, उन पर सूचना के अधिकार से पूरे दस्तावेज निकाले जा सकते हैं। सरकार के आश्वासनों के कियान्वयन की सूचना मांगी जा सकती है। इन सूचनाओं के आधार पर जनप्रतिनिधि पुनः सदन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस तरह जनप्रतिनिधि और जागरूक नागरिक परस्पर पूरक हो सकते हैं। इस समन्वय से लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाना संभव है।

इस आयाम को विस्तार देने में यह पुस्तक सहायक हो, यही कामना है।

आपकी जानकारी के लिए दूसरा खंड

- बिरंची नारायण

झारखंड विधानसभा में मेरे कार्य पर पुस्तक का दूसरा खंड आपकी जानकारी के लिए सादर प्रस्तुत है। मैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र तथा राज्य के नागरिकों का आभारी हूँ जिन्होंने यह अवसर दिया। प्रारंभ से ही राजनीति से जुड़ाव के कारण संसद और विधानसभाओं की कार्यवाहियों में दिलचस्पी रही है। अक्सर मैंने पाया कि आम नागरिकों तक यह बात नहीं पहुंच पाती है कि उनके जनप्रतिनिधि आखिर सदन में क्या कर रहे हैं। जिन मामलों में सदन में कोई हंगामा हो, उसकी जानकारी तो फिर भी मिल जाती है। जबकि हर दिन जनहित में आये प्रश्नों, उनके उत्तर और उस पर चर्चा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

यही कारण है मैंने सदन में अपने कार्यों को नागरिकों तक पहुँचाने के लिए अक्टूबर 2015 में पुस्तक का प्रथम खंड प्रकाशित कराया। उस पर नागरिकों की सकारात्मक टिप्पणी के आलोक में अब दूसरा खंड प्रस्तुत है। डॉ. विष्णु राजगढ़िया ने पुनः पुस्तक के संपादन का आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए आभार।

मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास तथा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष प्रो. दिनेश उराँव का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। उनका संदेश मेरे लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद है।

विधानसभा में अब तक के कार्यकाल में मैंने महसूस किया कि कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और राज्य के सवालों को सामने लाने का दायित्व बखूबी निभा सके, इसके लिए नागरिकों के साथ निरंतर संवाद आवश्यक है। मैंने बोकारो और रांची आवास में ऐसी व्यवस्था की जिससे कोई भी कार्यकर्ता या नागरिक सुझाव दे सके। यह कोशिश जारी रहेगी। जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए यह संवाद जरूरी है। यह पुस्तक ऐसे संवाद की बुनियाद रखेगी, ऐसी परिकल्पना है।

मुझे नागरिकों ने जो दायित्व दिया, उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। सदन में जो कर सका, वह पुनः आपके सामने है। सबको आभार**!**

शीतकालीन–सत्र 2015

16.12.2015 - 22.12.2015

अल्पसूचित प्रश्न

बसों में सुरक्षा मानक

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 36 / 16.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में संचालित हो रहे अधिकतर निजी बसों में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही दरवाजा बस में विद्यमान है;	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 125 (ग) के अनुसार बसों के बॉडी निर्माण BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन AIS: 052:2001 के अनुसार करना है। AIS: 052:2001 के अनुसार दो नगरों को जोड़ने वाले बसों (परिवहन वाहन) में सवारी के लिए यथा-नन डीलक्स बस, सेमी डीलक्स, डीलक्स तथा ए.सी. डीलक्स बसों में एक ही दरवाजे का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त बसों में इमरजेंसी डोर तक उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण यदि कोई दुर्घटना हो तो बस से बाहर निकलने हेतु मात्र एक ही दरवाजा बस में उपलब्ध होता है;	अस्वीकारात्मक। बसों के केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियमों के अनुरूप आपातकालीन निकास रहते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त निजी बसों में नियमानुसार यात्रियों हेतु उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है एवं उपरोक्त परिस्थिति में यदि कोई घटना घटित हो तो कई यात्री हताहत हो सकते हैं;	सवारी गाड़ी के लिए प्रत्येक वर्ष दुरूस्ती प्रमाण लेना अनिवार्य है। दुरूस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पूर्व वाहनों की भौतिक जाँच की जाती है। सभी शर्त्त पूरी करने पर ही दुरूस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य भर के ऐसे निजी बसों को चिन्हित कर उनमें प्रवेश द्वार, निकास द्वार और इमरजेंसी डोर की व्यवस्था कर यात्रियों हेतु बसों में समस्त बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989, एवं झारखण्ड मोटरवाहन नियमावली की सुसंगत धाराओं एवं नियमों के आलोक में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जाता है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय यह मेरा जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज जो सड़क पर बसें चल रही हैं उनमें आधे से ज्यादा ऐसी बसें हैं जिनमें ड्राईवर के गेट के अलावा एक गेट सिर्फ रहता है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नियम के हिसाब से भी यह सही नहीं है। मैंने एक सवाल किया था कि जो मानक है उस मानक के अनुसार भी ध्यान नहीं रखा जाता है और उसे फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। नियम है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे और पीछे छह इंच चौड़ी पट्टी पूरी लंबाई में रडियम वाली पट्टी रहनी चाहिए। लेकिन कहीं किसी बस में देखने को नहीं मिलता है। इसलिये मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जो सुरक्षा के मानक हैं रात में अगर हम जाते हैं तो जो रेडियम पट्टी लगी रहती है वह दूर से ही चमकता है और दिखाई पड़ता है और यह समझ में आता है कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो सुरक्षा मानक हैं उनको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए सरकार को।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य के आग्रह को हम स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष : मापदंड के अनुरूप जो परमिट दिया जायेगा उसी के आधार पर होगा।

श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय वैसे जो उत्तर दिया गया है उससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। इसके अंतर्गत सारे मानक दिये गये हैं। इन्होंने एक आग्रह किया है कि रेडियम चौड़ी पट्टी की बात की है तो इसका हमलोग देखते हैं कि मानक के अंतर्गत् यदि आता है तो निश्चित रूप से यह निर्देश जायेगा और उसे करना अनिवार्य बना दिया जायेगा।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय एक आग्रह और है कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने से पहले यह ध्यान रखा जाय कि बैक लाईट जलता नहीं है और फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है यह क्यों मिल जाता है। कोई-कोई गाड़ी में आठ-आठ, दस-दस लाईट लग जाता है क्यों लग जाता है। इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष : विभाग की ओर से जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनको एक निर्देश चला जाय कि मापदंड के अनुकूल ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाय और रोड परमिट दिया जाय। इसमें क्या दिक्कत है।

चास में सिवरेज सिस्टम

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 35/16.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला स्थित गरगा नदी का जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे वहाँ के नागरिकों को दूषित जल का उपयोग करने को बाध्य होना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चास में समुचित सिवरेज सिस्टम के अभाव में प्रायः सभी गंदा नाला का जल गरगा नदी में ही गिरता है, जिसके कारण गरगा नदी का जल प्रदूषित होता जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चास नगर में विस्तृत पैमाने पर समुचित सिवरेज सिस्टम बनाने और गरगा नदी के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नदी, तो क्यों ?	चास नगर निगम क्षेत्र में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु मेसर्स Tata Consultancy Engineering (TCE) को सर्वेक्षण एवं अन्यान्य कार्य करने हेतु सरकार के स्तर से आदेश दिया गया है। कार्य प्रगति पर है तथा परामर्शी द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

बकाया जलकर की वसूली

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 56/17.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की बोकारो स्टील प्लांट, डी.भी.सी. आदि कम्पनियों के ऊपर जल कर मद के अंतर्गत करोड़ो रूपये की राशि बकाया है;	स्वीकारात्मक।

2	क्या यह बात सही है कि उक्त जल कर के बकाया होने से सरकार को लगभग 2680 करोड़ रूपये की राजस्व की हानि हो रही है;	विभिन्न कंपनियों द्वारा सरकार को वाटर टैरिफ का भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप लगभग 2931.39 करोड़ रूपये राजस्व की क्षति हो रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कंपनियों से बकाया पड़ी राशि की वसूली करने एवं इस कार्य हेतु दोषी कंपनियों और जवाबदेह पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बकायेदार में से आठ सौ वैसी कम्पनियाँ है, जिनके विरूद्ध 754.05 करोड़ रूपये का बकाया है। इनके विरूद्ध वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई करने पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों के तीव्र निष्पादन हेतु प्रयास किये जा रहे है। शेष राशि TVNL, CTPS, BIADA, दक्षिणी पूर्व रेलवे तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विरूद्ध लंबित है। इस संस्थानों के साथ निकट भविष्य में एक बैठक आयोजित कर समाधान निकालने का प्रयास किया जायेगा।

माप तौल निरीक्षकों की नियुक्ति

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 40 / 17.12.2015		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य भर में केवल 7 माप तौल निरीक्षक ही पदस्थापित हैं; जिनके भरोसे 24 जिलों के माप तौल उपकरणों की जाँच इत्यादि कार्य सम्पादित हो रहे हैं;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 8 माप तौल निरीक्षक पदस्थापित है, जिसमें सात कार्यरत तथा एक निलंबित है।

2	क्या यह बात सही है कि माप तौल निरीक्षकों की कमी के वजह से जनता परेशान व प्रताड़ित हो रही है और व्यापारियों को समय पर नो क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नही मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक। माप तौल निरीक्षकों की कमी से निरीक्षक माप तौल अत्यधिक कार्यभार से ग्रसित है फिर भी व्यापारियों के माप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन का कार्य समय पर किया जाता है तथा किसी भी जनता को जानबूझ कर परेशान व प्रताड़ित नहीं किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि एक माप तौल निरीक्षक के जिम्मे कई जिलों का प्रभार रहने के कारण समय पर माप तौल उपकरणों की जाँच नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक। माप तौल निरीक्षकों का सत्यापन एवं मुहरांकन की अवधि सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित उस वर्ष का त्रैमास होता है। अतः कोई भी व्यापारी अगले वर्ष के संबंधित त्रैमास अर्थात तीन महीने के अवधि के अंतर्गत अपने माप तौल उपकरण का सत्यापन करा सकता है, जो व्यापारी सत्यापन प्रमाण पत्र में अंकित त्रैमास के अवधि के अंदर निरीक्षक माप एवं तौल के कार्यालय में आता है, उनके माप तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन नियमानुसार किया जाता है। माप तौल निरीक्षक के जिम्मे कई जिलों का प्रभार रहने के बावजूद भी समय पर माप तौल उपकरणों की जाँच की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त माप तौल निरीक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निरीक्षक माप एवं तौल के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु एवं प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्त पद का रोस्टर क्लीयरेंस करा लिया गया है तथा सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

रीविजनल सर्वे करवा कर खतियान निर्माण

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 31 / 18.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वर्ष-1932 के बाद से अब तक जमीनों का रीविजनल सर्वे नहीं हुआ है और न ही खतियान का निर्माण हो पाया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में 1932 के बाद बंदोबस्त कार्यालय राँची, धनबाद, पलामू, दुमका, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में पड़ने वाले जिलों के अंतर्गत अंचलों में रिविजनल सर्वे का कार्य चल रहा है तथा नये खतियान का निर्माण हो रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक 30 वर्षो बाद जमीनों का रिविजनल सर्वे करवा कर खतियान निर्माण करने का नियम है, परन्तु झारखण्ड में यह कार्य वर्ष-1932 के बाद से अबतक लंबित है;	स्वीकारात्मक। नियमानुसार अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह (15) वर्षो की कलावधि की समाप्ति के बाद रिसर्वे (पुनरीक्षण सर्वे) कराया जाना है।
3	क्या यह बात सही है कि पुराने खतियान, कंटीन्यूअस खतियान एवं ग्राम मानचित्र में दर्शाये गए मानक चिन्हों का अस्तित्व वर्त्तमान समय में मिटता जा रहा है, जिससे लोगों के बीच भूमि विवाद बढ़ रहा है और सरकारी कर्मियों, अमीनों को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीनों का नियमानुसार रिविजनल सर्वे करवा कर नये खतियान और ग्राम मानचित्र बनवाने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य में स्थापित छः बंदोबस्त कार्यालयों के अंतर्गत रिविजनल सर्वे, नये खतियान एवं भू-मानचित्र बनाने का कार्य भी चल रहा है।

जी.एम. लैण्ड का निबंधन और दाखिल खारिज

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 34 / 18.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की वैसी गैर मजरूआ (जी.एम.) जमीन जो अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों व राजाओं द्वारा निबंधित डीड के माध्यम से निजी रैयतों को बंदोबस्त की गई थी, को आज निबंधन कार्यालय द्वारा बिक्री हेतु निबंधन नहीं किया जा रहा है ?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य की वैसी गैरमजरूआ जमीन (जी.एम.) जो भूतपूर्व जमींदारों एवं राजाओं द्वारा विधिवत् निबंधित डीड के माध्यम से निजी रैयतों को बंदोबस्त की गई थी तथा जिसका जमाबंदी कायम है तथा भूमि पर दखल-कब्जा बरकरार है। वैसी जमीन का निबंधन कार्यालय द्वारा विक्रय हेतु निबंधन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 के आलोक में ऐसी जमीनों का दाखिल खारिज भी अंचल कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ?	अस्वीकारात्मक। विधिवत् बंदोबस्त भूमि का क्रय-विक्रय के बाद दाखिल-खारिज अंचल कार्यालय द्वारा किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 के आलोक में ऐसी जमीनों जिनका मालगुजारी रसीद अंग्रेजी शासनकाल से लेकर अब तक कट रहा है, को सरकार रैयती जमीन मानती है ?	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीनों का निबंधन और दाखिल खारिज नियमानुसार फिर से शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

खतियान की बाध्यता समाप्त करना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 03/21.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के नागरिकों को नियोजन हेतु स्थानीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि बनवाने के लिए खतियान का होना अनिवार्य किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बगैर खतियान के अंचल कार्यालय नागरिकों को नियोजन हेतु उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, केवल शैक्षणिक कार्य हेतु ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वैसे नागरिक भी नियोजन हेतु उक्त प्रमाण-पत्र पाने से वंचित किये जा रहे हैं, जो रिविजनल सर्वे से पूर्व से ही झारखण्ड में रह रहें है, और भूमिहीन है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शैक्षिक कार्य हेतु निर्गत हो रहे प्रमाण पत्रों की तर्ज पर नियोजन कार्य हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने में खतियान की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियोजन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रमाण पत्र के प्रयोजन एवं आवेदक के संबंद्ध जिले का निवासी होना सुनिश्चित किया जाता है और पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइट्स इत्यादि में आवेदक या उसके पूर्वजों के नाम से जमीन, वासगीत आदित के उल्लेख के जांचोरांत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने तथा उसके पहचान की क्राइटेरिया निर्धारण का एक मामला सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है।

बोकारो के राज्य कर्मियों को समतुल्य एचआरए एवं टीए

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 06/21.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राँची, जमशेदपुर और धनबाद की तुलना में बोकारो जिला के समस्त राज्य सरकार के कर्मियों को House Rent और Transporting Allowance की राशि कम भुगतान की जा रही है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 6जी PRC के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार के कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए House Rent और Transporting Allowance की राशि अनुमान्य की गई थी।
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बोकारो जिला में कार्यरत कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के समतुल्य श्रेणी में रख कर एक समान की House Rent और Transporting Allowance की राशि का भुगतान किया जा रहा है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या - 2/5/2014 E.II (B)] दिनांक 21.07.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से बोकारो स्टील सिटी (UA) को Y City के रूप में वर्गीकृत करते हुए आवास किराया भत्ता Y City के अनुरूप अनुमान्य किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या -21(2)/2015-E. II(B)] दिनांक 06.08.2015 द्वारा दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से कतिपय शहरों का Transporting Allowance की राशि को संशोधित किया गया है। उक्त पत्रांक में बोकारो स्टील सिटी के लिए Transporting Allowance की राशि को संशोधित नहीं किया गया है।

03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के तर्ज पर बोकारो जिला के समस्त कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के कर्मियों के समतुल्य House Rent और Transporting Allowance की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार के तर्ज पर बोकारो जिला के समस्त कर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के कर्मियों के समतुल्य House Rent की राशि अनुमान्य करने के बिन्दु पर राजकोष पर पड़ने वाले व्यय के विस्तृत समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

कृत कार्रवाई

उक्त प्रश्न के आलोक में झारखण्ड सरकार की कैबिनेट ने 16.01.2017 को बोकारो के भी राज्यकर्मियों को राँची, जमशेदपुर और धनबाद के राज्यकर्मियों को केन्द्र के समतुल्य मिल रहे HRA एवं TA देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार अब बोकारो में कार्यरत राज्यकर्मियों को Y श्रेणी शहर के समतुल्य HRA एवं TA प्राप्त होगा।

नदियों को प्रदूषण मुक्त कराना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 08 / 22.12.2015		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में विभिन्न नदियों के किनारे कई बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित हैं ?	स्वीकारात्मक है
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कल-करखानों से निकलने वाले कचड़े से नदियों में लगातार गाद (अलगी कचड़ा) जमा हो रहा है, और नदी की तलहटी ऊँची होती जा रही है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। इस तरह के मामले मुख्यतया दामोदर नदी के किनारे प्रतिवेदित है।
3	क्या यह बात सही है कि कई कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट (कचड़े) को बिना ट्रीटमेंट किये ही उक्त नदियों के जल में प्रवाहित किया जा रहा है ?	दामोदर नदी के किनारे मुख्य रूप में थर्मल पावर प्लान्ट, कोल वाशरी, स्टील प्लान्ट इत्यादि अवस्थित है। कोल वाशरी का औद्योगिक बहिस्राव बन्द परिपथ में रखा जाता है।

		थर्मल पावर प्लान्ट से उत्पन्न स्लरी युक्त बहिस्राव के सेटलिंग हेतु सेटलिंग पौण्ड स्थापित है परन्तु कुछ औद्योगिक इकाईयों यथा, मेसर्स तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन एवं मेसर्स पतरातु थर्मल पावर स्टेशन के ऐश पौण्ड में सेटलिंग के पश्चात् किये गये बहिस्राव में निलम्बित ठोस (टोटल सस्पेन्डेड सोलिड) की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी कंपनियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं नदियों को इस गाद और प्रदूषण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	मेसर्स तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को कारण पृच्छा कर बहिस्राव की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अधीन रखने हेतु निर्देश दिया गया है। उपरोक्त इकाई द्वारा तेनुघाट जलाशय में प्रवाहित किए जाने वाले अवशिष्ट की जाँच हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पत्रांक-डी0-3197 दिनांक 14.12.2015 द्वारा संयुक्त दल का गठन किया गया है और जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेसर्स पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को कारण पृच्छा कर शून्य बहिस्राव तथा ड्राय फ्लाई ऐश कलेक्शन सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्य योजना समर्पित करने का निदेश दिया गया था, सम्प्रति प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप इकाई को सी0टी0ओ0 अभी तक निर्गत नहीं किया गया है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल कल कारखानों से निकलने वाले कचड़े के नदी में गिरने के बाद जो प्रदूषण पैदा होता है उससे संबंधित है। धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया है। हमारे बोकारो जिला में बोकारो स्टील प्लांट से जो कचड़ा निकलता है वह बिल्कुल लाल रंग का कचड़ा निकलता है महोदय। पिपराटांड और कुंडोरी के बीच में एक नाला है और दुखद स्थिति यह है कि उस नाले में उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के जो चार-पांच गांव की आबादी पानी के अभाव में वहां नहाते हैं और चर्म रोग के शिकार होते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब मेरे बोकारो सहित राज्य भर में जहां भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं अध्यक्ष महोदय जो कल-कारखानों से कचड़े निकलते हैं और विभिन्न नदी नालों में जाते हैं। इससे जो प्रदूषण पैदा हो रहा है उसे अविलंब रोकना चाहिए। क्योंकि इससे जानमाल की काफी हानि होती है। मुझे कुछ और बात कहनी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय आ गया है। अब आप पूरक पूछिये।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय मैं पूरक पूछता हूँ। सरकार ने जो जवाब दिया है मैं भी उससे आंशिक रूप से ही संतुष्ट हूँ। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है। मेरा आग्रह है सिर्फ इतना ही है। हम सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सरकार दोषी और लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से पोलूशन कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार माननीय रघुवर दास जी की ईमानदार सरकार है और यह नियमसम्मत काम करना चाहती है और कर भी रही है। मैंने जब कार्रवाई की बात उठायी है तो इन्होंने लिखा है कि पत्रांक - डी-3197, दिनांक 14.12.2015 द्वारा संयुक्त दल का गठन किया गया है और जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। आगे लिखा है कि समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। मैं पूछता हूँ कि कार्रवाई करने के लिये क्या विधान-सभा में सवाल उठाना पड़ेगा तभी कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय आ गया है। माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री रणधीर कुमार सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन लाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी के किनारे मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट, कोल वाशरी, स्टील प्लांट इत्यादि अवस्थित हैं। कोल वाशरी का औद्योगिक बहिस्राव बंद परिपथ में रखा जाता है। थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न स्लरी युक्त बहिस्राव के सेटलिंग हेतु सेटलिंग पौण्ड स्थापित है। परंतु कुछ औद्योगिक इकाईयों मेसर्स तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन एवं मेसर्स पतरातु थर्मल पावर स्टेशन के ऐश पौण्ड में सेटलिंग के पश्चात्

किये गये बहिस्राव में निलंबित ठोस की मात्रा मानक से अधिक पायी गई है। मेसर्स पतरातु थर्मल पावर स्टेशन को कारण पृच्छा कर शून्य बहिस्राव तथा ड्राय फलाई ऐश कलेक्शन सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्य योजना समर्पित करने का निदेश दिया गया था, सम्प्रति प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप पतरातु थर्मल पावर स्टेशन को सी0टी0ओ0 अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। दिनांक 14.12.2015 के आधार पर कमिटी की गठन किया गया है। कमिटी को जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया है। समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी जैसे ही रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर हमलोग कार्रवाई करेंगे और माननीय सदस्य श्री बिरंची जी ने जो सुझाव दिया है उस पर निश्चित रूप से आनेवाले समय में कार्रवाई करेंगे।

.....

श्री रणधीर कुमार सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूँ और देखवा कर आगे इसमें सुधार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हम करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिरंची नारायण जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं ?

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि बोकारो स्टील प्लांट से जो आज के दिन में जल के माध्यम से जो कचरा निकल रहा है इसमें सरकार अविलम्ब निर्देशित करे कि बोकारो स्टील प्लांट में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उस पानी को शुद्ध करके नाले में बहाए ताकि वहाँ के ग्रामीणों को कोई तकलीफ न हो।

.....महोदय, मैं कह रहा था कि ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाकर उस पानी को शुद्ध करके नाले में बहाए ताकि वहाँ के ग्रामीणों को तकलीफ न हो, इसके लिए बोकारो प्लांट को एक चिट्ठी जाए। दूसरा विषय है अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार वैसे प्रदूषित उपक्रमों को चिन्हित करते हुए कोई टास्क फोर्स का गठन करेगी ताकि इस राज्य को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रणधीर कुमार सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अधिकतर माननीय सदस्य का महत्वपूर्ण सुझाव आया है और मैं भी इसको बहुत ही गंभीर मामला मानता हूँ इसलिए इसे सरकार गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में इस पर एक कमिटी गठित करके आगे की कार्रवाई ली जाएगी।

डॉ. कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 11/22.12.2015		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो एवं औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, करीब आधा दर्जन थर्मल प्लांट, कोल वाशरी एवं अनेकों छोटे-बड़े कल-करखाना स्थापित है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय का अभाव है, जिस कारण विद्यार्थियों को समुचित तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिला में स्व0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम से एक तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का अधिसूचना अधिसूचित कर दिया गया है। इसके लिए भवन निर्माण हेतु नामकुम में भूमि चिन्हित है। भवन निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति योजना प्रधिकृत समिति द्वारा किया जाना है। 2. राज्य में दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने हेतु सरकार का निर्णय नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा नियमावली

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या - 2401 : 22.12.2015

श्री बिरंची नारायण की ध्यानाकर्षण सूचना : वर्त्तमान सरकार राज्य को उच्च शिक्षा का हब बनाने की मंशा रखती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय का आगमन इसी कड़ी में देखा जा सकता है। मैं राज्य के पांच विश्वविद्यालय की संरचनात्मक स्थिति एवं इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वर्त्तमान हालात पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मापदण्ड के आधार पर कार्यरत हैं, आवश्यकता है कि इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को (UGC) के नियमानुसार पी.एच.डी. वेतनवृद्धि भुगतान, पांचवें एवं छठे वेतनमान की अंतर राशि का भुगतान एवं राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम का सामान्य रूप से लागू किया जाय।

झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप से न होने के कारण राज्य के मात्र दो ही विश्वविद्यालयों में चार वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसरों को ए.जी.पी. 7000 रूपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि अन्य तीन विश्वविद्यालय में इसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है, राँची विश्वविद्यालय भी इनमें से एक है।

अतएव उक्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी पी.एच.डी. वेतनवृद्धि भुगतान, पांचवे एवं छठे वेतनमान की अंतर राशि का भुगतान, ए.जी.पी. का भुगतान एवं विश्वविद्यालय सेवा तथा प्रोन्नति नियमावली का गठन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सरकार का जवाब : विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. के प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या - 356, दिनांक - 13/11/2001 द्वारा पंचम पुनरीक्षित वेतनमान एवं संकल्प संख्या - 1188, दिनांक - 20/11/2010 तथा संकल्प संख्या - 26, दिनांक - 08/01/2011 के द्वारा छठा यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है।

उक्त संकल्प के आलोक में पंचम पुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 01/01/1996 से 31/03/2000 का बकाया वेतनांतर की 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में विमुक्त राशि राज्य के विश्वविद्यालय को विमुक्त की गयी है। पुनः इसी मद में विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय अधियाचना की गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राशि

की मांग हेतु कार्रवाई की जा रही है। छठा यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-01/01/2006 से 01/04/2010 के बकाया वेतनांतर की राशि का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में केन्द्रांश की राशि का 34 प्रतिशत प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। विश्वविद्यालय से विहित प्रपत्र में अधियाचना एवं प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग की जाएगी। तत्पश्चात प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति की जा सकेगी।

यू.जी.सी. के प्रावधान के अनुसार दिनांक 01/01/2006 के पूर्व पी0एच0डी0 योग्यताधारी शिक्षकों को पी.एच.डी. वेतनवृद्धि का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01/01/2006 के बाद पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षकों के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विभागीय संकल्प संख्या -1188 दिनांक 20.11.2010 की कंडिका- 7 एवं 8 में शिक्षकों को उच्चतर ग्रेड-पे का प्रावधान अंकित है, जो यू.जी.सी. के निर्धारित मापदण्डों एवं शर्त्तो के अनुकूल दिया जाना है। उक्त संकल्प की कंडिका -16 के अनुसार वर्ष 2008 के बाद यू.जी.सी. के नए रेगुलेशन 30.06.2010 के तहत ही शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। इस हेतु CAS (Career Advancements Scheme) के नए Status के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा : 22.12.2015

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, हमारी जिज्ञासा इस बात से थी कि राज्य की सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के मापदण्ड के आधार पर कार्यरत है। आवश्यकता है कि इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. के नियमानुसार पी.एच.डी. वेतनमान भुगतान पांचवे एवं छठे वेतनमान की अंतर राशि का भुगतान एवं राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम का सामान्य रूप से लागू किया जाय।

अध्यक्ष : माननीय विभागीय मंत्री जी।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं। उनको यू0जी0सी0 के प्रावधान के आलोक में ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या - 356, दिनांक 13.11.2001 द्वारा पंचम पुनरीक्षित वेतनमान एवं संकल्प संख्या - 1188, दिनांक - 20.11.2010 तथा संकल्प संख्या - 26 दिनांक 08.01.2011 के द्वारा छठा यू.जी.सी. पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है और जो भी इसमें पंचम पुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक - 01.01.1996 से 31.03.2000 का बकाया वेतनांतर है, 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है और बाकी केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में विमुक्त राशि राज्य के विश्वविद्यालयों को विमुक्त भी कर दी गयी है।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, पांचवे एवं छठे पे रिविजन से उत्पन्न अंतर राशि का भुगतान राज्य में मात्र 34 प्रतिशत हुआ है अभी तक। जबकि बिहार, यू.पी., महाराष्ट्र, एम.पी. समेत देश के सभी राज्यों में यह भुगतान सौ प्रतिशत हो गया है। मैं और थोड़ा आगे बताना चाह रहा हूँ। विनोवा भावे और सिद्धू-कान्हु विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष तीन अन्य विश्वविद्यालय कोल्हान, नीलाम्बर-पीताम्बर यहां तक की जो रांची यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इस राज्य की। वहां भी महोदय समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। महोदय, पी.एच.डी. वेतन वृद्धि का भुगतान वर्ष 2013 से झारखण्ड में सभी यूनिवर्सिटी में रोक दी गयी है। जबकि बिहार, महाराष्ट्र, यू.पी. सहित देश के अन्य राज्यों में पी.एच.डी. वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है। महोदय, प्रोन्नति से जुड़ी नियमावली एच.आर.डी. के अधीन वर्षों से प्रक्रियाधीन है। महोदय, मैं आपका ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूं कि राज्य की रूसा है। राज्य उच्चतर शिक्षा अभियान उसका भी गठन इस राज्य में अभी तक नहीं हो पाया है। सिन्डीकेट में जो मनोनयन है, वो मनोनयन भी लगभग एक वर्ष हो गया है, लटका हुआ है। महोदय, जैक में भी जो मनोनयन होना चाहिए। वो मनोनयन भी अभी नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यें मांग करता हूं कि मानव संसाधन विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ये बहुत महत्व का सवाल भी है। अविलंब सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे ताकि जो शिक्षा की खामियां हैं, जो अंतर है, जो यू.जी.सी. का मापदण्ड है। उसके हिसाब से चीजें सम्पादित हो।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिन्ता बिल्कुल जायज है। लेकिन उसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो बताया गया है कि केन्द्रांश की राशि का 34 प्रतिशत प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है और बाकी जो विश्वविद्यालय से विहित प्रपत्र में अधियाचना और प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण प्रतिपूर्ति की मांग नहीं की गई थी, अब की गयी है और जहां तक उनके चिन्ता के बारे में बता दूँ कि यू.जी.सी. के मार्गदर्शन के आलोक में Status Amendment के पश्चात ही यह लाभ सभी विश्वविद्यालयों को देने हेतु निर्देश दिया जायेगा और जो जैक के बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया में है। हमको लगता है कि वह बहुत जल्द हो जायेगा। वह बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। सिनेट, सिंडिकेट के मेम्बरों की समय पूर्ण हो गयी है, वह नवम्बर में ही पूर्ण हुआ है। दिसम्बर में यहां सदन में हैं। इसके बाद जल्दी से प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या जो दो यूनिवर्सिटी बिनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय में वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनको जो सुविधा मिल रही है, वह राँची यूनिवर्सिटी, निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय एवं कोल्हान विश्वविद्यालय को मिलेगी या नहीं ? मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इसमें एकरूपता नहीं है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल एकरूपता नहीं है।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालयों में बिना विभागीय आदेश के दिया जा रहा है। यह जाँच का विषय है। इनका जब तक यू.जी.सी. के मार्गदर्शन के आलोक में अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक इसको हमलोग नहीं कर सकते हैं।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह तो और गंभीर सवाल है कि अगर बगैर यू.जी.सी. के मापदण्ड के हो रहा है तो क्यों हो रहा है ?

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जाँच का विषय है।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, सरकार इसकी जाँच कराये। सरकार किस माध्यम से जाँच करायेगी ? इसको कौन जाँच करेगा ? महोदय, सदन जानना चाह रही है।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : महोदय, सरकार जाँच करेगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक विषय पी0एच0डी0 वाला का इंक्रीमेंट है, आपको भी याद होगा। आसन भी उससे आहत है। इसलिए आहत है कि मुझे याद है कि पिछले मानसून सत्र में हमने कहा था तो यह विषय आया था और उसमें सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि हमलोग इसको एक सप्ताह में अंदर कर लेंगे। मानसून सत्र बीते हुए कितना दिन हो गये, उस पर हम कॉमेन्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सरकार और विभाग इस विषय को गंभीरता से देखे कि आखिर मामला कहाँ पर फंस रहा है। या तो पदाधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है या विभागीय मंत्री और पदाधिकारियों में कोंडिनेशन की कमी है। इसलिए इस विषय को देखिये। अगर सदन में कोई विषय आता है तो सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। इस विषय पर मुझे लगता है कि सदन में आसन बहुत चिंतित है। आसन इस पर कितना नियमन दे ? इस बात पर खुद ही विभाग को विचार करना चाहिए। अब दूसरा चीज क्या है कि जो भी विषय है, उनका विषय सही है कि सिनेट, सिंडिकेट, आप तो माननीय मंत्री जी कह दिये कि एक साल, लेकिन एक साल एक्सटेंशन में चला और उसका यूनिवर्सिटी एक्ट कहता है कि एक साल तक उसको रख सकते हैं, लेकिन एक साल के बाद स्वतः पूर्णतः समाप्त हो जायेगा। उस प्रियेड भी समाप्त हो गया। आपका ग्रेस प्रियेड भी समाप्त हो गया। यह विषय आना चाहिए। जैक के संदर्भ में हैं कि जैक का जो विषय है, उसको हमलोग देख ही रहे हैं। अब इस पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो भी विषय है उसमें एकरूपता होना चाहिए। यह विषय को आप देख लीजिये।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको ध्यानाकर्षण समिति में भेजा जाय।

अध्यक्ष : हो गया, छोड़ दीजिये।

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल

स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल दिनांक 21.12.2015		
क्र	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य में विभिन्न सरकारी आपूर्ति एवं निर्माण संबंधी कार्यों में स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई नियम नहीं होने के कारण बाहर की कंपनियाँ ज्यादातर काम ले लेती है, इसके कारण स्थानीय उद्यम एवं व्यवसाय को फलने-फूलने का अवसर नहीं मिल रहा और रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर बाहर की कंपनियों द्वारा वैट और सर्विस टैक्स के मद में राशि का लाभ भी राज्य को नहीं मिल पाता है। सर्विस टैक्स का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है। बाहर की कंपनियाँ अन्य राज्यों में सर्विस टैक्स जमा करती है, जिसके कारण यह हिस्सा अन्य राज्यों को मिल जाता है, जबकि अन्य राज्यों में स्थानीय कंपनियों को सरकारी काम में प्राथमिकता देने का प्रावधान रहता है। अतः क्या मा0 मुख्यमंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या राज्य सरकार स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन और प्राथमिकता देने संबंधी कोई नियम लाना चाहती है, ताकि स्थानीय उद्यम एवं व्यवसाय को अधिक अवसर मिले। रोजगार के अवसर बढ़े और राज्य सरकार को वैट एवं सर्विस टैक्स के मद में समुचित लाभ मिल सके।	झारखण्ड प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी 2014 की कंडिका - 4(a) में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमियों तथा अन्य उद्यमियों के लिए उत्पादन कार्य के लिए सरकारी विभागों निकायों, प्राधिकारों तथा सहकारी संस्थाओं के द्वारा उत्पादन पर क्रय में प्राथमिकता दी गयी है। झारखण्ड प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी 2014 में सरकारी विभागों, प्रतिष्ठान एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जो भी उत्पादन एवं सेवाएं क्रय की जायेगी। उस वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली पूरी सामग्री में से 20 प्रतिशत राज्य में अवस्थित उत्पादन करने वाली इकाईयों से क्रय करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ प्रयास रहेगा कि राज्य में उत्पाद एवं सेवाओं के लिए राज्य में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों से लिया जायेगा। बशर्ते उनकी गुणवत्ता एवं सापेक्ष मूल्य उच्च कोटि, अच्छी श्रेणी की एवं उचित दर पर हो। उपर्युक्त वर्णित 20 प्रतिशत को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों में से 20 प्रतिशत ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों से क्रय करने करने का प्रावधान है जिन ईकाइयों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा चालाया जा रहा हो।

गैर सरकारी संकल्प

बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों पर उच्च स्तरीय कमिटि

गैर सरकारी संकल्प संख्या - 2030 : 22.12.2015

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि : ''वह बोकारो में स्टील प्लांट तथा अन्य कार्यों हेतु जमीन अधिग्रहण के कारण लगभग पचास साल पहले से अब तक विस्थापित किये गए लगभग पाँच हजार से अधिक विस्थापित परिवारों द्वारा नौकरी पुनर्वास एवं मुआवजे की लगातार मांग की जा रही है। उक्त वस्तुस्थिति की जाँच करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटि का गठन हो, जिसमें बोकारो के उपायुक्त, डी.पी.एल.आर. बोकारो स्टील प्लांट के सी.ई.ओ., विधायक, सांसद एवं प्रमुख विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो तथा कमिटि एवं निश्चित समय सीमा के अंदर विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए एक सार्थक पहल करावें।''

सरकार का जवाब :

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बोकारो इस्पात संयत्र से प्रभावित विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में भी श्री उमाकांत रजक, स.वि.स. के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव - 02/2012 के आलोक में विधान-सभा की विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति के द्वारा पूरे विस्थापित क्षेत्रों का भ्रमण का समय-समय पर कई बैठके कर विधान सभा को विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2013 को सौंपी गयी है। वर्तमान में विस्थापितों के नौकरी, मुआवजा एवं पुनर्वास से संबंधित प्रतिवेदन निम्न हैं -

नियोजन - बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्थापितों के लिए चतुर्थ वर्ग का पद आरक्षित था, और बी.एस.एल. प्रबंधन द्वारा इसी आधार पर नियुक्ति की जाती थी। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की वार्ड संख्या - एस.एल.पी. (सी.) 1415/2007 से उद्भुत सिविल अपील संख्या - 1778/2008 में दिनांक - 05.03.2008 को पारित आदेश - ''.....it is now high time to put an end to the litigation. It is an admitted fact that the project was completed way back in 1966 and even after more than 40 years of the completion of the project, people whose land was acquired for the purpose of the project are still litigating for getting employment. This is not all warranted. At the relevant time, the intention of the govt was to rehabilitate the landless people whose lands had been acquired and to provide employment to one member of the displaced family so that they could maintain the

family so displaced. It was not at all the intention of the government to distribute this kind of largesse on an indefinite basis……." के आलोक में विस्थापितों के आरक्षित पदों पर बी.एस.एल. द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई बंद है। बी.एस.एल. के अनुसार विस्थापितों को नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाना है। उल्लेखनीय है कि दस हजार से अधिक विस्थापितों के नियोजन का मामला बी.एस. एल. को निष्पादित किया जाना है।

पुनर्वास की स्थिति :- बोकारो इस्पात संयंत्र से प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु 19 ग्रामों में भूमि चिन्हित की गयी है, जिसके अंतर्गत 2078 एकड़ भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि पर 5342 विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका है, और 4407 विस्थापित जो अभी तक अर्जित गृह प्रखंड पर ही बसे हुए हैं, उन्हें हटाकर पुनर्वास क्षेत्रों में बसाया जाना है। ये विस्थापित पुनः वर्तमान दर पर मुआवजा, नियोजन आदि मांगों को लेकर अपने अर्जित गृह प्रखंड को खाली करना नहीं चाहते हैं।

मुआवजा :- पूर्व में सभी हितसंबद्ध रैयतो को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। विस्थापित किसी कारणवश मुआवजा का भुगतान नहीं ले सके, उक्त राशि को आर.डी. शीर्ष में जमा कर दिया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के वाद संख्या - WP (C)NO. 4031/2011 में पारित आदेश के आलोक में भू-अर्जन अधिनियम की संशोधन धारा - 28। के तहत निदेशालय, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो की कार्यालय में प्राप्त 10312 वादों में मुआवजा राशि के भुगतान की कार्रवाई विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा की जा रही है। अभी तक 3664 वादों में कुल - 27,00,87,995.00 (सताईस करोड़ सतासी हजार नौ पंचानवे रूपया) राशि का भुगतान संबंधित रैयतों के आश्रितों को किया जा चुका है।

अतएव इस कार्य के लिए अलग से समिति गठन की आवश्यकता नहीं है।

उक्त गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा : 22.12.2015

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिरंची जी, आपका जो उत्तर आया है उस पर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बिरंची नारायण जी : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बोकारो स्टील प्लांट बने 50 साल से ज्यादा हो गया। जिन उद्देश्यों को लेकर जमीन को विस्थापित भाईयों ने दिया था, वो आज भी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारा विस्थापित क्षेत्र दो भागों में बंटा है। उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र। दोनों ही विस्थापित क्षेत्र का जीवन नारकीय है। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न स्वास्थ्य की सुविधा है। बी.एस.एल. प्रबंधन सीएसआर का राशि, जो उनके मुनाफे की 2 प्रतिशत राशि उनको खर्च करनी चाहिए, वो राशि भी उन क्षेत्रों में नहीं कर रही

है। महोदय, स्थिति ये है कि 20 से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जो न तो ग्राम पंचायत में हैं, न तो शहरी क्षेत्र में हैं। वहाँ पर बीएसएल भी कोई ध्यान नहीं देता है। कोई पैसा वहाँ पर खर्च नहीं करता है। उन ग्रामीण क्षेत्रों का दुर्भाग्य यह है कि बोकारो जिला के ग्रामीण विकास विभाग का भी पैसा खर्च नहीं होता है। महोदय, आखिर वहाँ के लोग करें तो क्या करें। वहाँ की स्थिति बहुत ही दुखद है। 34 हजार एकड़ के आसपास जमीन बीएसएल प्रबंधन ने विस्थापित भाईयों से लिया था और लगभग मात्र 8 हजार एकड़ जमीन का उपयोग किया। बाकी जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। महोदय, चूंकि जो भारत सरकार का एक्ट है, भारत सरकार की विस्थापन नीति है, वह कहती है कि जो जमीन एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर उपयोग में नहीं आया, तो उसे विस्थापितों को वापस कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि अविलम्ब विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार पहल करे। क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां के विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार एक समिति का गठन करे।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण जी का जो अभिस्ताव है बोकारो के विस्थापितों के बारे में, उसका पूरा उत्तर तीन खण्डों में दिया गया है। इसमें जिक्र है कि इसी विधान सभा के अंदर 2012 में माननीय सदस्य श्री उमा कान्त रजक जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसका रिपोर्ट भी विधान सभा को मिला है। उसी प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है। अभी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का भी पारित एक आदेश है। उसी के अनुसार 10,312 वादों में मुआवजा राशि की भुगतान की कार्रवाई विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा की जा रही है। अभी तक 3664 वादों में कुल 27 करोड़ 87 हजार 995 रूपये राशि का भुगतान संबंधित रैयतों के आश्रितों को किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से जो पुनर्वास की स्थिति है वो भी इसके अंदर दिया गया है कि 2078 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है 19 ग्रामों में, उसपर 5 हजार 342 (पाँच हजार तीन सौ बयालिस) विस्थापितों को वहाँ पर बसाया जा चुका है और 4 हजार 407 विस्थापित पहले से ही अर्जित गृह प्रखंड में रह रहे थे, वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। महोदय, सरकार तो कार्रवाई कर रही है। जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो माननीय सदस्य की संवेदना को देखते हुए, दर्द को देखते हुए, इस कार्रवाई में हमलोग थोड़ा और तेजी लाने का काम करेंगे, गति देने का काम करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि अपना अभिस्ताव वापस लें।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया। महोदय, जब स्टील प्लांट बना था तो उस समय एक अनुबंध हुआ था कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में नियुक्ति वहां के स्थानीय विस्थापितों की होगी। महोदय, जो विस्थापित हैं उनका जमीन

चला गया, उनकी सम्पति चली गई, वो रोड पर आ गए, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जायें, वे हाइकोर्ट में केस नहीं लड़ सकते तो सुप्रीम कोर्ट कहां से जायेंगे ? महोदय, बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने एक षडयंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया और सुप्रीम कोर्ट जहां पर एक पेशी का 3-3, 4-4 लाख, पता नहीं कितना रूपया लेते हैं। महोदय, हमारे जो विस्थापित भाई हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट ने निर्णय अपने फेवर में करवाया ताकि जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नौकरी है, प्यून, चपरासी भी बनने के लायक विस्थापित नहीं रहें। महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ, राज्य की यह सबसे बड़ी सभा है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। महोदय, मै जब विस्थापित क्षेत्रों में जाता हूं, एक कहावत है कि ''**जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई''।** महोदय, मैं जब उन क्षेत्रों में जाता हूँ, घुमता हूँ, उनके दर्द को देखता हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। महोदय, मैं जब चुनाव के दरम्यान गया था तो देखा कि सड़क नहीं है, प्लांट को सड़क बनाने से किसने रोका? महोदय, नेता प्रतिपक्ष का बचपन गुजरा है उन क्षेत्रों में, ये भी भलीभांति उन चीजों को समझ रहे होंगे। महोदय, सड़क बनाने से स्टील प्लांट को किसने रोका? स्वास्थ्य की सुविधा देने से किसने रोका? पीने का पानी देने से किसने रोका? महोदय, उन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है। महोदय मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने विस्थापन और पुनर्वास नीति पर एक व्यापक चर्चा सदन में करवाई लेकिन दुःख इस बात का है कि समय के अभाव में सरकार का उत्तर नहीं मिल पाया लेकिन सदन की भावना है कि निश्चित रूप से ये जो समस्या है, ये सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट की समस्या नहीं है, ये राज्यभर की समस्या है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि चाहे तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटि बनाये अथवा एक उच्चस्तरीय कोई आयोग का गठन करें, कोई एक विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि बोकारो स्टील प्लांट के जो हमारे विस्थापित भाई दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके साथ-साथ पूरे राज्यभर में जो हमारे विस्थापित भाई हैं, चाहे किसी भी जिले से विस्थापित हैं, उनके साथ न्याय हो सके। महोदय, मैं मांग करता हूं कि एक विस्थापन आयोग बने, ये पूरे सदन की भावना भी है। मैं यही मांग करके बैठता हूं।

अध्यक्ष : बिरंची जी, ये तो डबल रोल हो गया। आप विस्थापन वाला भी बात रख दिये और उस दिन का भी आज कसर उतार लिये।

माननीय प्रभारी मंत्री जी, बिरंची जी को संतुष्ट कीजिए।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण जी का सम्मान करता हूं। माननीय सदस्य बिरंची जी विपक्ष के बहकावे में आनेवाले नहीं हैं। .....

.....अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण जी का दर्द भरी दास्तान पर सारे माननीय सदस्यों ने मेज थपथपाया है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, पहले क्या हुआ, लेकिन अब ये होनेवाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब विस्थापन के पहले पुनर्वास होगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बताना चाहता रहा हूँ कि आज एन.टी.पी.सी. जो बड़कागांव क्षेत्र में काम कर रही है। सबसे पहले, विस्थापन के पहले विस्थापित होने वालो के लिए घर बनाने का काम कर रही है। उसी प्रकार से भविष्य में जो विस्थापितों की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे लोगों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, मुआवजा के लिए, भुगतान के लिए सारी प्रबंध पहले होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा है कि पहले पुनर्वास तब विस्थापन। यह पहले की बात है और इसीलिए मैंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय। यह बात सही है जिसके बारे में माननीय बिरंची नारायण जी ने कहा कि चतुर्थ वर्ग में बी0एस0एल0 को, बोकारो स्टील लिमिटेड को नौकरी देना था। अभी 10 हजार ऐसे मामले लंबित हैं। जो उसने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर देंगे। मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हूँ। अभी तक 27 करोड़ से ज्यादा रूपये का मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें सरकार तेजी लायेगी, गति लायेगी और इनके पुनर्वास और व्यवस्था करने का काम करेंगी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार भविष्य में करेगी, लेकिन महोदय, जिनका विस्थापन हो चुका है, जो दर्द झेल रहे हैं उनका क्या कसूर है ? हम तो उनके लिए आयोग बनाने की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष : आप बिरंची नारायण जी से आग्रह कीजिए।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिरंची नारायण जी की भावना सदन के अंदर आ गई है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना कृपया अभिस्ताव वापस ले लें।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह दर्द इस सरकार की नहीं है। यह देन पूर्ववर्ती सरकार की है। दर्द पूर्ववर्ती सरकार दी है और दवा रघुवर सरकार जरूर देगी, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। माननीय रघुवर दास जी सदन में मौजूद हैं, इनके रहते अगर बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों को न्याय नहीं मिला तो बड़ा दुःख होगा। इसलिए पूरा विश्वास है कि विस्थापन आयोग बनेगा और इस विश्वास के साथ मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूं।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिरंची नारायण जी को धन्यवाद देता हूं इन शब्दों के साथ कि **'लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पायी है।'**

शून्यकाल

चीरा चास में ओ.पी. निर्माण

बोकारो जिले के चास प्रखण्ड स्थित चीरा चास एक बड़ी घनी आबादी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे वहाँ बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करना कठिन होता जा रहा है। साथ ही उक्त क्षेत्र चास थाना से काफी दूर स्थित है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि चीरा चास में ओ.पी. (Outer police post) का निर्माण शीघ्र करवाया जाये, ताकि विधि व्यवस्था एवं शांति बनी रहे।

(16.12.2015)

दवा दुकानदारों की समस्या

राज्य में हजारों की संख्या में दवा की दुकानें स्थित हैं, इन दवा दुकानों के अनुपात में राज्य में फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा प्रत्येक दुकान में एक फार्मासिस्ट बैठाने को कहा जा रहा है अन्यथा उन दुकानदारों के ड्रग लाइसेंस को रद्द करने की बात कही जा रही है।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि उक्त समस्या का एक सुलभ हल निकाला जाये, जिससे दवा दुकानदारों के मध्य कोई अव्यवस्था न हो और जनता को सहज दवा उपलब्ध होती रहे तथा दवा दुकानदार ड्रग इंस्पेक्टर और रिजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के भयादोहन का शिकार न हो पायें।

(17.12.2015)

झारखण्ड में पृथक कृषि बजट

क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण की शून्यकाल सूचना	सरकार का जवाब
1	झारखण्ड की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जब से झारखण्ड राज्य बना है, तब से प्रदेश में बराबर सुखाड़ की स्थिति बनी रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अलग से कृषि बजट सदन के पटल पर रखा जाए, ताकि 70 प्रतिशत से अधिक आबादी जिनके जीविकोपार्जन का एक मात्र माध्यम कृषि है, वे खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।	वर्तमान में प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में बजट सूत्रण प्रक्रियाधीन है।

(18.12.15)

विधायक मद की राशि में वृद्धि

पिछले कई वर्षों से विधायक मद की राशि 3 करोड़ रूपया रखा गया है, जबकि मंहगाई कई गुना बढ़ गई है। अतः विधायक मद की राशि रू. 10 करोड़ किया जाय।

उक्त शून्यकाल पर चर्चा

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, समय की मांग है कि विधायक मद की राशि बढ़नी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से जिस क्षेत्र से आता हूँ दूसरे विधान सभा क्षेत्र से मेरा विधान सभा क्षेत्र या तो दुगुना है या ढ़ाई गुणा है, मैं तो परेशानी का सामना कर रहा हूँ। इसलिए समय की मांग है यह बढ़ना चाहिए, कम से कम दस करोड़ तो निश्चित रूप से होना चाहिए अधिक से अधिक जितना बढ़ा दें इसके लिए सरकार का स्वागत है।

.....

श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को हम सबने सुना और सदन की जो भावना है, इससे सरकार अवगत भी है और इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ।

(22.12.2015)

बतौर सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पटल पर उपस्थापित करना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 216 (1) के तहत् प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ।

(21.12.2015)

बजट–सत्र 2016

15.02.2016 - 18.03.2016

अल्पसूचित प्रश्न

20 गाँवों को पंचायत में शामिल कराना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 06/17.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा अंतर्गत 20 गाँव यथा पचौरा, वैधमारा, कनपट्टा, महेशपुर, महुआर, पिपराटांड, शिबूटांड, कुनडोरी, बोरोटांड, जरिडीह, बनसिमली इत्यादि ऐसे गांव हैं जिन्हें पंचायत व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है ?	स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत क्षेत्र बीएसएल के लिए अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जा चुकी है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित सीएसआर से यहां कोई विशेष कार्य नहीं होता है जबकि बीएसएल ने इनकी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि उक्त भूमि बीएसएल के लिए अधिग्रहित कर उसे हस्तांरित की जा चुकी है किन्तु आज भी उक्त ग्रामों/टोलों के परिवारों द्वारा जमीन नहीं छोड़ी गई है। हालांकि उनके पुनर्वास हेतु जमीन सुरक्षित है किन्तु विभिन्न कारणों से वे उन पुनर्वास क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि इन 20 गांवों के लोगों को केवल वोटर कार्ड उपलब्ध है, जिससे वे अपना विधायक एवं सांसद चुन सकते हैं, परन्तु ये लोग अपने लिए मुखिया एवं अन्य पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकते हैं, जबकि संविधान में 73वें संशोधन के आलोक में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था कायम करना अनिवार्य किया गया है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उपरोक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विषय की गंभीरता को देखते हुए वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 गांवों के समुचित विकास हेतु इन्हें विभिन्न पंचायतों में शामिल कर यहां नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। प्रश्नगत गांवों की भूमि बीएसएल को हस्तांतरित की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि का स्वामित्व बीएसएल में निहित कर दिया गया है एवं इसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर किया गया है। अतएव वर्तमान में आलोच्य गांवों को पंचायत में शामिल किया जाना संभव नहीं है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 17.02.2016

श्री बिरंची नारायण : महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब सरकार से मिला है, परन्तु मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। 52 साल हो गया है बोकारो स्टील प्लांट बने हुए। 52 साल के कालखण्ड में 20 ऐसे गाँव है जो विस्थापित क्षेत्र के गाँव है। उनको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उनका कसूर क्या है। क्या उनकों पंचायती राज व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जबकि उसी प्रकृति के तीन गाँव, तीन पंचायत ऐसे हैं, जिसमें उकरिद, हैसाबातु और रितुडीह उसी प्रकृति के पंचायत है, उसी प्रकृति के गाँव है। उनको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ मिल रहा है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : महोदय, फिर से एक बार पूरक कहा जाय।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, 52 साल हो गया है बोकारो स्टील प्लांट बने हुए और 52 सालों में 20 ऐसे विस्थापित गाँव है जिनको पंचायती राज्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है। उन गाँवों में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है। मैं जानना चाह रहा हूँ।

अध्यक्ष : वह शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, यह विस्थापित क्षेत्र का गांव है। दुर्भाग्य यह है कि वह न ही शहरी विकास मंत्रालय की राशि पहुँचती है न ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की राशि पहुँचती है। उनका कूसर क्या है मैं यही जानना चाहता हूँ। जबकि सेम प्रकृति के तीन पंचायत ऐसे हैं जिसके दर्जनों गाँव को लाभ मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब में दे दिया है कि चूंकि ये बी.एस.एल. के क्षेत्र में अधिग्रहित है और चूंकि इन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधान सभा के चुनाव के आधार पर पंचायत में अधिकार देना चाहते है कि नहीं। इसमें यह हम कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि आज चूंकि ये बी.एस.एल. के द्वारा ये अधिग्रहित किया गया है। जिसके चलते वहां पर हम चुनाव नहीं करा पा रहे है। चूंकि उसमें है कि लोक सभा और विधान सभा में नियम है कि हिन्दुस्तान में जो भी नागरिक रहते हैं, वो कोई न चुनना चाहिए। लेकिन पंचायत अधिनियम के तहत अध्यक्ष महोदय कि इसका अलग है कि उस पंचायत का ये वोटर होना चहिए, उस पंचायत का ये रहने वाला होना चाहिए। क्योंकि ये जो 20 गाँव का चर्चा हमलोग कर रहे है, ये 20 गाँव बी.एस.एल. द्वारा अध्यक्ष महोदय अधिग्रहित किया गया है। यदि वहां से फिर हमको एन.ओ.सी. मिलेगा तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पंचायत चुनाव कराने के लिए भी और उसमें जो सामुदायिक जो काम करना है, उस सब चीजों को विकास से संबंधित जो भी काम करना है सरकार उसको करेगी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में जो पुनर्वास अधिनियम लाया है। उसके तहत 12 साल तक यदि किसी उद्देश्य को लेकर जमीन ली गयी है और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, वह जमीन रैयतों को वापस कर दी जायेगी। क्या सरकार इसके लिए प्रयत्न करेगी? क्या सरकार रैयतों को उनकी जमीन को वापस करेगी? क्योंकि 12 वर्ष यहां नहीं 52 वर्ष गुजर गये हैं, महोदय।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में भी कहना चाहेंगे कि जमीन को वापस करने का यदि किसी उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो रहा है तो जमीन को वापस करना है। ये अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, यह राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित होगा। चूंकि ये जमीन का विषय है, जमीन का विषय चूंकि हम नहीं कर सकते हैं।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ कि गरगा डैम पेयजलापूर्ति योजना राज्य सरकार लाने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ, राज्य सरकार को। अब बी.एस.एल. प्रबंधन एन.ओ.सी. नहीं दे रहा है कहता है कि मैं एन.ओ.सी. नहीं दूंगा। वह गरगा डैम से पानी रेल को बेच सकता है। लेकिन जो विस्थापित जिन्होंने जमीन दिये, जिनके जमीन पर डैम बना है। उनको वो पानी नहीं देंगे महोदय, ये बहुत ही दुःखद है, बहुत होरिबुल है महोदय। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो जो 20 गाँव है। उनको निश्चित रूप से पंचायत में शामिल किया जाय ताकि वहां वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन्दिरा आवास कुछ भी नहीं जा रहा है। वे लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि माननीय बिरंची नारायण जी का निश्चित रूप से काफी गंभीर प्रश्न है। लेकिन जो विषय आ रहे है उससे लगता है कि जेनरल विचार-विमर्श हो रहा है पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में आसन निश्चित रूप से इस पर चिंतित है और हम चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले। एक बार माननीय मंत्री समेकित रूप से सभी का जवाब दे दीजिये।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमलोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, हमलोग का क्षेत्र तो प्रभावित नहीं है। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब धनबाद गये थे, फिर गिरिडीह गये थे और बहुत से जगह गये थे तो इस तरह का विषय उठ रहा था। आज कोई भी विकास का काम बिना एन.ओ.सी. के वहाँ नहीं हो पा रहा है। एन.ओ.सी. मिलेगा तभी वहाँ पर सरकार किसी तरह का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है इस पर विचार करना चाहिए और विचार होना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से गंभीर है कि इस पर विचार करेगी और देखेगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह जो 20 गांव का विषय था, इसके खण्ड-2 दो में हमने उत्तर दे दिया है कि उन लोगों को कहीं दूसरे जगह दिया गया है लेकिन वे लोग नहीं जा रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से यह विषय जो पूरे सदन में आ रही है, इसको सरकार देखेगी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सिर्फ इतना बता दें कि वो जो 20 गाँव है वह भारत में है कि पाकिस्तान में है। आखिर वह 20 गांव है कहां? वो झारखण्ड में है कि बंगाल में है? उन लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, वो सांसद बनाते हैं तो मुखिया को क्यों नहीं चुन सकते हैं? वो पंचायत समिति के सदस्य क्यों नहीं चुन सकते हैं? महोदय, यह एक गंभीर सवाल है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है। चूंकि अधिगृहित क्षेत्र है इसलिए हमलोग नहीं कर सकते हैं। यदि एन.ओ.सी. हमको मिल जायेगा तो हम पंचायती राज के तहत वहाँ पर काम करायेंगे। हम वहाँ पर मुखिया का भी चुनाव करा देंगे। यदि हमको एन.ओ.सी. मिले कि हाँ इसको हम दे दिये हैं तो हम मुखिया का चुनाव भी करा देंगे।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से आग्रह करता हूँ कि आसन निर्देश दे कि सेल के चेयरमैन को बुलवाये। सरकार बुलाकर मामले का निष्पादन करे। महोदय, अखिर जवाब तो मुझे मिला नहीं, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जवाब देना पड़ता है।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी के एक प्रश्न पर जो बोकारो से संबंधित है, सदन में पूरे राज्यभर की ऐसी, इसी प्रकार की

समरूप समस्या की चर्चा हुई है। महोदय, इन दोनों को दो रूप में लेना चाहिए। एक तो बोकारो की जो बात थी, जिसपर प्रश्न है उसपर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया और बाकी को दूसरे जगहों के सवाल हैं, चूँकि वे सवाल किसी तरह से अगर सदन में आते हैं, अगर बजट पर चर्चा के दौरान आते हैं, अनुदान की मांगों पर आते हैं, सामान्य चर्चा पर आते हैं तो सरकार उस समय उसका उत्तर देगी। इसलिए जो सवाल आया है, मुझे लगता है कि उस सवाल तक ही सीमित रखा जाय और बाकी जो विषय है वो विषय जैसे आएगा सरकार उसपर विचार करके उसपर चर्चा करेगी।

नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 05 / 17.02.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायती राज के लिए नये स्तर से चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 50 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आये हैं	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि प्रतिनिधियों के समुचित प्रशिक्षण के लिये अब तक राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो सका है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। माह दिसम्बर 2015 के अंत में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई है। अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध से नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

बिहार से जमीन का नक्शा लाना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 01/19.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की जमीनों का 85 हजार नक्शा बिहार सरकार के गुलजारबाग स्थित राजकीय मुद्रणालय में है, जिसे बिहार सरकार झारखण्ड को तब तक नहीं देने की बात कह रही है जबतक कि बिहार-झारखण्ड के बीच सम्पत्तियों और देनदारी का विवाद सुलझ नहीं जाता है ?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पास उक्त नक्शा न होने से सीमांकन सहित अन्य भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे हैं ?	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त नक्शा न होने से झारखण्ड-बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और साहिबगंज एवं दियारा के मध्य 2000 एकड़ भूमि विवादित हो चुकी है।	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विवादों को सुलझा कर बिहार सरकार से झारखण्ड की जमीनों का नक्शा प्राप्त कर झारखण्ड के भूमि सीमांकन विवादों को निपटाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड एवं बिहार राज्य के सीमा का सीमांकन सर्वे का कार्य दिनांक 02.06.2010 को अंचल-मनिहारी (बिहार) एवं अंचल-साहेबगंज (झारखण्ड) के सर्वेक्षण दल द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का सर्वेक्षण कर संतुष्ट होकर दिनांक 03.06.2010 को पीलर गड़वाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत मौजा-टोपरा, मुरैला एवं हादीनगर सर्वेक्षित मौजा है, जिसका रिकार्ड ऑफ राईट्स जिला

		पदाधिकारी, कटिहार से अप्राप्त है। सर्वे कार्य हेतु स्थायी कैम्प साहेबगंज में कार्यरत है। झारखण्ड बंगाल के सीमा का सीमांकन संयुक्त दल द्वारा दिनांक 06.06.2011 से 09.06.2011 तक में साहेबगंज जिला का अंचल-राजमहल एवं उधवा का सीमांकन किया जा चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकारी द्वारा सहमति के रूप में सूची पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो सीमा निर्धारण को सम्पुष्ट नहीं करता है। वर्ष 2011 से ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। दिनांक 16.01.2015 को बिहार में हुई क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय को उठाया गया था। दिनांक 29.01.2016 को रांची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दा को पुनः उठाया गया है। सीमांकन सर्वे कराने हेतु राज्य सरकार सत्त प्रयत्नशील है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 19.02.2016

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आया है, लेकिन जो जवाब आया है, मैंने जिस पर ध्यान आकृष्ट कराया था कि लगभग 85 हजार नक्शे आज भी पटना के गुलजारबाग स्थित राजकीय मुद्रणालय में पड़े हुये है। 14 हजार 6 सौ 75 वैसे राजस्व ग्राम हैं जिनके नक्शे आज भी झारखण्ड के पास नहीं हैं।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य बिरंची जी, नगर विकास मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह जी और माननीय सदस्य श्री नलिन सारेन जी से आग्रह है कि आप कृपया श्री कुशवाहा जी को ससम्मान सदन में लाने का कष्ट करें। माननीय सदस्य बिरंची जी बोलिए।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि लगभग 85 हजार नक्शे आज भी पटना के गुलजारबाग स्थित राजकीय मुद्रणालय में पड़े हुये हैं। 14 हजार 6 सौ 75 वैसे राजस्व ग्राम हैं जिनके नक्शे आज भी झारखण्ड के पास नहीं है। सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें नक्शा मिलने की प्रगति पर कुछ भी बोला नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अमर कुमार बाउरी (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमलोगों के पास बहुत सारा नक्शा अप्राप्त है और बार-बार सरकार प्रयास भी कर रही है, मैं भी गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बैठकों में बार-बार इस विषय को गंभीरता से उठाया है लेकिन बिहार सरकार इसमें आना-कानी कर रही है, यह भी बात सही है। जिस रिकॉर्ड के बारे में माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री स्टीफन बाबू ने सुझाव किया है, उसको हमलोग ग्रहित करते है। रिकॉर्ड जो जिलों में हैं, उससे मिलान किया जा रहा है। जो बचा हुआ रिकॉर्ड है, उसको लाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और हमलोग अपने यहाँ भी स्थापित करने जा रहे हैं छापाखाना और यहाँ से भी हमलोग करेंगे। झारखण्ड सरकार पूरा प्रयास कर रही है लेकिन बिहार सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। क्षेत्रीय परिषद और केन्द्र सरकार से वार्ता हुई है, हमलोग लगे हुए हैं यह रिकॉर्ड प्राप्त हो जाय।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत ही गंभीर है और बिहार सरकार की मंशा साफ नहीं है, वह सिर्फ परेशान कर रही है झारखण्ड की जनता को। मैं अपने आग्रह करता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन एक प्रस्ताव पारित करें, यहाँ से सर्वदलीय विधायकों का दल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से जाकर बात करे, आग्रह करे कि यह जनहित से जुड़ा हुआ विषय है। अब वो कहते हैं देनदारी का भी हिसाब-किताब साथ-साथ होगा। जो भी ऐसेट्स है, उसके बंटवारे से इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सदन इसपर एक प्रस्ताव पारित करे और एक विधायको का सर्वदलीय दल यहां से माननीय मुख्यमंत्री बिहार से आग्रह करे जाकर के कि जनहित का विषय है इस पर वो गंभीरता बरतें और नक्शा हमलोगों को वापस करें।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सरकार प्रयत्नशील है। माननीय सदस्य ने इस विषय को सदन के सामने रखा है और माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी जी का भी इसमें महत्वपूर्ण सुझाव आया है। उनके सुझाव पर भी सरकार गौर करेगी और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो बना है उसमें भी ऐसे मामले उठ रहे हैं। सरकार अपने स्तर से फिर से एक उच्चाधिकार प्राप्त किसी अधिकारी को, किसी दल को भेजेगी बिहार और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि इस सीमा विवाद का निपटारा शीघ्र कराया जाय क्योंकि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का भी है। बिहार

का सभी जिलों में जो सीमावर्ती इलाके हैं कुछ न कुछ समस्यायें हैं उनका समाधान निश्चित रूप से बिहार के सरकार से किया जाय। एक बार बात करके बिहार सरकार से फिर उस निर्णय को क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय मैं आसन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पिछले 14-15 वर्षो से अटका है मामला। एक बार यदि सदन की राय हो तो आम राय से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय मुख्यमंत्री बिहार से हमलोग आग्रह करे कि यह जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और विधायकों का एक सर्वदलीय दल जाये।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी माननीय मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल का गठन करेंगे और उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल होगा वह बिहार सरकार से जिस स्तर पर वार्ता करनी होगी उस स्तर पर वार्ता करके प्रशासनिक निर्णय लेगी।

अध्यक्ष : ठीक है, सरकार के स्तर पर इसको रहने दिया जाय।

उक्त प्रश्न पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विभागीय पत्रांक - 3914 दिनांक 13.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि 02 (दो) सदस्यी दल झारखण्ड राज्य के राजस्व ग्रामों का भू-मानचित्र बिहार राज्य से लाने हेतु गठित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य का नक्शा दिये जाने पर सहमति प्रदान कर दी गई है। उक्त आलोक में बिहार से नक्शा आना प्रारंभ हो गया है।

झारखण्ड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फीस एक्ट

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 08 / 23.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी रोकने हेतु झारखण्ड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फीस एक्ट लागू करने की बात कही थी ?	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीएमए पाई बनाम, कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट पेटिशन (पीआईएल) संख्या - 2744 / 2003 एवं डब्लू पी (पीआईएल) संख्या - 2537 / 2002 में दिनांक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये आदेश के

		अनुरूप सहायता प्राप्त, संबंद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अभिहित एक वैधिक फोरम की स्थापना के लिए झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त एक्ट को प्रभावी नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब पुनः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा, जिससे पूर्ववत समस्या बनी ही रहेगी।	इस खण्ड का उत्तर खण्ड 1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शैक्षणिक सत्र 2016-17 के पूर्व उक्त एक्ट को लागू कर राज्य के निजी स्कूलों के मनमानी को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण को राज्य सरकार द्वारा और सुदृढ़ किया जा रहा है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 23.02.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न निजी स्कूलों में मनमानी रोकने से संबंधित था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया है और सरकार स्वीकार भी कर रही है कि इसको मजबूती से लागू करेंगे। मैं सिर्फ सरकार को केवल दो विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : बिरंची नारायण जी, आप पूरक प्रश्न को पूछिये न।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। अभी हाल में यह सिर्फ हमारे जिले की केवल समस्या नहीं है। मेरे जिले के अलावा राज्य भर के हजारों, लाखों अभिभावक इससे प्रभावित हैं। आज भी निजी विद्यालयों के द्वारा जो फीस लिये जाने का मामला था आज भी वैसे ही दूसरे, तीसरे माध्यम से लिया जा रहा है। महोदय,

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रत्येक वर्ष निजी स्कूल के द्वारा राज्य भर में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो प्रत्येक वर्ष बुक्स बदल देते हैं, किताब को बदल देते हैं। इससे हजारों रूपये का बोझ एक अभिभावक को झेलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सकार से मांग करता हूँ कि राज्य सरकार अविलम्ब एक इस प्रकार का दिशा निर्देश जारी करे ताकि जो पुस्तक एक बार अगर पाठ्य पुस्तक में समाहित किया गया वो कम से कम 10,12,15 वर्षो तक जरूर चलेगा ताकि उसपर कोई अलग से अर्थ बोझ गार्जियन के उपर न पड़े।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निजी विद्यालयों का फी कंट्रोल की बात हो या किसी प्रकार की शिकायत की बात हो, उसको देखने के लिए जेट है, जेट उसको देखती है तो वो अभी तक निष्क्रिय था। महोदय, अभी हमने जेट का गठन किया है और उसको सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है और अब जो भी शिकायतें आएंगी, वो जेट के माध्यम से पूरी हो जायेगी और जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, हमें भी लगता है कि फी कंट्रोल करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है इसीलिए हमलोगों ने जेट को सुदृढ़ करने की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ फीस का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका सहित जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पुराने किताब को बच्चे पढ़ते हैं। महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर हर साल निजी विद्यालय प्रबन्धन क्यों पुस्तकों को बदलेगा? वही पुस्तक 10 वर्षों तक लगातार क्यों नहीं पढ़ाये जा सकते? यह आर्थिक बोझ और एक बहुत बड़ा अभिभावकों को परेशान करने का एक जरिया है। महोदय, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसपर रोक लगाये कि जो पाठ्य पुस्तक में समाहित हो गई पुस्तकें वो कम से कम 10 वर्षो तक चलेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिरंची नारायण जी, माननीय मंत्री जी का स्पष्ट जवाब है। उसमें उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है कि शिक्षा न्यायाधिकारण का गठन किया गया है। अब वो विषय को ढंग से देखेगी कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा तो इसमें समय चाहिए।

श्री बिरंची नारायण : ठीक है, महोदय। धन्यवाद।

खान विभाग में बहाली

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 07/23.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि खान विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में मैनपावर की भारी कमी है एवं खान इंस्पेक्टर के 31 पद, जियोलॉजिकल ऑफिसर के 18 पद, एडीएमओ के 13, डीएमओ के 5 पद, भूतात्विक विश्लेषक के 18 पद, लिपिक के 52 पद तथा अन्य 42 पद खाली हैं;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि डीएमओ के 18 पद, एएमओ के 18 पद, खान निरीक्षक के 39, जियोलॉजिकल ऑफिसर (भूतत्ववेत्ता) के कुल 18 पद एवं भूतात्विक विश्लेषक के 29 पद, लिपिक के 44 पद तथा अन्य 138 तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पद रिक्त है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद यहां उक्त पदों पर बहाली नहीं हुई है एवं जो लोग पूर्व से कार्यरत थे, उसमें भी अधिकांश रिटायर हो गए हैं;	उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2013 में भूतत्ववेत्ता के कुल 17 पदों पर नियुक्ति की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में खान का कारोबार बढ़ने और मैनपावर की कमी के कारण राजस्व की वसूली एवं अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 माह जनवरी 2015 तक कुल 2536.26 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि इस वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2016 तक कुल 3798.25 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड 1, 2 के संबंध में वस्तुस्थिति यह हैं कि भूतत्ववेत्ता के 18 पदों, एएमओ के 13 पद एवं डीएमओ के 5 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना लोक सेवा आयोग को एवं भूतात्विक विश्लेषक के 29, खान निरीक्षक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 39 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का अनुपालन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 11/24.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में राज्य सलाहकार समिति, स्थापना अंकेक्षण आयोग, नगर निकाय में स्वतंत्र कैडर, नगर निकायों में चैम्बर का गठन एवं लोकपाल की नियुक्ति, जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब तक नहीं हो पायें हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 64 में निहित प्रावधान के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या - 346, दिनांक 28.01.2014 द्वारा नगरपालिका लोकपाल की शक्तियाँ और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपी गयी है। नगर निकाय के स्वतंत्र कैडर के निर्माण हेतु अधिसूचना संख्या - 3330, दिनांक 17.07.2014 द्वारा नियमावली गठित कर दिया गया है। नगरपालिका अंकेक्षण आयोग के गठन हेतु ''**झारखण्ड नगरपालिका अंकेक्षण आयोग का गठन, कार्य-पद्धति का निर्धारण नियमावली-2016**'' का विहित प्रक्रियानुसार मूर्त्त रूप दिया जा रहा है। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 50 के तहत् नगर निकायों में ''**स्टेट चैम्बर ऑफ कौंसिल्स**'' का गठन योजना सह वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रेत्तर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत पदों में 66 फीसदी पद अब तक रिक्त है;	स्वीकारात्मक है।

3	क्या यह बात सही है कि संविधान में 74वें संशोधन के आलोक में सरकार राज्य में नगर निकायों को सशक्त बनाना चाहती है;	स्वीकारात्मक है। संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में नगर निकायों की सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 70 के तहत नगर निकायों को शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है।
4	यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अनुपालनार्थ उक्त लंबित पड़े कार्यों को करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 24.02.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला है और सरकार ने आंशिक स्वीकार भी किया है, लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम- 2011 के अंतर्गत नगरपालिका लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। उसे नगरपालिका की सेवा संबंधी शिकायतें तथा किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जाँच का महत्वपूर्ण दायित्व है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि यह पूरा काम राज्य लोकायुक्त को दे दिया गया है। राज्य लोकायुक्त के पास पहले से ही संसाधन की कमी है। बोझ ज्यादा है जो अगर एक्ट किसी विधान सभा ने बनाया और उस एक्ट के हिसाब से काम हो तो मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक काम होगा।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय विभागीय मंत्री जी।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण जी संतुष्ट नहीं है पता आंशिक रूप से संतुष्ट नहीं है या पूर्ण संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इन्होंने बहुत सी बातें खण्ड-1 में किया गया है मैंने उसमें आंशिक रूप से स्वीकारात्मक किया है। इन्होंने कहा है कि राज्य सलाहकार समिति, स्थापना, अंकेक्षण आयोग, नगर निकाय में स्वतंत्र कैडर, नगर निकाय में चैम्बर का गठन एवं लोकपाल की नियुक्ति, जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब तक नहीं हो पाये हैं। इसका पूरा उतर हमने दिया है और कब-कब किया इन सारी सामग्री हमारे पास है। कब हमने झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2014 में गठन किया है। उसी प्रकार से झारखण्ड सरकार नगर विकास विभाग का दिनांक 17.07.2014 को यह अधिसूचित किया गया है

इसी प्रकार से लोकपाल की शक्तियाँ और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपते है। मेरा कहना है कि जिन चीजों की चर्चा इन्होंने किया है और माननीय राज्यपाल के माध्यम, से चूँकि यह शक्ति उन्हीं को प्राप्त है। लोकपाल की शक्तियाँ लोकायुक्त को हमने सौंपा है इसकी अधिसूचना स0-346, दिनांक- 28.01.2014 के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है जैसा कि इन्होंने कहा है कि सेवा संवर्ग बनाने का तो उस दिशा में हमने कार्रवाई की है, उसकी भी पूरी सूची हमारे पास है। कितने पद स्वीकृत किये हैं, क्या वेतनमान है, नियुक्ति समिति कैसी होगी। ये सारी चीजें हमारे पास है। इसके बाद अगर माननीय सदस्य को कुछ पूछना है तो पूरक पूछें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ पूरक पूछना है तो पूछिये।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी, से यह है कि जब राज्य लोकपाल को ही दायित्व को दे दिया गया, जब दे दिया तो क्या राज्य लोकपाल के पास कितने मामले आये और उस मामले में कितने का निष्पादन हुआ तो क्या माननीय मंत्री जी, यह बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है राज्य लोकायुक्त को दिया गया है, लोकपाल को नहीं, शक्तियाँ लोकायुक्त को दे दी गयी है। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ये सारी शक्तियाँ हमने लोकायुक्त को दे दिया है और लोकायुक्त के यहाँ कितने आये, नहीं आये इसका जवाब तो इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं रखता है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, कह रहे है कि लोकायुक्त को ही देना था तो फिर 2011 में यह प्रावधान बना, कानून बना है विधान सभा में तो इसका क्या औचित्य है?

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला में डी0 सी0 को सारे पॉवर होते हैं। यहाँ तक कि जो आप रजिस्ट्री कराते हैं तो निबंधक भी जिला का डी0सी0 होता है, लेकिन अवर निबंधक को पॉवर वेस्ट करता है। उसी प्रकार से राज्य सरकार ने लोकपाल को जो सारी शक्तियाँ थी, ये लोकायुक्त को दे दी गयी हैं? जिसकी चर्चा मैं बार-बार कर रहा हूँ। लोकायुक्त को दे दी गयी है।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि अभी कैबिनेट में जो कल जिस तरीके से 3200 स्कवायर फिट के जमीन को लेकर ले लाया है मामला यह भ्रष्टाचार मिटाने के दूरगामी कदम साबित होगा, उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो एक्ट बना है, उसके तहत लोकपाल का गठन हो, अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता और आयेगी। जिन पांच बिन्दुओं का सवाल मैंने उठाया है, उसमें मैं बहुत

ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उन पांचों में एक में भी पूरी तरह अनुपालन नही हुआ है।जो भी अनुपालन है वह आंशिक ही है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि अगर पूरा-पूरा अनुपालन होगा तो जिस भ्रष्टाचार मिटाने की बात हम कर रहे हैं झारखण्ड में निश्चित रूप से विभाग से भ्रष्टाचार मिटेगा और मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि जो एक्ट बना है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, मेरे पास उसकी कॉपी है और मैंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखा है, इसके आलोक में अगर बनता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटेगा। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि जो पांचों के पाचों मैंने मांग की है अगर इसका गठन हो जाये तो राज्यहित में होगा।

फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 07/24.02.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत पूरे राज्य में फुटपाथ दुकानदारों की समस्या ने एक विकराल समस्या का रूप ले लिया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में फुटपाथ दुकानदारों की व्यवस्थित व्यवस्था करने से वहां के छोटे दुकानदारों को लाभ होगा और वहां की जनता को एक ही स्थान पर सामानों की खरीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो समेत पूरे राज्य के फुटपाथ दुकानदारों के जीविकोपार्जन हेतु इनको व्यवस्थित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) अंतर्गत चास (बोकारो) सहित 28 नगर निकायों में शहरी पथ विक्रेताओं/फेरीवालों को चिन्हित करने वेंडिंग प्लान तैयार करने एवं वेंडिंग जोन चिन्हित करने हेतु परामर्शी एजेंसियों का चयन किया गया है। चयनित एजेंसियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं/फेरीवालों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ

		किया जा चुका है। NULM के दिशा-निर्देश के अनुसार चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं/फेरीवालों को पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 24.02.2016

श्री बिरंची नारायण : महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बोकारो समेत राज्यभर के फुटपाथ दुकानदारों का मामला है और माननीय मंत्री महोदय स्वयं जिस विभाग के मंत्री है, स्वयं रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में कई ऐसे शहर हैं, बड़े-बड़े शहर वहां फुटपाथ दुकानदारों के साथ जो समस्या बनी हुई है। सरकार ने एन0यू0एल0एम के दिशानिर्देश के अंतर्गत वेंडिंग प्लान बनाने की बात कही है, जबकि राज्य में स्ट्रीट वेन्डर एक्ट, 2014 के अंतर्गत हर क्षेत्र में टाउन वेंडिंग कमिटि बनाना आवश्यक है, ऐसी कमिटियाँ अब तक नहीं बनायी गयी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, से आग्रह करता हूँ कृपया बताने का कष्ट करें कि स्ट्रीट वेन्डर एक्ट, 2014 के राज्य सरकार पर कौन-कौन से दायित्व हैं और उनका किस हद तक अनुपालन किया गया है, टाउन वेडिंग कमिटियाँ कब तक बनायी जायेगी?

अध्यक्ष : माननीय विभागीय मंत्री जी।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य ने जो पूरक पूछा है, उसमें उन्होंने स्ट्रीट भेंडर रूल्स के बारे में पूछा है तो इसकी टाऊन वेंडिंग जो कमिटी है। इसकी स्थापना हमलोग शीघ्र करेंगे। हमलोग स्ट्रीट भेंडर रूल्स का निर्माण कर रहे हैं, ये प्रक्रियाधीन है और इसको अधिसूचित करने के बाद करेंगे। इसके पहले हमलोगों ने परामर्शी एजेंसी नियुक्त किया है जिसमें चास के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एन0एफ0 इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, इसको हमने दिया है दिनांक 30.11.2015 को वर्क ऑर्डर दिया है। इसका काम होगा कि प्रत्येक नगर निकाय में फेरी वालों का सर्वे एवं सर्वे उपरांत पहचान पत्र प्राप्त करने में अधिकतम 3 माह का समय लगेगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से उसी प्रकार लाभुकों को निम्नलिखित लाभ देने की भी योजना है अध्यक्ष महोदय, जिसमें Survey of street vendors and after survey assurance of I.D. cards and certificates vending zone for street vendor training and screen development of street vendors and hawkers financial inclusion S.S. to credit linker to soical securities skip. ये जो स्ट्रीट भेंडर रूल्स जो है हम बना रहे हैं, ये प्रक्रियाधीन है और उसके बाद फिर वेंडिंग कमिटी की स्थापना हमलोग फिर करेंगे।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि परामर्शी की नियुक्ति हमलोगों ने की है। महोदय, विभाग के अधिकारी इस काम को क्यों नहीं कर सकते, इसमें खर्च भी बचेगा। विभाग में सैकड़ों की संख्या में नियुक्तियाँ है जो अभी रिक्त हैं, वो नियुक्तियाँ करे विभाग। जिस परामर्शी के गठन की बात माननीय मंत्री जी ने कहा है मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्लानिंग है इनका, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि ये एजेंसी कौन है और कब तक अपना काम पूरा करेगी?

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एजेंसी का नाम बताया और मैं पुनः नाम बताता हूँ। एन.एफ. इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड ये अध्यक्ष महोदय, एजेंसी है। सरकार ने इसको चार कलस्टर में बाँटा है। पहला कलस्टर जो है उसकी भी जानकारी ले लें धनबाद के हमारे माननीय सदस्यगण, उसमें है समान फाउन्डेशन इसको दिनांक 12.10.2015 को दिया है और इसका यू.एल.भी. जो है। धनबाद और चिरकुंडा। उसी प्रकार कलस्टर-2 गिरिडीह की बात कर रहे थे शाहाबादी साहब उसमें गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ कैंट, कोडरमा, चास, फुसरो, चतरा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज और जामताड़ा है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार कलस्टर-3 में राँची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूँटी है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जो आप सदन को अवगत करा रहे हैं उसकी कॉपी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देते तो अच्छा होता। समय भी बचता। माननीय मंत्री आप कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी ने कहा कि क्या जरूरत थी इसकी तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा नगर निकाय है 24 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत हमारा 33 प्रतिशत है और इसीलिए न सिर्फ इसके लिए बल्कि प्रत्येक शहरों के लिए 34 शहरों के लिए हमलोगों ने सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलग परामर्शी नियुक्त किया है, बस स्टैंड के लिए अलग परामर्शी नियुक्त किया है, तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए अलग परामर्शी नियुक्त किया है। इसलिए आज ये आवश्यक है।

उक्त प्रश्न पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विभागीय पत्रांक - 3758 दिनांक 13.07.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय पत्रांक - 3447 दिनांक 28.06.2016 द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया गया है।

गवाई बराज डैम का जीर्णोद्धार

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 11/25.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि 1977 में बोकारो जिला के चास प्रखंड स्थित पिंड्राजोरा के केंदाडीह गांव में 25 करोड़ की लागत से बहुद्देशीय गवई बराज के डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना का निर्माण कार्य 1972-1973 में प्रारंभ हुआ था। योजना की लागत राशि रू0 227.48 लाख थी।
2	क्या यह बात सही है कि गवई बराज के नहर का निर्माण डैम के उपर कर दिया गया था, जिस कारण डैम का पानी नहर तक नहीं पहुंच पाता है और यदि बराज पूर्णरूपेण भरता है तो भी पानी 8 किलोमीटर तक ही पहुंच पाता है एवं बराज का पानी आगे नहीं बढ़ता है, जिससे लगभग 10,000 एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित रह जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रारंभ वर्ष 1982 से ही नगर की पूरी लम्बाई में जल प्रवाह नहीं हो सका है। इसका कारण है कि नहर के कुछ भागों में नहर तल में पत्थर पाये जाने के फलस्वरूप नहर का रूपांकित गहराई तक खुदाई नहीं होना।
3	क्या यह बात सही है कि अक्टूबर 2013 में पाईलीन चक्रपात के कारण ध्वस्त गवाई बराज डैम के जीर्णोद्धार हेतु करीब 83 करोड़ रूपये की निविदा संपन्न कर काम मुम्बई की कंपनी को देने के बावजूद अब तक डैम के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। इस योजना में पुनरूद्धार हेतु डीपीआर पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त गवाई बराज डैम के जीर्णोद्धार कार्य को प्रारंभ कराकर चास और चंदनक्यारी प्रखंड के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रित कर योजना के पुनरूद्धार का कार्य वर्ष 2016-17 में प्रारंभ कराया जा सकेगा।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 25.02.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला है और मैं आंशिक रूप से संतुष्ट हूँ। मैं पूरक पूछता हूँ वर्ष 1972-73 की योजना 35 मिलोमीटर गवाई बराज की लंबाई पानी सिर्फ 8 किलोमीटर में जाता है। उस समय पैसे निकल गये किसानों को पानी नहीं मिला। जो अधिकारी दोषी थे ये नहीं कहूंगा कि उनपर कार्रवाई हो क्योंकि वो अब इस दुनिया में होंगे भी नहीं।

अध्यक्ष : आप इसी पर पूरक पूछ लीजिए ना।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि लगभग 5 हजार हेक्टर भूमि को सिंचित करने वाली वो गवाई बराज परियोजना है वो कब से शुरू होने जा रही है और उसकी समाप्ति का टाईम फ्रेम क्या होगा?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह योजना काफी पुरानी और काफी दिनों से लंबित है। लेकिन यह सरकार काफी गंभीर है और मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से हमने ये जवाब दिया है कि डी0पी0आर0 की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है और हमने प्रशासनिक स्वीकृति भी दे चुकी है। कुछ दिनों में ही वर्ष 2016-17 में हम इस योजना को चालू करेगें।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 गाँव, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 5-7 गाँव और माननीय मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी के विधान सभा क्षेत्र के 35 गाँव प्रभावित है महोदय। किसान भूखे मर रहे है।

अध्यक्ष : इसीलिए तो माननीय मंत्री जी ने 2016-17 में करने का बोल दिये है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, शुरू हो जायेगा? धन्यवाद महोदय, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ।

उक्त प्रश्न पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विभागीय पत्रांक - 3637 दिनांक 15.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि गवाई बराज के पुनरूद्धार का कार्य आवंटित कर दिया गया है।

उक्त आलोक में गवाई बराज के पुनरूद्धार का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

<table>
<tr><th colspan="3">अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 03/26.02.2016</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>श्री बिरंची नारायण का प्रश्न</th><th>सरकार का जवाब</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ की गयी है ?</td><td>स्वीकारात्मक।

झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ''सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना'' का पायलट चरण, राज्य के सभी जिले में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) आधारित रोजगारपरक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि इस योजना में अब तक एक भी बैच के लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो सका है तथा कई जिलों में अब तक प्रशिक्षण प्रारंभ भी नहीं हो सका है।</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

''सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना'' के पायलट चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो निम्नवत है -
<table>
<tr><th>प्रशिक्षण सेवा प्रदाता</th><th>जिला</th><th>लाभुकों की संख्या</th></tr>
<tr><td>ILFS Skill Development Corp.</td><td>रांची</td><td>140</td></tr>
<tr><td>TeamLease Services Pvt. Ltd.</td><td>रांची</td><td>160</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		Datapro Computers Pvt. Ltd.	पलामू गुमला	90 90
		Pragmatic Educational Society	दुमका	75
		Prayas JAC	रांची गुमला	75 75
		ACE Experiences Asia Pvt. Ltd.	रांची	75
		इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण कार्य शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है।		
3	क्या यह बात सही है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य से बाहर की एजेंसियों का चयन किया गया है, जिसके कारण स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा हुई है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। ''सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना'' के पायलट चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए एजेंसियों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Norms के अनुरूप विहित प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसी क्रम में उक्त योजना के पायलट चरण में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार के Common Norms पर आधारित NSDC (National Skill Development Corporation)/ SSC (Sector Skill Council) से संबद्धता प्राप्त राज्य के बाहर की एजेंसियों के साथ-साथ एक स्थानीय एजेंसी जनसेवा परिषद्, हजारीबाग का भी चयन किया गया है।		
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस मामले की स्वतंत्र जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कण्डिका - 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।		

रिविजनल सर्वे करवाकर खतियान एवं भू-मानचित्र निर्माण

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 02/26.02.2016

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>श्री बिरंची नारायण का प्रश्न</th><th colspan="4">सरकार का जवाब</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वर्ष 1932 ई0 के बाद से अब तक केवल 6 बंदोबस्त कार्यालयों यथा रांची, धनबाद, पलामू, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में पड़ने वाले जिलों के अंतर्गत अंचलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों में रिविजनल सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही उक्त 6 जिलों को छोड़ अन्य जिलों में अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू-मानचित्र के निर्माण कार्य ही प्रारंभ हो पाया है ?</td><td colspan="4">बन्दोबस्त कार्यालयों के माध्यम से परिक्षेत्राधीन जिलों का रिवीजनल सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। जामताड़ा जिला तथा धनबाद जिला के तोपचांची अंचल में रिविजनल सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो, सिमडेगा, गुमला, गिरिडीह इत्यादि जिलों में 1932 ई0 के बाद नये अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू-मानचित्र का निर्माण नहीं होने से अनेकों भूमि विवाद के मामले सामने आये है?</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>जिला का नाम</th><th>अंचल का नाम</th><th>अंतिम प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना निर्गत कुल राजस्व ग्रामों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बोकारो</td><td>चास</td><td>68</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>चंदनक्यारी</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गुमला</td><td>डुमरी</td><td>115</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>भरनो</td><td>69</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>चैनपुर</td><td>85</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>विशुनपुर</td><td>66</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सिमडेगा</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>गिरिडीह</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
सिमडेगा जिला के 164 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। गिरिडीह जिला में 936 राजस्व ग्रामों में खानापूरी का कार्य पूर्ण हो चुका है।
</td></tr>
</table>

3	क्या यह बात सही है कि नियमानुसार अधिकार अभिलेख (खतियान) के अंतिम प्रकाशन की तिथि 15 वर्षों की कालावधि की समाप्ति के बाद रिसर्वे (पुनरीक्षण सर्वे) का कार्य कराये जाने का प्रावधान है, परन्तु 1932 ई. से अब तक यह कार्य उक्त 6 जिलों को छोड़ अन्य जिलों में लंबित है ?	झारखण्ड राज्य में 1932 ई0 के बाद छः बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा रिविजल सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा नये खतियान का निर्माण भी हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीनों का नियमानुसार रिविजनल सर्वे करवा कर नये खतियान और ग्राम मानचित्र बनवाने का विचार रखती है? यदि, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य में स्थापित छः बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा जिलों में रिसर्वे (रिविजनल सर्वे) का कार्य चल रहा है। खतियान एवं भू-मानचित्र भी तैयार हो रहे हैं।

राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 09/29.02.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा-10 के तहत राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करना था, अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकृत करना था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है अब तक सरकार ने राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं किया है;	अधिनियम की संगत धारा-10 के अंतर्गत आयोग का गठन बाध्यकारी प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है। सरकार इसके गठन के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेगी।

3	क्या यह बात सही है कि राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है और तय समय में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अफसर लापरवाह होते जा रहे है;	अस्वीकारात्मक। नियमावली के प्रभावी प्रवर्तन के निमित्त प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी नामित हैं। द्वितीय अपीलीय नामित हैं। द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी को दंडात्मक शक्ति प्रदत्त है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में लोक सेवा परिदान आयोग के गठन के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

चीरा चास में ओ.पी. निर्माण

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 10/29.02.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के चास प्रखण्ड स्थित चीरा चास एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र, चास थाना से काफी दूर स्थित है जिससे वहाँ बढ़ते अपराध पर नियंत्रण ससमय नहीं हो पर रहा है;	अस्वीकारात्मक। चास थाना से चीरा चास की दूरी लगभग चार कि.मी. है। यह क्षेत्र काफी सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ससमय अपराध नियंत्रण हेतु चीरा चास स्थित सिटी मॉल के प्रांगण में 2-8 का सशस्त्र बल (02 हवलदार, 08 सिपाही) नियमित रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है। उक्त बलों द्वारा चीरा चास में विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण कार्य किया जाता है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चीरा चास में विधि व्यवस्था एवं शांति कायम करने हेतु ओ0पी0 (Outer police post) स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बोकारो के चीरा चास में आउट पोस्ट के स्थापना के संबंध में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से उनकी अनुशंसा/मंतव्य की मांग की गई है। आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

अवैध खनन के जुर्माना की वसूली

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 09/01.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने फरवरी, 2013 में कुछ कंपनियों पर नियमों को दरकिनार कर लौह अयस्क एवं मैगनीज अयस्क के अवैध खनन में हुए अरबों रूपये के नुकसान हेतु Mines & Minerals Development & Regulation Act की धारा 21(5) के तहत 3274 करोड़ रू0 का जुर्माना लगाया था ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः उक्त मामले में फरवरी–2013 में संबद्ध कंपनियों पर एमएमडीआर एक्ट की धारा 21(5) के तहत कुल 2667.58 करोड़ रू0 का मांग पत्र निर्गत किया गया है, जिसपर अद्यतन सूद सहित कुल मांग 7662.62 करोड़ रू0 होता है।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक उक्त जुर्माने की राशि की वसूली विभाग नहीं कर सका है ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कंडिका 01 से संबंधित 06 कंपनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में एवं 12 कंपनियों द्वारा खान न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में उक्त मांग के विरूद्ध आपत्ति दायर किया गया है। खान न्यायाधिकरण द्वारा 12 मामलों में मांग पत्र पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अंतिम न्याय निर्णय होने के उपरांत न्यायादेश के अनुरूप वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

3	क्या यह बात सही है कि नुकसान का आकलन जस्टिस एम.बी. शाह आयोग की रिपोर्ट द्वारा भी किया गया है एवं इस रिपोर्ट में झारखण्ड में 22000 करोड़ का अवैध खनन होने और गोवा को 2747 करोड़ का अवैध अयस्क निर्यात करने की भी बात कही गयी है ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस एम.बी. शाह आयोग लौह अयस्क उत्पादक अन्य राज्यों के साथ-साथ झारखण्ड राज्य की भी समीक्षा की है। झारखण्ड राज्य में लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के खनन पट्टाधारकों द्वारा 14,541 करोड़ रू. के अधिनियमित खनन करने का उल्लेख आयोग के प्रतिवेदन में किया गया है। शाह आयोग द्वारा प्रतिवेदित अनियमितताओं के संबंध में कई राज्यों के मामलें माननीय उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा भी समीक्षा के क्रम में है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जुर्माने की राशि को वसूलने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

हाई वोल्टेज तारों के नीचे सुरक्षा जाली

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 52/10.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि राज्यभर के अधिकतर जिलों में 11000 वोल्ट एवं 220 वोल्ट के घरेलु सप्लाई तारों के मध्य अथवा इनके नीचे कोई भी सुरक्षा जाली नहीं लगायी गई है, जिससे इन हाई वोल्टेज तारों के टूट कर नीचे गिरने से बराबर कई व्यक्ति हताहत होते हैं, मवेशी मरते हैं, वाहन	आंशिक स्वीकारात्मक है।

	जलते है, घरों में आगलगी जैसी अनेकों छिटपुट घटनाएं राज्यभर में घटित होती रहती है एवं उक्त संबंध में कई मुकदमें सिमडेगा, रांची, दुमका इत्यादि जिलों में विभिन्न अदालतों में दर्ज भी किये गए है;	
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब राज्यभर के उक्त हाई वोल्टेज जर्जर तारों के नीचे सुरक्षा जाली लगवाने एवं हताहत परिवार को दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजा देने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य भर में सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार एच0टी0 / एल0टी0 लाईन में गार्ड - वायर का प्रावधान किया गया है। कहीं-कहीं गार्ड-वायर अत्यधिक पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए सभी आवश्यक जगहों पर गार्ड-वायर लगाने की प्रक्रिया जारी है एवं माह जुलाई 2016 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। दुर्घटना होने की स्थिति में वांछित कागजात उपलब्ध होने के उपरांत विभागीय नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

अधिवक्ता कल्याण विशेष कोष

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 46 / 11.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता कार्यरत हैं, जिन्हें विभाग द्वारा जीवन बीमा, बीमारी तथा अन्य समस्याओं से निपटने हेतु ऋण इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है?	महाधिवक्ता सह अध्यक्ष, झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, झारखण्ड से उनके पत्रांक-1155 / 16, दिनांक 09.03.2016 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।

		झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (Jharkhand Advocates Welfare Fund Trustee Committee) के द्वारा राज्य के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता जो न्यासी समिति के सदस्य हैं उन्हें न्यासी समिति (Trustee Committee) द्वारा :- 1. **जीवन बीमा -** जीवन बीमा नाम से कोई योजना नहीं है बल्कि मृत्यु लाभ के रूप में न्यूनतम Rs. 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार रूपये) और अधिकतम Rs. 7,00,000/- (सात लाख रूपये) तक न्यासी समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। 2. **बीमारी लाभ -** इसमें कुछ गंभीर बीमारी जैसे वृहद शल्य क्रिया संबंधी ऑपरेशन क्षय रोग, कोढ, लकवा कैंसर या ऐसे अन्य बीमारी होने पर न्यासी समिति द्वारा अधिकतम Rs. 50,000/- (पचास हजार रूपये) तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 3. **स्वैच्छिक सेवा निवृति लाभ -** स्वैच्छिक सेवा निवृत होने पर न्यासी समिति द्वारा न्यूनतम Rs. 11,000/- (ग्यारह हजार रूपये) एवं अधिकतम Rs. 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपये) नियमानुसार दिया जाता है। 4. शैक्षणिक सुविधा यथा विहित रीति से प्रदान किया जाता है। 5. पेंशन स्कीम में नामित अधिवक्ताओं को लाईसेंस सरेन्डर करने के बाद नियमानुसार शर्तों के अधीन Rs. 7,000/- (सात हजार रूपये) प्रति माह पेंशन दिया जाता है।

2	क्या यह बात सही है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में सरकार द्वारा संशोधन करने के उपरांत राज्य के न्यायालयों में सेवारत अधिवक्ता संघों में से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक इत्यादि की नियुक्ति करने की कार्रवाई भी बंद हो गयी है?	प्रश्नगत मामला गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यक्षेत्र है, अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रश्न की छायाप्रति विधि विभागीय पत्रांक - 549 दिनांक 08.03. 2016 द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ विशेष कोष की व्यवस्था करते हुए पुनः धारा 24 में संशोधन कर पूर्व की भांति अधिवक्ता संघों में से लोक अभियोजक, इत्यादि नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 एंव 2 में प्रदत्त उत्तर से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

बरनवाल जाति को ओ.बी.सी. का दर्जा

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 173 / 14.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि वैश्य समाज की मोदी जाति भारत सरकार के ओबीसी लिस्ट में शामिल है;	स्वीकारात्मक। मोदी जाति झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के क्रमांक 122 पर सूचीबद्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि वैश्य समाज की मोदी और बरनवाल जाति वस्तुतः एक ही जाति है, जिनका रहन-सहन, खान-पान, संस्कृति भी एक ही है, परन्तु सर्वे के दरम्यान भूलवश खतियान में जिनका नाम व जाति बरनवाल ही दर्ज	अस्वीकारात्मक। बरनवाल जाति के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सम्यक् रुप से विचार कर ओबीसी की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

	हो गयी थी, उनको भारत सरकार के ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है;	तथापि मोदी जाति के लोग जिनके खतियान में भूलवश बरनवाल दर्ज है, उनके जाति का निर्धारण परिपत्र सं.-1853, दिनांक 26 फरवरी 2015 के आलोक में स्थानीय जांच के माध्यम से किया जा सकता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित तथ्य के आलोक में मोदी के समतुल्य बरनवाल जाति के लोगों को उक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोदी जाति के समतुल्य बरनवाल जाति को भी ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करने का विचार करती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका- 1, 2 एवं 3 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका-4 का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 14.03.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था जाति से संबंधित बरनवाल एक जाति है। वस्तुतः बरनवाल एवं मोदी एक ही जाति हैं। सरकार ने जवाब दिया है। जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। सरकार ने कहा है कि निर्धारण परिपत्र संख्या – 1853 दिनांक 26 फरवरी, 2015 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से किया जा सकता है। महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब मोदी और बरनवाल एक जाति हैं, शादी–विवाह सभी कुछ एक साथ होता है, सभी कुछ एक सामान्य है, उनकी सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा सभी एक है तो फिर ओ०बी०सी० में मोदी शामिल है तो बरनवाल क्यों नहीं शामिल हो सकता है ? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बनरवाल जाति को मोदी में शामिल कराया जाय ताकि मोदी जाति की तरह बनरवाल जाति को भी ओ०बी०सी० का दर्जा मिल सके। दोनों एक ही जाति है। .....

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है। यह मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वर्ष 2015 में भी गया था और 15

सितम्बर, 2015 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूचित किया है बरनवाल जाति जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो सूची है, उसमें पिछड़ा के रूप में शामिल नहीं है तो यहाँ भी पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने में समस्या है। वैसे जो इसमें प्रावधान है कि कोई समूह यदि पिछड़ी जाति में आना चाहता है, तो उसके लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने काफी पहले से 26 फरवरी, 2015 को ही परिपत्र निकाल कर सभी जिला में भेजा है, जिसमें अंचलाधिकारी के पास आवेदन जायेगा, प्रज्ञा केन्द्र के पास जायेगा तो वह अंचलाधिकारी के पास भेज देगा, अंचलाधिकारी एस०डी०ओ० के पास भेजेंगे, एस०डी०ओ० उसे यदि ग्रामीण इलाके में है तो मुखिया के पास और शहरी क्षेत्र में है तो वहाँ के नगर परिषद् के पास भेज देंगे और वहाँ से जो प्रतिवेदन आयेगा, उसके अनुरूप निर्णय लिया जायेगा तो अगर कोई समूह बरनवाल समूह चाहता है कि वह पिछड़ा वर्ग की सूची में हम आये तो उसे विधिवत आवेदन करने की जरूरत है। तब स्थानीय स्तर पर जाँच के बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि मोदी एवं बरनवाल जाति एक है कि नहीं? सरकार सिर्फ इनता ही बतला दे और यदि एक है तो उसे एक समान्य सुविधा देने की घोषणा करे।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य में भी और केन्द्र में भी पिछड़ी जातियों की सूची में बरनवाल जाति नहीं है, उसमें मोदी जाति है। अगर बरनवाल समूह यह समझता है कि हम भी मोदी जाति के हैं, उसके समकक्ष हैं, मोदी ही हैं तो उसमें जोड़ना होगा अध्यक्ष महोदय। जोड़ने की एक प्रक्रिया है कि वह समूह आवेदन करे। आवेदन की जाँच स्थानीय स्तर पर हो जायेगी सबसे नीचे के स्तर पर, उसके बाद पक्ष में आयेगा तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती है, जिस प्रकार का प्रतिवेदन आयेगा, उस तरह का सरकार निर्णय लेगी।

श्री निर्भय कुमार शाहबादी : अध्यक्ष महोदय, बरनवाल और मोदी एक जाति के हैं और एक ही लोग हैं। जैसे तांती और बहुत सारी जातियाँ ऐसी है। बहुत सारी जाति हैं जिनका नाम भिन्न–भिन्न है लेकिन एक ही जाति के वे हैं। उसी तरह का मामला मोदी और बरनवाल एक ही हैं। केन्द्र ने भी इस बात को माना है और राज्य ने भी माना है। जब केन्द्र ने कहा कि उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाय। तो राज्य सरकार की इसमें क्या आपत्ति है जब कि दोनों एक ही हैं। उनका नाम भिन्न–भिन्न है, बरनवाल और मोदी है, मगर दोनों जातियाँ एक ही है। दोनों जातियाँ में शादी–ब्याह होती है, रहन–सहन सब कुछ एक ही है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इससे इनकार नहीं करती है कि

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। अभी तक पिछड़ी जाति की सूची में न तो केन्द्र में, न ही राज्य में बरनवाल शामिल है। इनको जो विधिवत् तरीका है, उन्हें अंचलाधिकारी के पास आवेदन देना पड़ेगा, शहर में नगर परिषद् के पास आवेदन करें वह एस०डी०ओ० के यहाँ जायेगा और फिर एस०डी०ओ० सबसे नीचे जो प्रशासन की ईकाई है, पंचायत नगर परिषद् की ईकाई है वहाँ पर भेजेंगे और वहाँ से सहमति आ जाती है, वहाँ से रिकोमेंडेशन आ जाती है उनके पक्ष में या जैसे भी आ जाती है, सरकार उसी तरह से निर्णय ले सकती है। क्योंकि यह अभी तक पिछड़े वर्ग की सूची में केन्द्र या राज्य सरकार में शामिल नहीं है, शामिल करना है तो सरकार ने प्रक्रिया बता दिया है। प्रक्रिया से आप आईये, सरकार को शामिल करने में कोई हिचक नहीं होगी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, भूलवश बरनवाल छूट गया है। यह सरकार के स्तर पर भूल हुआ है। सरकार इसे सुधार लें। इसे पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लें। ये जो बरनवाल जाति है यह शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है। यह बहुत ही पिछड़ा है। एनक्सर–2 में राज्य सरकार ने इसे पिछड़ा का दर्जा दिया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रदीप जी कुछ सहयोग करना चाह रहे हैं।

श्री प्रदीप यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि राज्य पिछड़ा आयोग जो एनक्सर–2 में बरनवाल को रखा है, क्या सरकार उसके सापेक्ष में पुनः राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को इसकी अनुशंसा करेगी। ताकि वर्णवाल पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हो सके। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि भूलवश बरनवाल दर्ज नहीं किया गया है। कुछ ऐसे खतियान है जो मोदी जाति के लोग है मगर उनके खतियान में भूलवश बरनवाल दर्ज हो गया है। उनके साथ ऐसा हुआ है। किसी को भी शामिल करना होगा पिछड़े वर्ग में, उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार अपने स्तर से ही निर्णय कर सकती है न तो भारत सरकार को ही अनुशंसा कर सकती है। इस प्रक्रिया से आने के बाद जैसे–जैसे ही नतीजा निकलेगा सरकार उसके हिसाब से निर्णय लेगी।

श्री स्टीफन मराण्डी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंदर बहुत ऐसी उप–जातियाँ है जो वास्तव में एक जाति है, पर नाम अलग–अलग है। जैसे भुईयाँ और घटवार, भुईयाँ को मिल रहा है पर घटवार को नहीं मिल रहा है। जबकि घटवार ओहदा है। वह कोई जाति नहीं है, उप जाति नहीं है। क्या सरकार ऐसे विवादस्पद इश्यूस पर टी0आर0आई0 एवं पिछड़ा आयोग से सर्वे कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : यह तो कराया जा सकता है।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास किसी समूह से आवेदन आता है, पिछड़ा वर्ग के लिये। यह जो प्रक्रिया निर्धारित उससे आता है तो सरकार को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विहित प्रक्रिया से आये तो सारी चीजों का समाधान का संभव है।

श्री बिरंची नारायाण : अध्यक्ष महोदय, जवाब में है। बरनवाल जाति के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तथापि मोदी जाति के लोग जिनके खतियान में भूलवश बरनवाल दर्ज है, सरकार ने यह माना है कि यह भूलवश दर्ज किया गया है।

अध्यक्ष : वह तो माननीय मंत्री जी तो कह ही रहे हैं।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, सरकार उसे स्वीकार तो करें।

अध्यक्ष : वे तो स्वीकार तो कर ही रहे हैं।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, उसमें आवेदन की जरूरत नहीं है, सरकार उसे स्वीकार कर ले कि भूल अगर हुई है तो।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जवाब में सरकार की मंशा यही है कि कुछ ऐसे मोदी जाति के लोग है उनके खतियान में बरनवाल हो गया है। यह नहीं कह रही है कि बरनवाल भूलवश छूट गया है। कुछ लोग हैं जिसमें बनरवाल लिखा गया है वे मोदी हैं।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उनका भी अगर त्मबजपपिबंजपवद होगा, उसको भी संशोधित करना होगा तो इसी हिसाब से जो सरकार का परिपत्र है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है। उस परिपत्र के मुताबिक ही जिनमें भूलवश भी अगर खतियान में शामिल हो गया है नाम, मोदी के जगह बरनवाल तो उनको भी उसी प्रक्रिया से आना पड़ेगा या कोई बरनावाल परिवार है, वह चाहता है कि हम मोदी होकर लाभ लें तो उनको भी इसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसमें है क्या कि इस तरह से संबंधित बहुत और अदर कास्ट के साथ भी है, तो इसको एक बार समेकित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। नोटिफिकेशन में कुछ है। जैसे हम एक बता रहे हैं आपको, जैसे चीक–बड़ाईक है, लोहरा–लोहार है, दूसरा है आपका उराँव और धांगर है तो इस विषय पर आखिर सरकार को विचार करने में क्या दिक्कत है? उसी तरह से घटवार है, उस सब चीज को एक बार समेकित रूप से विचार करके भेजना है। .....

श्री सरयू राय (मंत्री) : महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी किसी के भी किसी वर्ग समूह में जाने के बारे में एक विहित प्रक्रिया निर्धारित है तो सरकार भी

अगर करेगी तो उस विहित प्रक्रिया के माध्यम से अनुकूल नतीजे आयेंगे तो सरकार करेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग है, वहाँ भी आवेदन देकर ही पिछड़ा वर्ग जाँच कर सकता है। सरकार के पास तो समेकित सूची नहीं है कि किस जाति का कौन उप समूह छूट गया है, तो जो छूटे महसूस कर रहे हैं, छूट गये हैं, उनको इस प्रक्रिया में आना चाहिए, आयेंगे तो उस प्रक्रिया के हिसाब से सरकार निर्णय करेगी।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने न्याय नहीं किया है। इसमें साफ हमने आग्रह किया है। उसने न्याय नहीं किया तभी सदन में सवाल आया है। .....

श्री निर्भय कुमार शाहबादी : अध्यक्ष महोदय, यह एक जाति की बात नहीं है। इस तरह से कई जाति होते हैं। जैसे मणिक और तांती और इस तरह से कई माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, संविधान में कानूनी प्रावधान के तहत इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने यह विषय जायेगा तो वह समुचित निर्णय लेगा। सरकार किसी को इसके आधार पर ही शामिल कर सकती है।

श्री निर्भय कुमार शाहबादी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना कहना है कि जब सदन में यह चीज आ रही है तो सदन के माध्यम से सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। लोग अंचल कार्यालय भटक रहे हैं। जबकि उसी दर्जा में हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उन लोगों को बहुत क्षति हो रही है। इसलिए जब सदन में मामला आया है, तो हम किसी आयोग के यहाँ आवेदन दें, यह निजी मामला नहीं है। यह समूह का मामला है। इसमें कई समूह हैं।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन लोगों के साथ न्याय नहीं किया इसलिए सदन के ध्यान में लाया गया है।

श्री राधाकृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। सदन में इतनी बात हो गई, इतनी चर्चा हुई है। अब सरकार ही संज्ञान में लेकर अनुशंसा के साथ आयोग के समक्ष भेजे कि बरनवाल को मोदी जाति मानते हुए यह मान्यता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दीजिये।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले ही निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद ही 26 फरवरी, 2015 को सरकार ने परिपत्र जारी किया है कि ऐसी बातें अनेक समूहों में उठ रही है कि एक उप समूह उस समूह में शामिल नहीं है। यह सभी में उठ रही है। अनुसूचित जाति में भी, अनुसूचित जनजाति में भी, बी0सी0–1 एवं बी0सी0

–2 में भी। इसलिए सरकार ने कहा है कि सबसे अधिक विश्वसनीय तो स्थानीय स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर से जो जाँच रिपोर्ट आयेगी वही होगा। यह सरकार ने तो ऑलरेडी निर्णय लेकर ही परिपत्र जारी किया है।

अध्यक्ष : लेकिन यह स्थायी व्यवस्था नहीं है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था के लिए इस विषय पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह से निर्णय नहीं ले सकती है क्या ?

श्री अनंत कुमार ओझा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह का तारांकित प्रश्न उठाया था तो उसमें सरकार की ओर से नकारात्मक उत्तर आया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण समय का इंतजार कीजिये। समय आयेगा तो सब होगा। अब इससे ज्यादा आसन तो बहुत कुछ नहीं कर सकती है। इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। समय आने दीजिये समय से सब कुछ होगा। सरकार सजग है, समय से काम करेगी।

झारखण्ड औद्योगिक नियामक आयोग का गठन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 1270 / 15.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक विकास हेतु राज्य में विभिन्न नीतियों के तहत् कई प्रकार के अनुदान, छूट व विशेष सुविधाओं तथा समयबद्ध काम का प्रावधान किया जाता है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 लागू है;
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान के बावजूद विभिन्न उद्यमियों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है;	अस्वीकारात्मक। प्रवृत्त नीति एवं नियमावली के अनुसार कागजात उपलब्ध कराने के उपरान्त इकाईयों को अनुदान का लाभ मिलता है।

3	क्या यह बात सही है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं होने के कारण उद्यमियों को निराश होना पड़ता है या अदालत का सहारा लेना पड़ता है;	स्वीकारात्मक, विभागाध्यक्ष के स्तर पर सुनवाई का प्रावधान है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई एवं विवादो के निराकरण के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के तौर पर झारखण्ड औद्योगिक नियामक आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नवघोषित झारखण्ड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 में "State Grievance Redressal Committee" का प्रावधान किया गया है। उक्त नीति दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी।

नागरिकों की अनावश्यक परेशानी पर रोक लगाना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 53 / 17.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि रांची के कांके डैम के कैचमेंट एरिया की जमीन का अतिक्रमण कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। रांची नगर निगम द्वारा Open Space में निर्माण की जाँच करायी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के बजाय विभाग एवं रांची नगर निगम द्वारा ऐसे नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिनके पास भवन निर्माण हेतु पारित नक्शा है तथा उनको भी नोटिस भेजकर भयादोहन किया जा रहा है?	अस्वीकारात्मक है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार उक्त स्थिति की जांच कर अतिक्रमणकारियों से उक्त भूमि को खाली करवाने एवं जिन लोगों द्वारा रांची नगर निगम से नक्शा पास करवा कर भवन निर्माण किया गया है, उन लोगों को विभाग द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कांके डैम/गोन्दा डैम क्षेत्र में रांची नगर निगम द्वारा अवैध रूप से पब्लिक ऑपेन स्पेस में निर्मित भवनों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं Building Bye-Laws के अंतर्गत कुल पंचानवे (95) व्यक्तियों पर अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई नगर आयुक्त, रांची नगर निगम में न्यायालय में चल रही है।

स्थानीय उद्यमियों को जमीन देना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 47/18.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और इंडस्ट्री स्थापित करने हेतु बड़े निवेशकों के लिए लैंड बैंक की स्थापना विभिन्न जिलों में की है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकार ने राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग स्थापित करन हेतु इच्छुक निवेशकों के लिए लैंड बैंक की स्थापना सभी 24 जिलों में की हैं। लैंड बैंक अंतर्गत गैर मजरूआ खास - 851947.708 एकड़, गैरमजरूआ आम - 229345.43 एकड़, गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी - 1006072.83 एकड़ एवं सरकारी विभागों का अनुपयोजित भूमि - 7173.23 एकड़ अर्थात कुल -2101471.99 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त लैंड बैंक से उद्योगपतियों को राज्य में इंडस्ट्री स्थापित करने में लाभ होगा और राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी जैसी जनसमस्याओं में कमी आएगी तथा मेक इन झारखण्ड का	स्वीकारात्मक। सरकारी प्रयोजनों/उद्योगों/निवेशकों के लिए भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त हो एवं उन्हें यथोचित जगह पर तुरन्त एवं आसानी से भूमि उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए ही लैंड बैंक का स्थापना किया गया है।

	सपना साकार होगा;	उद्योगों एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक से संबंधित आंकड़े संबंधित जिलें के वेबसाईट एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट www.jharbhoomi.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है तथा लैंड बैंक के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों का नाम, दूरभाष सं. एवं ई-मेल पता वेबसाईट पर उपलब्ध है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने से सभी तरह के जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य का आर्थिक विकास होगा एवं बेरोजगारी, पलायन एवं गरीबी जैसी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और विकसित झारखण्ड का सपना साकार होगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़े उद्योगपतियों, के साथ साथ स्थानीय, छोटे, मध्यम उद्योगपतियों, SHG एवं अन्य संस्थाओं को भी राज्य में लघु, कुटीर अथवा बड़े उद्योग लगाने हेतु उक्त लैंड बैंक में से जमीन (बोकारो, रांची सहित) आवंटित करने तथा स्थानीय उद्योगपतियों को उक्त योजना में विशेष छुट प्रदान करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका -1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सरकार उद्यमियों को राजस्व विभागीय प्रावधान/नियम/परिपत्रों के आलोक में लैंड बैंक से भूमि की उपलब्धता हेतु कार्यशील है। उद्योग विभाग के द्वारा भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकारों के अंतर्गत भी उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जाती है।

संशोधित दर पर मुआवजा भुगतान

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 48/18.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा के मौजा बकराटांगर, बीरू में 132 KV पॉवरग्रीड निर्माण हेतु निजी रैयत श्री बृखभान अग्रवाल की 2.81 एकड़ विक्रयशील भूमि का अधिग्रहण, कोयलकारो जलविद्युत परियोजना के समय उपज के आधार पर अविक्रयशील भूमि के लिए निर्धारित दर, में 20 प्रतिशत समय के लिए वृद्धि करते हुए नगण्य दर पर अधिग्रहण कर लिया गया है एवं झारखंड विकलांग विकास सेवा केन्द्र, बीरू की 57000 रूपये में खरीदगी विक्रयशील 30 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण भी उक्त आधार पर मात्र 19760 रूपये में, रैयतों के साथ बिना किसी पूर्व मीटिंग किये ही अधिग्रहण कर लिया गया है,	अस्वीकारात्मक। सिमडेगा जिले के सिमडेगा अंचल के मौजा बकराटांगर पंचायत बीरू में 132/33 के0वी0 ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु कुल 11.26 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई की गई है। जिसमें रैयत श्री बृखभान अग्रवाल एवं झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र की क्रमशः 2.81 एकड़ एवं 0.30 एकड़ भूमि सम्मिलित है। अधिनियम की धारा -4 एवं 6 के तहत कार्रवाई पूर्ण करते हुए धारा - 9 के तहत सभी संबंधित हित संबद्ध रैयतों को सूचना निर्गत कर, उनके अर्जनाधीन भूमियों में स्वार्थ, क्षतिपूर्ति के दावे की रकम एवं दावे की प्रकृति के संबंध में स्वयं अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्गत कर तामिला कराया गया है। तत्पश्चात प्रमण्डलीय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची के पत्रांक –115, दिनांक 10.03.2005 के आलोक में अविक्रयशील जमीनों के उपज के आधार पर निर्धारित दर में 20 प्रतिशत की बढोतरी करते हुए श्री बृखभान अग्रवाल की कुल भूमि 2.81 एकड़ एवं झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र बीरू की कुल भूमि 0.30 एकड़ का क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 208799.00 रू0 एवं 19760.00 का घोषित पंचाटित

		राशि का भुगतान आपत्ति के साथ प्राप्त किया गया है। परन्तु झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र बीरू द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहण में हुई लापरवाही में सुधार करते हुए पुनः मुआवजा दर का निर्धारण करते हुए आपत्ति के साथ राशि स्वीकार करने वाले उक्त दो रैयतों को संशोधित दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-18 के तहत हित संबंद्ध व्यक्ति/संबंधित रैयत द्वारा पंचाटित राशि से विक्षुब्ध होने की स्थिति में समाहर्त्ता को लिखित आवेदन द्वारा आधारों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण के अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किया जाय। परन्तु प्रासंगिक मामले में रैयतों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः पंचाटित राशि में किसी प्रकार का बढ़ोतरी अथवा मुआवजा राशि में संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत

तारांकित प्रश्न सं0 - 20/16.2.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत पूरे राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्यालय के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार विद्यालय के विकास कोष से कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से भी जीर्णोद्धार करने का प्रावधान है।

2	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में अन्य जर्जर सरकारी भवनों, अस्पतालों इत्यादि के मरम्मत कराने की व्यवस्था होती है, और इसके लिए अलग से फण्ड का भी प्रावधान होता है।	इस खंड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो समेत पूरे राज्य के जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विद्यालय विकास कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् भवनों की मरम्मति की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जानी है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 16.02.2016

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार का जवाब प्राप्त है और सरकार भी आंशिक रूप से स्वीकार करती है कि राज्य भर के जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं उसकी स्थिजि जर्जर है। सरकार ने जवाब दिया है विद्यालय विकास कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् भवनों की मरम्मति की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जानी है। जो विद्यालय विकास कोष है, उसमें इतनी राशि नही रहती है कि उससे विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार किया जाय, मरम्मत किया जाय। उसमें मासूम बच्चे पढ़ते हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों ऐसे विद्यालयों में गया और जब जाकर देखा तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। आधा छत टूटा हुआ है। वे भवन कब गिर जाये, कोई कह नहीं सकता है। ये सिर्फ हमारे विधान सभा क्षेत्र का हाल नहीं है, मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य भर की ये समस्या है और कब बड़ी दुर्घटना हो जाये, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ सुरक्षित रखना, सबसे पहले आवश्यक है। इसलिए सरकार ने जो कहा है कि चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् हम मरम्मत करायेंगे। वो चरणबद्ध अभियान मरम्मत करने का कब से शुरू होगा और कब तक समाप्त हो जाएगा? यह सदन जानना चाहती है।

अध्यक्ष : इससे संबंधित और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते है।

श्री सुखदेव भगत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी ने जो कहा मेरा भी उसी से संबंधित था कि सरकार सर्वे करा ले और उसके बारे में सूची तैयार करा ले।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो लघु जर्जर भवन हैं, उसके मरम्मति के लिए 25 हजार रूपये की राशि दी जाती है और वृहत जर्जर है। उसके लिए 4 लाख तक की राशि देने का प्रावधान है और अभी हमलोग जिलावार सर्वे करा रहे है और जो मरम्मत के लायक है उसकी मरम्मति होगा और नहीं तो फिर उसको ध्वस्त करके नया बनाया जायेगा और वैसे यदि बहुत आवश्यक है तो विधायक मद से भी अगर बहुत जरूरी है तो कराया जा सकता है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, विधायक मद से मरम्मति का कार्य नहीं हो सकता है। 25 साल हो गये और 25 साल में एक बार भी मरम्मत नहीं हुआ। मैं यहाँ देखता हूँ पिछले सत्र में आया विधान सभा के बाहर, मैंने देखा काम हो रहे हैं। अभी आया महोदय फिर काम हो रहे हैं हमेशा काम पे काम हो रहे है। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे है प्राथमिक विद्यालय में और विद्यालय भवन जर्जर हैं क्या वो मरम्मत नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष : ठीक है माननीय सदस्य, श्री बिरंची जी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि एक समय सीमा बताये न कि दो महीने, तीन महीने के अन्दर, छः साल के अन्दर हो जाएगा, कुछ तो बताये सरकार। कोई समय सीमा तो दीजिये कि ये मरम्मत आखिर कब तक होगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बतायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप सहयोग करना चाह रहे है।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बोकारो के बारे में भी और शेष राज्य के बारे में भी इस पर विचार व्यक्त किया है। सरकार की ओर से माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि लघु जर्जर, अति जर्जर श्रेणी बना कर इसकी मरम्मत करायेगी और कराने का प्रावधान भी उन्होंने किया है। महोदय, सर्वे कराने के बारे में भी सरकार ने कहा है। सारी जानकारी आ जाती है तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो भी इस तरह के डेड एसेट के रूप में है या जो इस तरह की जो परिसम्पति सृजित हो गयी, जो राज्य के लिए उपयोगी नहीं है उसकी सूची बना कर पूरी तरह से सरकार इसमें मरम्मत करायेगी और सभी विभागों के भी इस तरह की जो सहायता देनी है वो सहायता देगी। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वो उत्तर संतोषप्रद है और सरकार इसके बारे में निधि की व्यवस्था करके कार्रवाई करेगी। चूंकि बजट आने वाला है दो दिन में इसलिए इसके बारे में इसके पूर्व में कुछ कहना उचित नहीं है, परंतु माननीय मंत्री जी ने जो जिज्ञासा की संतुष्टि की है, मुझे लगता है कि उससे सदन को संतुष्ट होना चाहिए। सरकार सर्वे कराकर इस काम को करायेगी।

श्री बिरंची नारायण : ठीक है, धन्यवाद महोदय।

विद्यालय विकास कोष एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भवनों के निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है तथा इसमें और समय लगने की संभावना है। यहां उल्लेखनीय है कि राज्य में विद्यालयों में आधारभूत संरचना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपया 110.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है तथा इस राशि में नये अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु भी राशि सम्मलित है। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी है।

विभागीय पत्रांक - 1258 दिनांक 13.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि निदेशालय के पत्रांक - 365 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा मासी मारसाल मध्य विद्यालय कंजकिलो, दुधमो को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

बोकारो महिला कॉलेज को मॉडल कॉलेज का दर्जा

तारांकित प्रश्न संख्या - 10 दिनांक - 16.2.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो महिला कॉलेज 40 वर्ष पुराना महिला कॉलेज है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो महिला कॉलेज के पास BSL द्वारा दी गयी 10 एकड़ जमीन और पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इसे सरकार द्वारा अंगीभूत कर मॉडल कॉलेज का दर्जा नहीं दिया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो महिला कॉलेज को अंगीभूत करते हुए मॉडल कॉलेज का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अंगीभूतीकरण का कोई निर्णय नहीं है।

विस्थापितों हेतु राशन कार्ड

तारांकित प्रश्न संख्या - 04 / 18.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो में स्टील प्लांट तथा अन्य कार्यों हेतु जमीन के अधिग्रहण के कारण लगभग पचास साल पहले से अब तक विस्थापित किये गये लगभग पांच हजार से अधिक विस्थापित परिवारों द्वारा लगातार नागरिक सुविधाओं की मांग की जाती रही है	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पूर्णतः एवं आंशिक रूप से कुल 51 ग्रामों का अर्जन किया गया है, इसमें से 20 ग्रामों के गृह प्रखण्ड से प्रभावित विस्थापित भूमि का वर्तमान दर से मुआवजे का भुगतान एवं सभी विस्थापितों के नियोजन की मांग और इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बहाल हो ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर अभी तक अपनी अधिग्रहित भूमि पर ही बसे हुए है	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित क्षेत्रों में जहां पिछले 50 वर्षों से राशन कार्ड नहीं बना है उन विस्थापित क्षेत्रों के लोगों का राशन कार्ड बनावाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत विस्थापित क्षेत्रों में राशन कार्ड का निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में छुटे हुए योग्य लाभुकों का फार्म भरकर जमा लिया जा रहा है इसकी अंतिम तिथि 15.02.2016 तक निर्धारित थी।

इजरी नदी से सिंचाई सुविधा

तारांकित प्रश्न संख्या - 09 / 18.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चास प्रखंड के 8 पंचायतों सूनता, जाला, घटियाली, पश्चिमी सोनाबाद, पूर्वी सोनाबाद, चाकुलिया एवं नारायणपुर, इत्यादि के आस-पास के हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पंचायत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा न होने से वहां के किसानों के मध्य आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है;	
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चास प्रखंड के जाला ग्राम स्थित इजरी नदी से उक्त 8 पंचायत क्षेत्रों में Lift Irrigation के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इजरी नदी से Lift Irrigation के लिए सर्वेक्षण कराया जायेगा। तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर क्षेत्रीय संतुलन के आधार, उपलब्ध बजटीय उपबंध एवं लाभ-लागत गणना के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

बोकारो में मेडिकल कॉलेज खुले

तारांकित प्रश्न संख्या - 15 / 19.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, 6 कोल वाशरी, करीब आधा दर्जन थर्मल पावर प्लांट एवं अनेको छोटे बड़े कल-कारखाना स्थापित हैं और यहां लम्बे समय से एक मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की जाती रही है;	स्वीकारात्मक।

2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बोकारो जेनरल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने संबंधी स्वीकृति प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने अथवा बोकारो जेनरल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देते हुए इसे सुपर क्रिटीकल मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक - 91 (7A) दिनांक 12.03.2011 द्वारा बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु SAIL प्रबंधन को Essentially Certificate प्रदान किया गया है। बोकारो में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक - 216 (9) दिनांक 10.12.2015 द्वारा अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड इस्पात भवन, लोदी रोड नई दिल्ली को कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

बागवानी मिशन के कार्यों की जाँच

तरांकित प्रश्न संख्या - 30/25.02.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य बागवानी मिशन सोसाईटी की आम सभा दिनांक 22.01.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय बागवानी योजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। दिनांक 17.01.2006 को राज्य बागवानी मिशन की कार्यकारिणी समिति में लिये गये निर्णय के आलोक में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सम्पूर्ण कार्य कराये जा रहे थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 से इसमें परिवर्तन करते हुए आवंटित क्षेत्र में लाभुक समूहों के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा लाभुक समूहों के खाते में राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यों की जाँच हेतु प्रमण्डल स्तरीय जाँच दल का गठन किया गया है, जो सभी जिलों में उक्त योजनाओं का निरीक्षण/जाँच कार्य कर रही है;	स्वीकारात्मक है। सभी प्रमण्डल स्तरीय जाँच दलों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। वित्त विभाग से विशेष अंकेक्षण हेतु भी अनुरोध किया जा चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र जाँच पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रमण्डलीय जाँच दलों द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। विशेष अंकेक्षण का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं है।

बोकारो में स्नातकोत्तर की पढ़ाई

तारांकित प्रश्न संख्या - 12/01.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में बोकारो स्टील कॉलेज में आर्टस, कॉमर्स और साइंस विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थियों को दूसरे जिलों में जाने को मजबूर होना पड़ता है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित को ध्यान में रखते हुए बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, बोकारो में आर्टस, कॉमर्स और साईंस विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा-4 (16) एवं 4(17) में अंकित प्रावधान के अनुसार किसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है।

ए.सी. टाउन हॉल का निर्माण

तारांकित प्रश्न संख्या - 09/02.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, 6 कोल वाशरी, करीब आधा दर्जन थर्मल पावर प्लांट एवं अनेकों छोटे-बड़े कल-कारखाना स्थापित हैं और यहां एवं भी टाउन हॉल नहीं है;	प्रश्नगत बोकारो औद्योगिक नगरीय क्षेत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ कार्यरत चास नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतएव औद्योगिक नगर बोकारो में टाउन हॉल का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि टाउन हॉल नहीं होने से बोकारो में सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम करवाने में परेशानी होती है;	उपर्युक्त कंडिका - 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो नगर में नागरिकों की सुविधा हेतु एक 2000 क्षमता वाले ए0सी0 टाउन हॉल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका - 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

पिण्ड्राजोरा एवं माराफारी को प्रखण्ड बनाना

तारांकित प्रश्न संख्या - 34/02.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र स्थित पिण्ड्राजोरा एवं माराफारी घनी आबादी में बसा क्षेत्र है;	बोकारो जिलान्तर्गत पिण्ड्राजोरा एवं माराफारी पंचायत में कुल जनसंख्या क्रमशः 62092 एवं 75017 है।

2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को देखते हुए बोकारो विधान सभा क्षेत्र स्थित पिण्ड्राजोरा एवं माराफारी को प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पिण्ड्राजोरा एवं माराफारी क्षेत्रों में पंचायतों की संख्या क्रमशः 12 एवं 17 है। आबादी एवं पंचायतों की संख्या, दोनो दृष्टिकोणों से वर्णित क्षेत्र प्रखंड सृजन/गठन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया की अहर्ता पूर्ण नहीं करता है।

रिवार्ड राशि का भुगतान

तारांकित प्रश्न संख्या - 83/03.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि श्री बृखभान अग्रवाल, सरकारी वकील, सिमडेगा द्वारा सिमडेगा जलपथ प्रमण्डल सं0 - 1 में मुकदमा संख्या - विविध 01/92 मे. पंचम सिंह बनाम सरकार के मुकदमें में Arbitrator द्वारा घोषित आवार्ड रू0 2,15,00,000.00 एवं 18 प्रतिशत ब्याज जिसकी कुल रकम साढ़े तीन करोड़ होती है, जो सरकार के द्वारा संवेदक को देय रकम थी, के मामले में श्री अग्रवाल ने सरकार के पक्ष में जीत हासिल की, जिससे सरकार का तीन करोड़ पचास लाख रूपये बचा है;	स्वीकारात्मक।

2	क्या यह बात सही है कि दिनांक 08.08.2005 को उपरोक्त मुकदमें में जीत के परिणामस्वरूप विभाग के द्वारा श्री अग्रवाल को Reward दिये जाने की अनुशंसा की गई थी, जो अब तक मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, रांची में लंबित है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री अग्रवाल तत्कालीन GP को अनुशंसित Reward की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यो?	किसी भी न्यायलीय मामले में विभागीय जीत होने पर अलग से Reward का कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय न्यायालीय मामले में पैरवी हेतु सरकारी अधिवक्ता के द्वारा विभाग ने निर्धारित राशि/दर के भुगतान के आधार पर न्यायालीय कार्य किया जाता है।

बोकारो में ई.एस.आई. हॉस्पीटल

तारांकित प्रश्न संख्या - 07/04.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक नगर बोकारो में ESI Hospital नहीं है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक नगर बोकारो में 2 स्टील प्लांट 6 थर्मल पावर प्लांट और करीब आधा दर्जन कोल वाशरी है ?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि श्रमिक बहुल क्षेत्र बोकारो में ESI Hospital न होने से श्रमिकों को काफी परेशानी होती है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। ESI के तहत बीमित श्रमिकों को टाई-अप अस्पतालों में विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा बोकारो जेनरल अस्पताल (BGH) को ESIS द्वारा Empanelled किया जा चुका है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रमिक बहुल औद्योगिक क्षेत्र बोकारो में ESI Hospital खोलने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 163 वीं बैठक के निर्णयानुसार 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना हेतु योजना व्याप्त क्षेत्रों के 25 कि0मी0 के Radius में कम से कम 50,000 बीमित कर्मियों की संख्या अनिवार्य है। सम्प्रति बोकारो क्षेत्र में बीमितों की संख्या कुल 28,157 है, जो अस्पताल हेतु पूर्ण नहीं है।

ट्रेड यूनियन का चुनाव

तारांकित प्रश्न संख्या - 06 / 04.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो स्टील प्लांट में अपने स्थापना काल से लेकर आज तक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नहीं है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। उप महाप्रबंधक (कार्मिक औ.स.) बोकारो स्टील प्लांट के पत्रांक 2016-2013 दिनांक 17.02.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि बोकारो स्टील प्लांट में बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन को Code of Discipline के तहत् प्रबंधन द्वारा मान्यता दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नहीं होने के कारण वर्षो से कार्यरत हजारों मजदूरों का मौलिक अधिकार हनन होता है, वे उचित प्रकार से अपनी बातों को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन के सामने रख नहीं पाते हैं?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसके साथ-साथ उप प्रबंधक बोकारो स्टील प्लांट द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि अन्य यूनियनों द्वारा समय-समय पर उठायी गई मांगों पर प्रबंधककीय स्तर पर वार्त्ता कर समस्याओं का बिन्दुवार निदान किया जाता रहा है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो स्टील प्लांट में गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियन का चुनाव कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों ?	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्रमिक संघ का चुनाव उक्त श्रमिक संघ के निबंधित संविधान के अंतर्गत कराया जाता है। C.W.J.C. सं0 - 8351/ 2000 तथा 10020/2000 श्री रामचन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि निबंधक श्रमिक संघ को किसी भी श्रमिक संघ का चुनाव अपने पर्यवेक्षण में कराने या मान्यता देने का अधिकार नहीं है। अतः सरकार स्तर पर इस तरह का निर्णय नियमानुकूल नहीं होगा।

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास

तारांकित प्रश्न संख्या - 22/08.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों और शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों की अगर तुलना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है, कि शिक्षा का समान स्तर विधार्थियों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जहां निजी स्कूलों में अत्याधुनिक संचार माध्यमों जैसे स्मार्ट क्लास, इत्यादि की व्यवस्था है, वही ग्रामीण इलाकों में इस तरह की आधुनिक शिक्षा पद्धति का घोर अभाव है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कारण ग्रामीण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और शहरी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के मध्य बौद्धिक स्तर में काफी असमानता देखने को मिलती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विर्धार्थियों के समान शिक्षा पद्धति को सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य भर के तमाम सरकारी स्कूलों में शहरी क्षेत्रों के प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर अत्याधुनिक संचार माध्यमों जैसे स्मार्ट क्लास, इत्यादि के द्वारा शिक्षा सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रथम चरण में 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ किया गया है। अन्य विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने की योजना है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 08.03.2016

श्री बिरंची नारायण : महोदय, मेरा सवाल राज्य भर के निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में सामान्य शिक्षा नीति पर है। जवाब मिला है और जवाब में है क आंशिक स्वीकारात्मक बताया गया है। हमलोग राज्य के विकास के लिए बात करते है और अपेक्षा भी करते हैं कि जो जवाब सरकार की ओर से आए वह सीधा-सीधा जवाब आए। लकिन जवाब घुमा-फिराकर आता है। मेरा पूरक यही है कि अगर इन्होंने स्वीकार किया है कि आंशिक स्वीकारात्मक है तो आंशिक स्वीकारात्मक में सरकार ने क्या-क्या स्वीकार किया है यह बता दिया जाय।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्मार्ट क्लास से संबंधित है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट क्लास के साथ-साथ सामान्य शिक्षा नीति पर सवाल है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई निजी विद्यालयों में कोई शिक्षक ज्वाईन करता है तो वह बारह पन्द्रह हजार रूपये में ज्वाईन करता है। अगर प्राथमिक विद्यालय में ज्वाईन करता है तो अठाईस हजार रूपये में ज्वाईन करता है, उसके बाद भी हम अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं बजाय सरकारी विद्यालय की। क्या सरकार तय करती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य के जितने भी अधिकारी, जितने भी शिक्षक हैं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ायेंगे।

डॉ. नीरा यादव (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि सरकारी विद्यालयों की तुलना प्राईवेट विद्यालयों के साथ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो प्राईवेट विद्यालय है वहां पर सुविधाएं अधिक दी जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, इनके सफल नेतृत्व के कारण आज सरकारी विद्यलयों को हम निजी विद्यालयों की तुलना में अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास तभी शुरू किया जा सकता है जब सरकारी

विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था हो जाये और बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। हमलोग स्मार्ट क्लास भी शुरू कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगी कि अपने-अपने क्षेत्र में जितने सरकारी विद्यालय हैं उसमें से कम-से-कम सभी माननीय सदस्य एक-एक स्कूल को गोद जरूर लें और अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाएं तो हमें लगता है कि प्राईवेट विद्यालयों के तर्ज में वह भी आगे बढ़ेगा। महोदय, बाकी सरकार जो हेल्प कर रही है, वह तो निरन्तर करती रहेगी और प्रश्न कर्ता तो जरूर पढ़ाई किये हैं, क्योंकि हमें पता है उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो सरकारी विद्यालय में पढायेंगे।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। लेकिन जिस तरह से जवाब दिया गया कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे है। महोदय, राज्यभर के बच्चे मेरे बच्चे हैं महोदय, मैंने इस भाव से सवाल किया है। राज्यभर के बच्चे मेरे बच्चे हैं महोदय और इस सवाल को इतनी एकदम हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। महोदय, मै बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन ये प्रयास Sufficient नहीं है। महोदय, मैं ये भी जानता हूँ कि जो 14 साल और 65 सालों में हुए हैं, इतनी आसानी से दूर भी नहीं की जा सकती है। लेकिन महोदय, मैं आग्रह करता हूँ कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमी है, उसे दूर किया जाय।

स्टार्टअप योजना की घोषणा

तारांकित प्रश्न संख्या - 22/04.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने तथा कानूनी सुधार की आवश्यकता है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का लाभ राज्य के उद्मियों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में विशेष प्रावधान किये जा रहे है।	स्वीकारात्मक

3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का व्यापक लाभ देने हेतु उद्योग नीति तथा संबंधित कानूनों में बदलाव लाये जा रहे है।	स्वीकारात्मक। नव घोषित झारखण्ड औद्योगिक एवं पूंजीनिवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के कंडिका -6.3 में प्रावधानित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त संबंध में उठाये जा रहे कदमों की घोषणा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं के उत्तर के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक एवं पूँजीनिवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

तारांकित प्रश्न संख्या - 59 / 09.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने झारखण्ड की सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं के कारणों के आलोक में राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों पर कुल 167 एक्सीडेंट पॉइंट्स चिन्हित किये हैं, जिसमें से 85 तीखे मोड़, 43 पहाड़ी क्षेत्रों के अंधे मोड़. 16 संकरे पुल एवं 23 स्थल सड़क निर्माण के स्थापित मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं (इनसफीसियेंट ग्रैडियेंट) होने के कारण है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि सर्वाधिक खतरनाक एक्सीडेंट पॉइट्स रामगढ़, कोडरमा और धनबाद में स्थित है एवं इन 167 एक्सीडेंट पॉइंट्स के कारण हर वर्ष औसतन करीब 5000 दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 2600 जाने जाती है;	दुर्घटना की संख्या एवं इनके कारण जान माल की क्षति की जानकारी पथ निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

3	क्या यह बात सही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति को भी उक्त आशय की रिपोर्ट भेजी है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उक्त खतरनाक एक्सीडेंट पॉइंटस को खत्म करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध तरीके से इनके निराकरण किये जाने का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में 25 पथ प्रमंडलों अंतर्गत् विभिन्न दुर्घटना संभावित स्थानों के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 11.30 करोड़ रूपये की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

उक्त प्रश्न पर चर्चा : 09.03.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल राज्य में नित्य हो रहे एक्सीडेंट्स से संबंधित है और सरकार ने स्वीकार भी किया है कि 167 ऐसे पॉईंट्स है। जहां पर नित्य दुर्घटनाएं हो रही है। सालाना 5000 दुर्घटनाएं हो रही है। जिसमें ढ़ाई हजार से ज्यादा जाने जा रही है। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि चरणबद्ध तरीके से उन एक्सीडेंट्स पॉईंट्स को हम ठीक करने जा रहे हैं। वो किस प्रकार ठीक करने जा रही सरकार महोदय, ये जानना चाहते हैं महोदय।

अध्यक्ष : माननीय विभागीय मंत्री जी।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमलोगों ने विभाग के द्वारा सभी डिवीजन को जो पथ निर्माण विभाग के डिवीजन है, सभी 25 डिवीजन को निर्देश दिये हैं कि इस तरह का जहाँ कहीं पर डेंजर जोन है, जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है, वैसे जगहों को सर्वे कर चिन्हित करके विभाग को बतायें। उसी विषय को लेकर लगभग हमलोगों ने 11.30 करोड़ रूपया 25 डिवीजन को देने का काम किया है। उस जगह को चिन्हित करके जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है उसको आप ठीक करके मुझे बतायें। इस तरह से कार्य चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो इस वित्तीय वर्ष

का है। अगर अगले वित्तीय वर्ष में भी जरूरत पड़ेगी तो हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में विभाग के द्वारा पैसा देंगे।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं। उन्होंने 2001 में चर्चा किया था कि वे जेनेवा श्रम सम्मेलन में गये थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां का अनुभव जो 2001 में बताया था कि कैसे 5-7 मिनट के अंदर एक टीम आ गयी और इनको तुरंत होस्पिटल पहुंचाया, फिर जो एक्सीडेंट गाड़ी थी उसको एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाल दिया। मुझे 2001 की घटना याद है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था। महोदय, तो क्या उस तरह की व्यवस्था हमारे झारखण्ड में लागू नहीं हो सकती है? अगर उस प्रकार की व्यवस्था हमारे झारखण्ड में लागू नहीं हो सकती है? अगर उस प्रकार की व्यवस्था हमारे झारखण्ड में लागू हो, जो 2001 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहकर सुनाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि सदन में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और आज वे खुद मुख्यमंत्री भी है। अगर उस तरह की व्यवस्था झारखण्ड की एन0एच0 में लागू हो जाय तो मुझे लगता है कि यह झारखण्ड की जनता के बहुत हितकर में होगा।

अध्यक्ष : बिरंची जी जब आप इशारा कर दिये हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब भी दे रहे हैं।

श्री रघुवर दास (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम सबों के लिए चिन्ता का विषय है दुर्घटनाएं काफी हो रही है। हमारे लोग काफी असामयिक दुर्घटना में मौत के शिकार हो रहे हैं। अभी हाल में हमारे केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी आये थे। उनके भी विभाग के अधिकारी थे और हमारे पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारी थे। हमलोगों ने चर्चा की और माननीय केन्द्रीय मंत्री ने भी आश्वस्त किया। हमलोगों के चर्चा के दौरान जो हमारे माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा जी ने बताया कि हमलोगों का कहाँ-कहाँ एक्सीडेंटल प्वाइंट है, उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं। जो माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी ने भी सुझाव दिया उसको आने वाले समय में हमलोग उस प्वाइंट पर फेज वाईज ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि कोई दुर्घटना हो तो तुरंत उपचार भी मिले और रोड किल्यर भी रहे। महोदय, यह सरकार की दूर दृष्टि है। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उक्त प्रश्न पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विभागीय पत्रांक - 4367 (S) WE दिनांक 15.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध तरीके से इनका निराकरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 11.30 करोड़ रूपये की राशि से 25 पथ प्रमण्डलों में दुर्घटना संभावित स्थानों का निराकरण किया गया है।

हजारीबाग-रांची- रामगढ़ (NH 33) पथांश में फोरलेन कार्य पूर्ण किये जाने से दुर्घटना संभावित क्षेत्र समाप्त कर दिये गये हैं।

झारखण्ड राज्य अंतर्गत् अन्य रा.उ.प. में चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निराकरण हेतु कुल 34.85 करोड़ रूपये का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया गया है।

बोकारो से चन्द्रपुरा को जोड़ने वाले पुल का संपर्क पथ

तारांकित प्रश्न संख्या - 36/09.03.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो को चन्द्रपुरा से जोड़ने वाले स्थान पर दामोदर नदी पर करोड़ों रूपये की लागत से वर्ष 2004-05 से पुल बन कर तैयार है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पुल पर संपर्क पथ न होने से करोड़ों रूपये की लागत से बना यह पुल बेकार साबित हो रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त पुल पर संपर्क पथ का निर्माण कराकर बोकारो और चन्द्रपुरा के मध्य आवागमन चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का कार्य प्रक्रियाधीन है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पथ निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

पुलों के नीचे जल संचय हेतु डेटम वॉल

तारांकित प्रश्न संख्या - 114 / 10.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत राज्य भर के नदियों पर बने पुल चाहे वह छोटा हो, मध्यम हो अथवा बड़ा हो पर अब तक Datum Wall जैसी कोई भी संरचना जल संचय हेतु नहीं बनायी गयी है;	पथ निर्माण विभाग द्वारा यातायात के उद्देश्य से नदियों पर पुल बनाया जाता है जिसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्थापित विशिष्टियों एवं प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाता है। इसका मूल सूत्र यह है कि पानी के बहाव को कम से कम बाधित किया जाय। जल संचय करने वाली संरचनाओं को पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पुलों के नीचे पिलर से आधा मीटर से पौन मीटर Datum Wall बना दिया जाए तो वहां जल संचय होगा, आसपास के क्षेत्रों में पटवन की सुविधा हो पाएगी एवं इसके आसपास वास करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त हो सकेंगे तथा वे इससे अपने रोजमर्रा के काम निष्पादित कर सकेंगे और इससे भूमि का वाटर लेबल भी बढ़ेगा,	
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापाक जनहित को देखते हुए उपरोक्त परिस्थिति में जल संचय हेतु बोकारो समेत राज्य भर के समस्त नदियों पर बने उक्त छोटे, मध्यम और बड़े पुलों के नीचे Datum Wall जैसी संचरना बनवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	

दर्ज वादों का त्वरित निष्पादन

तारांकित प्रश्न संख्या - 02/14.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा लिखे पत्र के बाद मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) की ओर से राज्य के सभी विभागीय सचिव, उपायुक्तों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी कर अविलम्ब अभिलेख तथा सम्पति के ब्यौरे उपलब्ध कराने की बात की गयी थी, परन्तु अब तक अनुपलब्ध हैं ?	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची में लंबित 20 काण्डों एवं 60 जाँचों के अग्रेतर अनुसंधान हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) के पत्रांक 237/अनु0 दिनांक 12.02.2015 एवं पत्रांक 238/अनु0 दिनांक 12.02.2015 द्वारा विभिन्न विभागों से अनुरोध किया गया। उक्त 20 काण्डों में से 15 काण्डों में तथा उक्त 60 जाँचों में से 44 जाँचों में विभिन्न विभागों से वांछित अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 05 काण्डों एवं 16 जाँचों में वांछित अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची को करीब 62 मामलों में दस्तावेज एवं सम्पति के ब्यौरे की तलाश है ?	वर्त्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उक्त 05 काण्डों एवं 16 जाँचों के अतिरिक्त 12 अन्य काण्डों एवं 25 अन्य जाँचों में अभिलेख एवं सम्पत्ति का ब्यौरा की आवश्यकता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को वांछित दस्तावेज और ब्यौरे उपलब्ध कराने तथा उक्त मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दर्ज वादों का त्वरित निष्पादन करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अवशेष काण्डों एवं जाँचों में वांछित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

खेलों के आयोजन का हिसाब

तारांकित प्रश्न संख्या - 41 / 15.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 में राज्य के खेलों के आयोजन के मद में केन्द्र से मिले 2.81 करोड़ रूपये का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र और हिसाब न देने के कारण केन्द्र सरकार ने नई फंडिग करने से साफ इंकार कर दिया है, जिससे झारखण्ड को प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 95 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि 4 वर्षों से एक भी नया पैसा केन्द्र सरकार ने राज्य के खेल विभाग को नहीं दिया है, जिसके चलते 260 प्रखण्डों में कोई टुर्नामेन्ट आयोजित नहीं हो पाया है, जबकि इस अवधि में टूर्नामेन्ट होने से कई अच्छे खिलाड़ी राज्य को मिल सकते थे;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस वित्तीय वर्ष में भी प्रखंड से राज्य स्तर तक निम्नलिखित टूर्नामेंट करवाये गये :- सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता जवाहार लाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता स्कूल फेडरेशन ऑफ गेम्स की प्रतियोगिताएं यथाः फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि। स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल एवं हॉकी की महिला / पुरूष प्रतियोगिता आदि।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्र को समुचित सूचना भेजकर झारखण्ड में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और उक्त लापरवाही हेतु दोषी अधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राशि जिला को उप आवंटित की गयी थी। कतिपय जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र अप्राप्त है या अस्पष्ट है। उक्त जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पन्द्रह दिनों के अंदर शत् प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया जायेगा।

शिकायत पत्रों पर कार्रवाई

तारांकित प्रश्न संख्या - 78/11.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि मौजा रामगढ़, थाना सं0 -82, परगणा चैनगढ़ा, तौजी सं0-28, खाता सं0-298, प्लॉट सं0-442, 443 एवं 444 कुल रकबा -86 डिसमिल रैयती एवं 1984 के दंगा पीड़ित श्री मेला सिंह के नाम पर जमीन है, जिसका पॉवर ऑफ अटर्नी श्री रमेश सलूजा मेन रोड रामगढ़ कैन्ट के नाम पर है तथा उक्त जमीन पर श्री भगवान मिश्रा, पिता श्री नारायण मिश्रा ने गलत तरीके से जालसाजी कर कागजात बनवाकर अपने पूर्व के जमीन में मिलाने का अनुचित प्रयास करवाया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, रामगढ़ के प्रतिवेदनानुसार मौजा रामगढ़, थाना सं0-82, परगणा चैनगढ़ा, तौजी सं0-28, खाता सं0-298, प्लॉट सं0-442, 443 एवं 444 कुल रकबा -86 डिसमील भूमि से संबंधित दाखिल-खारिज अपील वाद सं0-11/15-16 भगवान मिश्रा -बनाम - अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं जसवंत सिंह, पिता - स्व0 मेला सिंह तथा विविध वाद सं0 - 12/14-15 जसवंत सिंह-बनाम- भगवान मिश्रा में दायर वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में लम्बित है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त तथ्यों की शिकायत (पत्र) जिले के तमाम संबंधित पदाधिकारियों से करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	न्यायालय में चल रहे वादों के त्वरित निष्पादनार्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों सहित पक्ष रखा जा सकता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार श्री सलूजा की जमीन को श्री मिश्रा से मुक्त कराने एवं उक्त पत्रों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सक्षम न्यायालय के आदेशोपरांत नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

बस संचालन का परमिट

तारांकित प्रश्न संख्या - 19/16.03.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के भीतर एवं बाहर बसों के परिचालन में परमिट निर्गत किये जाने में दो बसों में मध्य 10 मिनट का फासला रखने का प्रावधान है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकारण, झारखण्ड, रांची के द्वारा वाद संख्या - T.R.NO. – 25/2013, में दिनांक 20.03.2014 को पारित आदेश के अनुसार दो बड़ी बसों के मध्य 10 से 5 मिनट का अंतराल एवं दो छोटी बसों के मध्य 5 से 3 मिनट का अन्तराल किये जाने संबंधी आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में व्यस्त मार्गों पर समय उपलब्ध नहीं रहने पर 5 से 3 मिनट के अंतराल भी रखने का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि बहुत से बस संचालक परमिट लेने के बावजूद बस का संचालन नहीं करते हैं, जिसके कारण दो बसों के मध्य अंतराल कुछ रूटों में काफी अधिक हो जाता है, जिस कारण नये संचालकों को समय नहीं मिल पाता है;	अंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट की दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अंतराल को कम करके प्रत्येक 5 मिनट पर बस संचालन का परमिट देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, झारखण्ड, राँची के द्वारा वाद संख्या - T.R. No. 25/2013, में दिनांक - 20.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में 5 मिनट के अंतराल पर बस संचालन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर परमिट नियमानुसार निर्गत किये जा रहे है।

अतारांकित प्रश्न

लाईटनिंग प्रोन एरिया में तड़ित रोधक यंत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या - 04 / 15.02.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वज्रपात के कारण प्रत्येक वर्ष कई लोगों की मौत हो रही है:	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है झारखण्ड की जमीनों में धातुओं के अयस्क होने के कारण यहां लाईटनिंग प्रोन एरिया ज्यादा है;	स्वीकारात्मक। कई कारणों में से यह भी एक कारण है।
3	क्या यह बात सही है समय-समय पर सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है कि सरकारी संस्थानों, मंदिरों, स्कूलों सहित शहर गॉव के महत्वपूर्ण संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विभाग तड़ित रोधक यंत्र लगाये।	वस्तुस्थिति निम्नवत है:- (क) दिनांक 10.10.2007 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में WP (PIL) No. 3170/2007- Court on its own motion Vs. state of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08. 2007 एवं 27.09.2007 को पारित आदेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे:- 1. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सही गुणवत्ता का तड़ित चालक क्रमबद्ध रूप से लगाने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय। इस कार्य हेतु राशि उपलब्धता के संबंध में भी विभाग को एक स्पष्ट Exercise करने का निदेश दिया गया। 2. बैठक में भवन निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि

		निर्माण किये जा रहे भवनों में सरकारी जो G+3 श्रेणी के हैं में तड़ित चालक लगाने हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश निर्गत किया गया है। 3. आवासीय व्यावसायिक तथा कार्यालय उपयोग के भवनों में तड़ित चालक लगाने हेतु नगर विकास विभाग को निदेशित किया गया था। (ख) दिनांक 10.10.2007 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में WP(PIL) No. 3170/2007 से संबंधित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन का अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के आलोक में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से प्राप्त पत्रांक 997, दिनांक 12.05.2015 से स्पष्ट है कि प्राधिकार में भवन प्लान की स्वीकृति देते वक्त भवनों में तड़ित चालक लगाने की अनिवार्यता के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है। (ग) दिनांक 10.10.2007 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में WP(PIL) No. 3170/2007 से संबंधित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन का अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के आलोक में भवन निर्माण

		विभाग से प्राप्त पत्रांक- 2262, दिनांक 27.07.2015 से स्पष्ट है कि विभिन्न भवन प्रमण्डलों एवं सरकारी जी+3 भवनों में भी तड़ित चालक के अधिष्ठापन संबंधी कार्य किये जा रहे है। (घ) दिनांक 05.06.2015 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार SDM। की बैठक की कार्यवाही संख्या-14 में निर्णय लिया गया है कि राज्य में उपस्थित सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक/रोधक अधिष्ठापित करने के लिए मानव संसाधन विभाग से वज्रपात से प्रभावित अतिसंवेदनशील सरकारी विद्यालयों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त की जाय, जहां पूर्व में तड़ित चालक स्थापित नहीं किये गये है, ताकि वहां तड़ित चालक/रोधक का अधिष्ठापन किया जा सके। उक्त निर्णय के आलोक में सरकारी विद्यालयों की सूची स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग से प्राप्त की जा रही है। (ड़) दिनांक 16.06.2015 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में श्रावणी मेला, 2015 के लिए आहूत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कम्प्लेक्स में उपायुक्त देवघर द्वारा E.S.E.L.P.S. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य कराया गया है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के लाईटनिंग प्रोन एरिया को चिन्हित करते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तड़ित रोधक यंत्र लगवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

मुख्य अभियंता पद पर पदस्थापन

अतारांकित प्रश्न संख्या - 08/11.04.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग के 09 अधीक्षण अभियंता तथा 06 कार्यपालक अभियंता, अभियंता प्रमुख के 02 तथा मुख्य अभियंता के 19 पदों पर चालू प्रभार/ अतिरिक्त प्रभार के तहत् कार्यरत है?	-आंशिक स्वीकारात्मक, वर्तमान में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 57 कार्यपालक अभियंता, 24 अधीक्षण अभियंता, 08 मुख्य अभियंता एवं 02 अभियंता प्रमुख चालू प्रभार में कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता के 06 पद रिक्त है, जिन पर अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है?	-जल संसाधन विभाग अंतर्गत मुख्य अभियंता के 13 पद सृजित है, जिसके विरूद्ध 08 पद पर मुख्य अभियंता चालू प्रभार में कार्यरत है तथा शेष 05 पद रिक्त है। -04 मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) में बाह्य विभाग में पदस्थापित है।
3	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग ने मई 2015 की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में एक माह के अन्दर सभी रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने की बात कही थी ?	- अस्वीकारात्मक -विषयक मामला डिप्लोमाधारी अभियंताओं के नियमित प्रोन्नति से संबंधित है, जो पथ निर्माण विभाग से संबंधित है।

4	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने दिनांक 18.10.2014 को माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था कि प्रतिवादी संख्या-06 अर्थात श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नत /पदस्थापित किया जा सकता है?	- स्वीकारात्मक -श्री शिवानन्द राय, मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) के पद पर पदस्थापित हैं।
5	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री शिवानन्द राय को मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	श्री शिवानन्द राय, मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) के पद पर पदस्थापित किया जा चुका है।

ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका को साथ ले जाने का प्रावधान

अतारांकित प्रश्न संख्या - 01/06.05.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि पाँचवीं JPSC पी.टी. परीक्षा में 9000 से अधिक OMR Answer sheet को रद्द किया गया था ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि JSSC एवं JPSC द्वारा संचालित परीक्षा में OMR Answer sheet के कार्बन कॉपी रखे जाने का प्रावधान नहीं है?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयेाग द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रणाली विकसित किया जायेगा कि प्रारंभिक परीक्षा के OMR Sheet की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो सके। इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3143 दिनांक 13.04.2016 निर्गत किया गया है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, 2015 में OMR answer sheet के कार्बन कॉपी का प्रावधान किया गया है, जिसे अभ्यर्थी परीक्षा के पश्चात ले जा सकेंगे।

3	क्या यह बात सही है कि कई राज्यों में यथा मध्य प्रदेश एवं रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षार्थी को OMR answer sheet के कार्बन कॉपी को परीक्षा उपरांत अपने साथ ले जाने का प्रावधान भी सन्निहित होता है।	विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
4	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में भी इस तरह के प्रावधान होने से प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम में व्यापक पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ?	कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में OMR answer sheet के कार्बन कॉपी को परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

वाहनों का त्वरित निष्पादन

अतारांकित प्रश्न संख्या - 03 / 11.05.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के विभिन्न थानों विभिन्न कांडों के अंतर्गत कई वाहन पन्द्रह वर्षो से भी अधिक साल से जब्त करके रखे हुए है?	स्वीकारात्मक। राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में कांड दर्ज होने के क्रम में वाहन जप्त किये जाते हैं और थाना मालखाना में सुरक्षार्थ रखा जाता है तथा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार इन जब्त वाहनों को छोड़ा जाता है।

2	क्या बात सही है कि लम्बे समय से जब्त पड़े वाहनों की स्थिति दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है और थाना परिसर में भी स्थान का अभाव होते जा रहा है, जिससे थाने कबाड़-खाने में तब्दील होते जा रहे प्रतीत हो रहे है?	अस्वीकारात्मक। जब्त वाहनों को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखना न्यायिक बाध्यता है। जब्त वाहनों को थाना परिसर में यथा समय एक निश्चित स्थान पर कतारबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिससे थाना परिसर में अनावश्यक गंदगी जमा नहीं होती है और न ही जमीन का दुरूपयोग होता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर उक्त वाहनों के त्वरित निष्पादन हेतु कोई नियमन का कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मालखाना का रख-रखाव एव प्रदर्श के निष्पादन की कार्रवाई सी.आर.पी. सी. के विहित नियमों के तहत बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप की जाती है। माननीय न्यायालय में कांड के विचारण के पश्चात सामान्य प्रक्रिया में जब्त वाहनों को ससमय मुक्त किया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में सी.सी.टी.वी. कैमरों का अधिष्ठापन

श्री बिरंची नारायण से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : 25.02.2016

झारखण्ड एक नया और विकासशील राज्य है, जहाँ सरकार द्वारा जनहित में नित्य नये सकारात्मक पहल किये जा रहे है। आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है एवं इस बढती आबादी से प्रशासन को विधि व्यवस्था को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। मैं राज्यहित में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं शहर-गाँव के महत्वपूर्ण जगहों, चौक-चौराहों पर सरकार CCTV कैमरा लगावे, जिसके कई फायदे होंगे जैसे अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान में पुलिस प्रशासन को मदद होगी, किसी संदिग्ध स्थिति की जानकारी प्रशासन को तुरंत संभव हो सकेगी तथा चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली की बराबर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर लगाम, जिससे अपराध नियंत्रण के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं शहर-गाँव में महत्वपूर्ण जगहों, चौक-चौराहों पर CCTV कैमरा लगावाया जाये।

सरकार का जवाब : राज्यान्तर्गत विधि व्यवस्था के नियंत्रण हेतु सरकार कटिबद्ध और प्रयत्नशील है। इस दिशा में राँची जिलान्तर्गत CCTV Surveillance System के अधिष्ठापन हेतु पुलिस मुख्यालय के द्वारा परामर्शी की नियुक्ति कर ली गई है। परामर्शी के द्वारा मार्च 2016 तक Request for proposal (REP) तैयार कर लिया जायेगा एवं मार्च 2016 में निविदा प्रकाशित कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में CCTV Surveillance System राँची जिलान्तर्गत क्रियान्वित हो जायेगी एवं राँची में उक्त प्रणाली के सफल अधिष्ठापन के उपरांत अन्य जिलों में अधिष्ठापन की कार्रवाई की जायेगी।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा : 25.02.2016

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विधि से संबंधी विषय है। सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने से संबंधित मामला है, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इसे स्वीकार किया है कि सी.बी.आई. जाँच करवा दिये हैं बोल रहे हैं, सरकार ने स्वीकार किया है कि सी.सी.टी.वी. मैं लगाऊँगा। आग्रह सिर्फ इतनी ही है कि राँची में प्रायोगिक तौर पर लगाना चाहते हैं। राँची से जो इंडस्ट्रीयल जिले हैं, मैंने विधायक मद से 12 लाख रूपये दिये हैं, इसका बड़ा लाभ है महोदय। तीन महीने में ग्राफ कहीं नहीं गिरा है। सिर्फ राँची ही नहीं, बल्कि जो इंडस्ट्रीयल जिले हैं - बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, इस तरह के जिलों में भी अगर शुरू हो जाय महोदय तो राज्य की जनता बहुत आभारी रहेगी।

अध्यक्ष : ठीक है। माननीय प्रभारी मंत्री जी। विधायक मद् से भी राशि दी है।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की सलाह ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है। ये काफी अच्छा सलाह है और माननीय विधायक जी ने अपने विधायक मद से भी सी.सी.टी.वी. के लिए अनुशंसा करके, अपने बजट में सरकार से, ग्रमीण विकास विभाग से, प्रस्ताव भेज करके स्वीकृति माँगा था, उसको हमलोगों ने सरकार के माध्यम से, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से देने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, उसको देने का काम किया है। इसलिए हमलोगों ने स्वीकार किया महोदय, कि हम प्रथम चरण में राँची में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा करके फिर इसका फलाफल देख करके, फिर अन्य जिलों में भी हम लगाने का काम करेंगे। हमलोग अभी राँची में शुरूआत करने का काम कर रहे हैं, राँची में शुरूआत हुई, फलाफल के आधार पर हमलोग उसमें काम करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को हम सूचना दे रहे हैं। हमारा सदन चल रहा है। उच्चस्तरीय बैठक में पदाधिकारियों की ओर से अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया गया था कि सी.सी.टी.वी. कैमरा हम अलग ढंग से लगायेंगे यहाँ, और आज जब हम पौने 11:00 बजे निरीक्षण करने निकले तो देखे कि उनका जो मोनिटरिंग रूम है, तो तब तक नही खुला था तो आखिर हमलोग कितना गंभीर है, इस विषय को थोड़ा संज्ञान में लेते हुए इसी संदर्भ में विधान सभा परिसर का मामला है और विधान-सभा में सत्र भी आहूत है। इसको आप काइंडली देखा लें और इसको बताएँ कि आखिर प्रशासन चुस्त है कि दुरूस्त है। ये बता दें, ठीक है।

उक्त प्रस्ताव पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

विभागीय पत्रांक - 3403 दिनांक 14.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय पत्रांक - 3194 दिनांक 29.06.2016 द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, रांची से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कृत कार्रवाई

उक्त ध्यानाकर्षण के आलोक में झारखण्ड सरकार की कैबिनेट ने 10.01.2017 को राँची शहर को सुरक्षित करने हेतु CCTV लगाये जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 50.90 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

राँची में फ्लाईओवर निर्माण

श्री बिरंची नारायण, डॉ. जीतु चरण राम एवं श्री रामकुमार पाहन से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : 02.03.2016

''विदित हो कि झारखण्ड की राजधानी रांची की बढ़ती आबादी के साथ-साथ यहाँ वाहनों का दबाव भी बढता जा रहा है, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या बनी रहती है तथा आवागमन दूभर हो जाता है। राजधानी रांची का रातू रोड, कांटाटोली चौक, महात्मा गाँधी पथ (मेन रोड) जाम की समस्या से अधिकतर ग्रस्त रहते हैं, जिससे आम लोगों को व्यापक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्कूलों की शुरूआत, कार्यालयों के कार्यावधि के आरंभ और अंत होने के समय इन इलाकों से सफर करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। कांटाटोली में बस स्टैण्ड होने तथा बरही-रांची पथ से होकर जमशेदपुर जाने वाले वाहनों, रातू रोड होकर छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले माल वाहक तथा यात्री वाहक वाहनों की लंबी कतार के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

अतएव वर्णित समस्याओं के समाधान के निमित रांची के मेन रोड स्थित सुजाता चौक

सहित कांटा टोली चौक और रातू रोड में फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।''

सरकार का जवाब : रांची शहर के रातू रोड चौक एवं कांटाटोली चौक में फ्लाईओवर निर्माण हेतु परामर्शी मे0 मेकान लि0, रांची द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी सीमक्षा हेतु विभागीय पत्रांक 06।/न0 वि0/UT (Major_Roads)/08/15-725, दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। जनता के हित में शहर को जाममुक्त करने की नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में विमर्श हेतु दिनांक 24.02.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी जिसमें मुख्य सचिव, झारखण्ड के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित परामर्शी प्रस्तावित उक्त दो फ्लाईओवर निर्माण हेतु भू-खंड वार भूमि अधिग्रहण/क्रय, फ्लाईओवर के अलाइन्टमेंट के क्षेत्र में आने वाले भवनों के विस्थापन संबंधी विस्तृत विवरणी तथा अनुमानित लागत के साथ पूर्ण डी0पी0आर0 10 मार्च 2016 तक आवश्यक रूप से समर्पित करें।

सुजाता चौक पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव तकनीकी कारणों से उपयुक्त (Feasible) नहीं पाया गया है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा रांची में मोनोरेल के परिचालन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। मोनोरेल के प्रथम प्रस्तावित अलाइन्मेंट सी.आर.पी.एफ., मुख्यालय, धुर्वा, रांची से कचहरी प्रथम प्रस्तावित अलाइन्मेंट सी.आर.पी.एफ., मुख्यालय, धुर्वा, रांची से कचहरी चौक, रांची तक 16.5 कि.मी. लम्बी है जो कि सी.आर.पी.एफ., मुख्यालय, धुर्वा, रांची-प्रस्तावित सचिवालय-JSCA स्टेडियम-शाहदेव चौक-एच.ई.सी. सेक्टर 3-हटिया रेलवे स्टेशन-एच.ई.सी. सेक्टर 2 विधानसभा-बिरसा चौक-हिनू चौक-राजेन्द्र चौक-रांची रेलवे स्टेशन-सिरम टोली- सुजाता चौक-सैनिक मार्केट-डेली मार्केट-फिरायालाल चौक एल्बर्टएक्का चौक होते हुए कचहरी चौक तक जाएगी। उक्त प्रस्तावित अलाइन्मेंट पर विस्तृत परियोजना परामर्शी IDFC के द्वारा तैयार किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावित अलाइन्मेंट पर मोनोरेल के परिचालन से सुजाता चौक पर होने वाले वाहनों की जाम से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

उक्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा : 02.03.2015

श्री बिरंची नारायण : महोदय, आए दिन राँची में जाम लगी हुई रहती है। लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था कि सुजाता चौक, कांटा टोली और रातु रोड में फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जाय। अगर फ्लाई ओवर का निर्माण हो जायेगा तो आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी। मुझे जवाब मिला है और जो जवाब मिला है उसमें है कि परामर्शी की नियुक्ति की गई है दो जगहों के लिए रातु रोड एवं कांटाटोली चौक के लिए और सुजाता चौक के लिए कहा गया

कि हमलोग मोनो रेल चलायेंगे। मुझे दो बात कहनी है एक तो राज्य बनने के बाद दस-पन्द्रह साल हो गये और मात्र एक फ्लाई ओवर बना है। जबकि अब तक आधा दर्जन फलाई ओभर बना करके जनता को सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार ने जो दो स्थानों के लिए जवाब दिया है कि परामर्शी का नियुक्ति हमलोगों ने किया है वो परामर्शी आखिर कब तक काम शुरू करेगा। कब तक फिजिबिलीटी रिपोर्ट सौंपेगा। कब तक काम शुरू होगा?

अध्यक्ष : माननीय विभागीय मंत्री जी।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बिरंची नारायण जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। यह वाकई चिंता का विषय है। इसके लिए राज्य सरकार भी चिंतित है। वर्तमान राज्य सरकार इसके लिए मेकॉन के साथ एम.ओ.यू. की है और मेकॉन को परामर्शी नियुक्त करने का काम किया है। जिसमें दो स्थानों के लिए चयन किया गया है एक कांटाटोली चौक और दूसरा रातु रोड है। रातु रोड बस स्टैंड के लिए अपना डी.पी.आर. समर्पित किया है। लेकिन उस डी.पी.आर. में कुछ खामियाँ रह गई है कि उसके लिए कितना जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा। इसके लिए दिनांक 24.02.2016 में को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसके अन्तर्गत जो मेकॉन है, उसे कहा गया कि आप दिनांक 10.03.2016 तक यानि आने वाले आठ दिनों के बाद आप विस्तृत डी.पी.आर. दीजिए ताकि इस पर आगे बढ़ सके। जहां तक मेन रोड का सवाल है। महोदय, उसमें फिजिबिलिटी नहीं पाया गया और इसलिए वहां पर मोनो रेल की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी है और आई.डी.एफ. सी. परामर्शी के रूप में काम कर रहा है और वो जैसे सी.आर.पी.एफ. मुख्यालय से लेकर भाया सेक्टर-3, सेक्टर-2, हटिया रेलवे स्टेशन, डोरण्डा होते हुए, राजेन्द्र चौक होते हुए, रांची रेलवे स्टेशन होते हुए, सुजाता चौक, डेली मार्केट, अलबर्ट एक्का चौक होते हुए कचहरी तक लगभग 16.4 किलोमीटर उसकी दूरी होती है उसके लिए वह काम कर रही है और उसका एक बार आज से लगभग दो-तीन महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, मैं भी था, सब लोगों को उसने सारी चीजों को दिखाया अध्यक्ष महोदय, तो कुल मिला कर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ और एक चीज बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि रातू रोड जो है वह भी बहुत जाम रहता है, उसके लिए पहले जो एन.एच.आई. है, वह उसका फिजिबिलिटी अस्वीकार कर दिया था। तभी 15-20 दिन पहले माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी रांची आये थे अध्यक्ष महोदय और उसी में एक बैठक यहां पर हुआ था, अध्यक्ष महोदय, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सब लोग थे तो उसमें बात को रखा गया था और उन्होंने कहा था कि पांच सौ करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान केन्द्रीय बजट में हम इसके लिए कर रहे हैं। वहां पर फ्लाई ओभर का जो निर्माण होगा उसके लिए उन्होंने 500 करोड रूपये की राशि बजट में उपबंध करने का उन्होंने हमलोगों को आश्वासन दिया

अध्यक्ष महोदय तो राज्य सरकार चिन्तित है, इस काम को करने के लिए अध्यक्ष महोदय और स्वाभाविक रूप से मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और रांची में रहने वाले या रांची से बाहर से आने वाले लोग जाम से परेशान रहते हैं, ये बात भी सही है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय और जाम से जल्द मुक्ति मिलेगी यह राज्य सरकार विश्वास दिलाने का काम करती है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि परामर्शी की नियुक्ति हो गयी है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि मोनो रेल चलाने का भी निर्णय लिया सरकार ने, इसका दूरगामी अच्छा परिणाम आयेगा। सिर्फ हमको इतना बता दें कि क्या इस Financial ईयर में दोनों जो फ्लाइ ओभर है, उसका निर्माण शुरू हो जायेगा? क्या इस Financial ईयर में मोनो रेल का काम बनना शुरू हो जायेगा महोदय? बस इतना ही सिर्फ जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो जहां तक सवाल है, फ्लाई ओवर का तो निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका काम प्रारंभ होगा। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जहां तक है सवाल मोनो रेल का अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : उसमें टाईम लगेगा?

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ चूंकि समय आपने दिया है तो बताना उचित है तो आई.डी.एफ.सी. परामर्शी के रूप में काम कर रही है। बहुत काम आगे बढ़ चुका है और इसके लिए दो खण्ड हैं, अध्यक्ष महोदय मैं तो एक के बारे में बताया कि जो सी.आर.पी.एफ. के मुख्यालय से लेकर कचहरी चौक तक और दूसरा है अध्यक्ष महोदय, ये जो इटकी रोड में आई.टी.आई. बस स्टैन्ड देखते हैं, वहां से ले करके इसको नामकुम तक ले जाना है और इसके लिए, चूंकि पैसा बहुत चाहिए अध्यक्ष महोदय, तो राज्य सरकार इसके लिए जायका से जो जापान की एजेंसी से इसके लिए करार करेगी अध्यक्ष महोदय। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भारत सरकार को भेजेगी और फिर वहां से फंड उसके लिए हमलोगों को देगी, गारंटी चूंकि केन्द्र सरकार लेती है तो फिर जायका से या वर्ल्ड बैंक से हम पैसे ले करके उसका भी काम प्रारंभ करेंगे।

उक्त ध्यानाकर्षण पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

रांची शहर के रातु रोड चौक एवं कांटाटोली चौक में फ्लाई ओवर निर्माण हेतु परामर्शी मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार डीपीआर पर पथ निर्माण विभाग द्वारा समीक्षा

कर संशोधित डीपीआर पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

उक्त अनुमोदन के आलोक में फ्लाई ओवर निर्माण एवं संबंधित भूमि अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रगति पर है।

रांची शहर में सीआरपीएफ मुख्यालय, धुर्वा रांची से कचहरी चौक, रांची तक (16.5 कि.मी.) मोनोरेल के परिचालन हेतु परामर्शी आईडीएफसी द्वारा तैयार किये गये डीपीआर पर दिनांक 08 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा द्रुत परिवहन प्रणाली के अंतर्गत् रांची शहर में मोनोरेल की अपेक्षा लाईट मेट्रो रेल की सर्वाधिक उपयुक्तता बताई गई हैं उक्त के आलोक में परामर्शी आईडीएफसी को लाईट मेट्रो रेल के विकल्प की तकनीकी रूप से समीक्षा एवं डीपीआर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। चूंकि पूर्व निर्धारित अलाइन्मेंट में कोई विशेष फेरबदल नहीं की गई है अतः उक्त अलाइन्मेंट में लाईट मेट्रो रेल के परिचालन से सुजता चौक पर होने वाले वाहनों की जाम से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

पौधा रोपण की जाँच

माननीय सदस्य, सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, बिरंची नारायण, राधाकृष्ण किशोर का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : 10.03.2016

श्री आलोक कुमार चौरसिया : अध्यक्ष महोदय पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड ग्राम-सेमरा में एवं नवसृजित प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम कुट्टी में वन विभाग द्वारा पौधा रोपण एवं कैम्पा द्वारा पौधारोपन की घेराबंदी में वर्ष 2014-15 में 12 से 14 लाख रूपये का कार्य कागजों पर दिखाकर निकासी कर ली गई है, जबकि धरातल पर यह कार्य शून्य के बराबर है। क्षेत्र दौरा के क्रम में जनता से मिली शिकायत के आधार पर यह जितने पौधे लगाने की बात कही गई है, उतनी जमीन पर नहीं हुई है। अतः चलते सत्र में मैं सदन के माध्यम से पलामू जिले एवं जिले के उक्त ग्राम में वन विभाग द्वारा जो कार्य कराये गये है उसकी जांच आवश्यक है इसमें संलिप्त पदाधिकारी पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके इसके लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सरकार का जवाब : पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम सेमरा एवं रामगढ़ प्रखण्ड के ग्राम कुट्टी में माह जुलाई 2015 (वर्षा ऋतु) के समय भू-संरक्षण एवं वनरोपण (Soil Conservation and afforestation) कार्य अंतर्गत 50-50 हेक्टेयर वन भूमि पर ट्रेंच घेरना, भू-संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच एवं गली प्लगिंग का कार्य भू-संरक्षण रोकने के लिए कराया गया। इसके साथ ही साथ पौधों का रोपण भी किया गया। पौधारोपण हेतु वर्ष 2014-15 में ही अस्थायी नर्सरी स्थापित कर पौधे तैयार किए गए। वर्ष 2015 के मानसून मौसम में कथित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया मानसून अवधि तक वृक्षारोपण

सफल रहा एवं उत्तरजीविता 90 प्रतिशत से अधिक थे परन्तु मानसून की वर्षा सामान्य से अत्यधिक कम होने के कारण पौधों की उत्तरजीविता प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वृक्षारोपण की योजना में उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप आगामी वर्षा ऋतु में मृत पौधों को 2016 के मानसून में बदलने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष : ठीक है। आपको क्या कहना है बिरंची जी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में सिग्नेचरी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल हमलोग जुन-जुलाई में पलामू क्षेत्र में गए थे।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न।

श्री बिरंची नाराण : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह सदन को जानना चाहिए। महोदय, जब हमलोग स्टीमेट कमिटी लेकर गए तो हमारे साथ मनीष जायसवाल जी, पटेल जी, कई लोग थे साथ में हमने जानना चाहा कि इस जिले में कोई ऐसा स्थान बताइए जहां वृक्षारोपण हुआ है।

अध्यक्ष : आपके कमिटी का रिपोर्ट सदन में आ गया बिरंची जी।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, जी, समिति का रिपोर्ट दे दिया है।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरक पूछें।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ। महोदय, समिति को पदाधिकारियों ने बताया कि सतबरवा में एक जगह है जहां पर उद्यान लगाया गया है। जब वहां गए तो वहां जाने से रोका गया, विश्वास कीजिए महोदय, मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। हमलोगों को कहा गया कि सतबरवा में है। जब हमलोगों ने कहा कि सतबरवा हमलोग जायेंगे तो रास्ते को काट दिया गया ताकि हमलोग वहां नहीं जा सके और उसके बाद हमलोग एक किलोमीटर पैदल चलकर गए। मनीष जायसवाल जी, हम और पटेल जी सब लोग गए वहां पर तो देखा कि वहां पर एक भी वृक्ष नहीं है, वहां पर कोई वृक्ष नहीं था। महोदय, इस प्रकार से यह अभियान चलेगा तो बहुत ही दुःखद है। सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

विस्थापन आयोग की मांग

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : 10.03.2016

श्री योगेश्वर महतो : अध्यक्ष महोदय, बोकारो इस्पात कारखाना के लिए बिहार राज्य के राज्यपाल श्री बी0 नारायण से 29 अप्रैल 1964 में भू-अधिग्रहण अधिसूचना जारी किया, जिसमें रैयती, खासमहल, गैरमजरूवा, वनभूमि, सी.एन.टी. प्रभावित करीब 36246 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। मगर विस्थापितों को नियोजन सहित अन्य लाभ

देने में सेल प्रबंधन हमेशा नजरअंदाज करता रहा, जिसके खिलाफ विस्थापित आज भी आंदोलनरत है।.....

.....श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र का मामला है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि वर्ष 1964 में राज्यादेश निकला था कि चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में विस्थापितों को नौकरी, नियोजन दी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की औकात विस्थापितों की नहीं है, Petitioner कौन है, Petitioner स्टील ऑथोरिटी इंडिया लिमिटेड है, जो विस्थापित है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ नहीं सकता है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह करता हूँ पहले भी सदन में मांग उठी है, एक विस्थापन आयोग बनाये सरकार ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण हो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित करना

माननीय श्री बाबूलाल, श्री बिरंची नारायण एवं श्री राधा कृष्ण किशोर का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : 15.03.2016

''केन्द सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के आलोक में झारखण्ड सरकार अपने सभी कर्मियों के सेवा शर्त, वेतन आदि का निर्धारण केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप करने हेतु संकल्प संख्या 660/28.02.2008 के द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उक्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप झारखण्ड के सभी कर्मियों का सेवा शर्त, वेतन आदि का निर्धारण कर दिया गया है, परन्तु आज तक झारखण्ड के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवा शर्त का निर्धारण केन्द्र सरकार के अनुरूप नहीं किया गया है। इस कारण इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के प्रोन्नति का मामला वर्षो से लम्बित है। सरकार की इस उदासीनता के कारण ये चतुर्थवर्गीय कर्मचारी वर्षो से एक ही पद पर निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कुछ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अपनी प्रोन्नति की आशा में या तो सेवानिवृत हो गये या सेवानिवृत होने के कगार पर हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवा शर्त के निर्धारण हेतु तत्कालीन वित्त सचिव राजबाला वर्मा द्वारा आदेश भी दिया गया था साथ ही झारखण्ड राज्य राजस्व पर्षद द्वारा भी प्रोन्नति का अनुमोदन भी कर दिया गया था।

अतः जिस तरह केन्द्र सरकार द्वारा अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय सम्वर्ग में उत्क्रमित कर दिया है उसी के अनुरूप झारखण्ड राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय सम्वर्ग में उत्क्रमित करने एवं आज तक इनके प्रोन्नति में बने बाधक अधिकारियों पर कारवाई करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ताकि इन निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारियों को न्याय मिल सके।''

सरकार का जवाब : केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति वेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ देने के बिन्दु पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं।

इस संदर्भ में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा निम्न प्रकार हैः- "While a separate running pay band, designated as – IS scale, is being recommended for posts belonging to Group'D', however, the same shall not be counted for any purpose as no future recruitment is to be made in this grade and all the present employees belonging to Gruop 'D' who possess the prescribed qualifications for entry level in Group 'C', will be placed in Group 'C' runnign pay band straight away with effect from 01.01.2006. Other Group 'D' employees, who do not possess the prescribed qualifications, are to be retrained and thereafter upgraded and placed in the Group 'C' running pay band. Till such time there are retrained and are redeployed, they will be placed in the – 1S scale. The commission clarifies that -1S pay scale is not a regular or a permanent pay scale. In so far as the present employees are concerned, the scale will operate only till the time all the existing Group 'D' staff is placed in the Group 'C' running pay band.

उक्त अनुशंसा से निम्नांकित बिन्दु उभरकर प्रतिविम्बित होते हैंः-

(क) भविष्य में समूह-घ के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाय।

(ख) समूह-ग के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करनेवाले समूह-घ के कर्मियों को समूह-ग में Running pay Band पर दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से Placed किया जाय।

(ग) समूह-घ के वैसे कर्मी, जो समूह-ग के पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित नही करते हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने के उपरांत समूह-ग के Running pay band पर उत्क्रमित करते हुए Placed किया जाय।

छठे केन्द्रीय वेतन आयेाग की उक्त अनुशंसा एवं झारखण्ड राज्य में व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए समूह-घ के कर्मियों की अवधारणा को बरकरार रखते हुए उनके वेतनमान में संशोधन करते हुए वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या- 1859 दिनांक 05.09.2011 के द्वारा दसवीं उत्तीर्ण समूह-घ के राज्य कर्मियों को दिनांक 01.04.2011 के प्रभाव से उत्क्रमित वेतनमान पी0बी0- 1, 5200-20200/- ग्रेड वेतन रू0 1800/- एवं दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह-घ के राज्य कर्मियों को पे बैण्ड -1S ग्रेड पे रू. 1650/- अनुमान्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 5216 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा केन्द्र के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को ग्रेड पे के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार पी. बी. 1 वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1800/-

समूह-'ग' के रूप में वर्गीकृत है।

जहाँ तक समूह-घ के कर्मियों की समूह -ग के पद पर प्रोन्नत करने का प्रश्न है, इस संबंध में निम्नांकित बिन्दु अंकणीय हैः-

(क) राज्य में सचिवालय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त से संबंधित अलग-अलग नियमावलियाँ अधिसूचित है, जिसके अनुसार समूह-ग के 15 प्रतिशत पदों पर समूह -घ के अर्हताधारी कर्मियों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करने का प्रावधान है।

(ख) झारखण्ड राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झाररखण्ड के अधिसूचना संख्या 1749 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 अधिसूचित है। इस नियमावली के नियम 4(ख)(I) में निहित प्रावधानों के तहत लिपिकीय संवर्ग के मूल कोटि के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडियट /10+2 निर्धारित है।

(ग) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 4447 दिनांक 26.07.2010 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिपिकीय सवंर्ग हेतु सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010 अधिसूचित है। इस नियमावली नियम-7(1) के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित है।

(घ) नियमावली गठन के उपरांत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में समूह-घ के कर्मियों को समूह-ग के पदों पर प्रोन्नति की निमित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) को शिथिल करते हुए इन्टरमीडियट/10+2 निर्धारित किया गया था। उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

वर्तमान में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के स्तर पर समूह-घ कर्मियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के निमित तत्संबंधी नियमावली के अंकित प्रावधानुसार द्वितीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक-9966 दिनांक 20.11.2015 के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है।

साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों/जिलास्तर पर समूह-घ के कर्मियों की समूह-ग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के निमित नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक- 10190 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेशित किया जा चुका है।

शून्यकाल

5 कि.मी. के अन्तर्गत 10+2 उच्च विद्यालय खोलना

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झारखण्ड में 10 + 2 उच्च विद्यालय खोलने की सीमा 8 मिलोमीटर है। झारखण्ड एक पठारीय, वन आच्छादित क्षेत्र है जहाँ यह 8 मिलोमीटर की सीमा कष्टकारी है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि उक्त 8 किलोमीटर की सीमा को घटाकर 5 किलोमीटर किया जायें, जिससे यहाँ के विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को सर्वसुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके।

(16.02.2016)

अधिवक्ता संघ से पीपी एवं एपीपी की नियुक्ति

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में संशोधन कर अधिवक्ता संघ से ही लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक इत्यादि की नियुक्ति करने की कार्रवाई पुनः बहाल की जाय।

सरकार का जवाब : झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 के प्रावधानानुसार वांछित अर्हता प्राप्त सहायक लोक अभियोजकों को प्रथम प्रोन्नति के रूप में उपर लोक अभियेाजक एवं द्वितीय प्रोन्नति के रूप में लोक अभियोजक के संवर्गीय पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

इस तरह अधिवक्ता संघ से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की सीधी नियुक्ति बंद कर दी गई है।

(19.02.2016)

नियुक्तियों में लिखित परीक्षा की बाध्यता से मुक्ति

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में सेवारत गृह-रक्षक वर्दी पहनकर राइफल, इत्यादि के साथ राज्य की विधि-व्यवस्था संभालने जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, परन्तु इनको अन्य नियुक्तियों में सामान्य सदस्य की भांति लिखित और शारीरिक परीक्षा देना पड़ता है। अतः मैं माँग करता हूँ कि इनको अन्य नियुक्तियों में लिखित परीक्षा की बाध्यता से मुक्त कर अन्य सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाये।

सरकार का जवाब : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के आन्तरिक सुरक्षा में सहायता हेतु पुलिस के सहायक के रूप में हवाई हमला, आगजनी, बाढ़, संक्रामक बीमारी आदि जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में जनता की सहायता हेतु तथा अन्य आवश्यक सेवाओं

के पुनर्स्थापन हेतु संस्थागत कार्यशील ईकाई के रूप में कार्य करने हेतु झारखण्ड गृह रक्षक की स्थापना की गई है। आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यक सेवा बहाल करने हेतु इन्हें प्रशिक्षित किए जाने का भी प्रावधान है। गृह रक्षक वास्तव में स्वयं सेवक प्रकृति के हे। गृह रक्षकों के राज्य में विधि-व्यवस्था संभालने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए कुछ शर्तो के साथ गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए आरक्षी संवर्ग के संपूर्ण रिक्ति के 50 प्रतिशत सुरक्षित रखे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त नियुक्ति में सभी कोटि के गृह रक्षकों को निर्धारित उम्र सीमा में पाँच वर्षो की छूट दी गई थी। चूंकि पुलिस विभाग एवं अन्य चुनौती पूर्ण कर्त्तव्य के निर्वहन हेतु शारीरिक दक्षता एवं अन्य आवश्यक गुणों की आवश्यकता है। अतः एवं शैक्षणिक तथा शारीरिक मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं की गई थी।

जहाँ तक राज्य सरकार की अन्य नियुक्तियों में गृह रक्षकों को लिखित परीक्षा की बाध्यता से मुक्त करने का प्रश्न है, सम्प्रति सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(24.02.2016)

संपर्क पथ का निर्माण

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, बोकारो से चन्द्रपुरा को जोड़ने वाले दामोदर नदी पर वृहत पुल बनाकर लगभग 12 वर्षो से संपर्क पथ के अभाव में बेकार पड़ा है। अतः मैं मांग करता हूँ कि करोड़ो रूपये के लागत से बने उक्त पुल, जिससे बोकारो से चन्द्रपुरा की वर्तमान दूरी 28 किलोमीटर से घटकर मात्र 8 मिलोमीटर हो जाती है, में शीघ्र संपर्क पथ बनवाया जाय।

सरकार का जवाब : बोकारो चन्द्रपुरा पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग के पत्रांक-978 दिनांक 08.04.16 द्वारा मुख्य अभियंता (या.), प.नि.वि., झारखण्ड, राँची को समर्पित किया गया है।

(04.03.2016)

सूचना

सतनपुर हाई स्कूल की चहारदीवारी

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मेनका जी की चिन्ता एकमद जायज है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सतनपुर हाईस्कूल है। 10 एकड़ जमीन चहारदीवारी नहीं है, जिससे लगभग दो-ढ़ाई एकड़ जमीन भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसलिए निश्चित रूप से इस पर चिन्तन करना चाहिए सरकार को।

(16.02.2016)

पढ़ाई की निरंतरता

श्री बिरंची नारायण : महोदय, जो 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन पहले हो गया। अब जैसे बच्चे पांचवा क्लास पास कर गये, वो विद्यालय तुरंत कहता है कि यहां से जाओ। मेरा आग्रह है कि सरकार को इस पर चिन्ता करनी चाहिए कि जो गरीब बच्चे पांचवीं क्लास तक पढ़ लिये, उसके आगे भी उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। उनको पैसा सरकार देने के लिए तैयार है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने जब राशि तय कर दिया कि 425 रूपया हम देंगे तो कम से कम वह स्कूल उनको निकाले नहीं महोदय, यह निर्देश राज्य सरकार की तरफ से जाना चाहिए।

(18.02.2016)

अल्पसंख्यक स्कूलों में आर.टी.ई. एक्ट का अनुपालन

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक सूचना है। राज्य में सैकड़ों की संख्या में जो अल्पसंख्यक स्कूल है वो R.T.E. एक्ट का पालन करने को बाध्य नहीं है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि जो अल्पसंख्यक स्कूल है, जो उस एक्ट के तहत संचालित हो रहे हैं, वहाँ भी R.T.E. एक्ट का कड़ाई से पालन होनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे वहाँ भी पढ़ सकें।

(23.02.2016)

बीएसएल द्वारा बोरिंग गाड़ियों को रोकना

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक आवश्यक सूचना है, कृपया सुन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र के लिए विधायक मद् से मैंने 200 चापाकल के लिए दिए थे चूकि गर्मी का दिन आने वाला है। .....यह बहुत ही अर्जेन्ट मामला है और बी.एस.एल. प्रबन्धन गाड़ियों को नहीं जाने देता है वह रोक देता है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि कम से कम इसमें एक निदेश जाए और जो पीने का पानी है उससे किसी को मरहूम नहीं किया जाए। बी.एस.एल. प्रबन्धन विस्थापित क्षेत्रों में और वैसे बस्ती जहाँ पर लोग 40-50 साल से रह रहे हैं और वहाँ पर चापाकल का बोरिंग को नहीं होने दे रहा है बी.एस.एल. प्रबन्धन की ये बात बहुत ही गम्भीर बात है।

(10.03.2016)

गैर सरकारी संकल्प

व्यवसायियों को व्यवस्थित करना

गैर सरकारी संकल्प : 18.03.2016

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह बोकारो के औद्योगिक एवं परिक्षेत्रीय विकास के लिए दुन्दीबाद बाजार के व्यवसायियों को स्थायी रूप से नया मोड़ के बगल में स्थित बस स्टैंड में स्थानांतरित करते हुए, नया मोड़ स्थित बस स्टैंड को सेक्टर- 12 के प्रस्तावित फोरलेन के अगल-बगल ले जाकर आधुनिक बस स्टैंड में परिवर्तन करावें।

उक्त गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का प्रतिवेदन

गैर सरकारी संकल्प में वर्णित दुन्दीबाद बाजार के व्यवसायियों को नया मोड़ के बगल में स्थानांतरित एवं पुनर्वासित करने के बिंदु पर कहना है कि प्रश्नगत भू-भाग चास नगर निगम क्षेत्र के बाहर है।अतः वांछित कारवाई नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से अपेक्षित नहीं है।

बजट भाषण

तृतीय अनुपूरक माँग पर भाषण : 18.02.2016

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के द्वारा सदन के पटल पर तृतीय अनुपूरक मांग 1841 करोड़ रूपए के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रकाश राम जी सिर्फ और सिर्फ कमियों की ओर इशारा कर रहे थे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि, ''**जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखही तीन तैसी**।'' मैं धन्यवाद देता हूँ मान्यवर रघुवर दास जी को जिन्होंने जिस दिन से शपथ लिया उसी दिन से सवा तीन करोड़ से ज्यादा जनता के उत्थान के लिए निरंतर चिंतित रहे।

श्री बिरंची नारायण : सभापति महोदय, अपने समय के एक-एक क्षण का इन्होंने सदुपयोग किया। झारखण्ड कैसे आगे बढ़े, झारखण्ड उन्नति के रास्ते पर कैसे आगे जाए, पूरे देश में एक नम्बर पर झारखण्ड कैसे आगे पहुंचे, इसके लिए माननीय रघुवर दास जी ने और इनके मंत्रियों ने दिन रात एक करते रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को। यह बात सही है कि राज्य अलग हुए 14 साल के कालखंड बीते है, लेकिन यह भी सही है कि आजादी के बाद 67-68 साल बीत गए और 67-68 सालों में

आज भी झारखण्ड कहां है यह भी चिन्तन करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में जहां हर सड़को पर हजारों गढ्ढे हैं। महोदय, 67-68 साल में बहुत बड़े-बड़े गढ्ढे हो गए है, वहां ये सरकार धीरे-धीरे उन गढ्ढों को भरकर एक अच्छा रास्ता विकास का अख्तियार करने काम कर रही है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रघुवर दास जी को और इनकी सरकार को। महोदय, 457 करोड़ रूपए आपदा प्रबंधन के मद में सरकार ने मांगा है। क्या वह बात सही नहीं है कि राज्य सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या यह प्रतिपक्ष को बताने की आवश्यकता है कि आज सारा झारखण्ड सुखाड़ की चपेट में है और ऐसे में 457 करोड़ रूपए अनुदान के मद में अगर सरकार ने मांगा है तो क्या यह गलत किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, सरकार ने गांव, गरीब, किसान की चिन्ता की है। महोदय, 457 करोड़ रूपए की राशि आपदा मद में सरकार ने मांग किया है। महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ शिक्षा मंत्री जी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि 18 हजार से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति की है। जो शिक्षा का स्तर एकदम समाप्त हो गया था उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया। महोदय, सरकार प्रयास कर रही है, लगातार लगी है।

श्री बिरंची नारायण : क्रमशः जब मैं छोटा बच्चा था तो महोदय मुझे याद है हाथ में बस्ता और बोरा लेकर स्कूल जाता था और जब आज विधायक, बने और जब गांव में जाता हूँ तो शर्मसार हो जाता हूँ। महोदय, आज भी स्थिति वहीं है। आखिर हम कहाँ पहुँचे, इन 67-68 सालों में, कि आज भी हमारे बच्चे वहीं करेंगे। ऐसे ही विद्या अर्जन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, जिसने तय किया है कि आने वाले दो साल में झारखण्ड राज्य में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं बचेगा जहां गांव के बच्चे पढेंगे और उनके विद्यालय में बेंच और डेस्क नहीं होगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को।

यह बहुत बड़ी बात है। कई विद्यालय को अपग्रेड करने की बात सोची है सरकार ने। कहीं विद्यालय को अपग्रेड करने की बात सोची है। जो लोवर स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाईस्कूल है, प्लस-टू है, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि विशेष करके महिलाओं के जो छात्राएं हैं, उनके दृष्टिकोण से आज जो प्लस-टू की जो नये विद्यालय खोलने की सीमा है, वो आठ किलो मीटर है, झारखण्ड एक पठारी क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, में सरकार से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ विशेष करके हमारी जो बहन सुदूर गांव में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, उनके लिए आठ किलोमीटर की दूरी काफी है। इसे कम करके अगर 5 किलो मीटर किया जाय तो शायद छात्रों के लिए विशेष कर बहुत अच्छा रहेगा। महोदय, नगर विकास विभाग ने 222.81 करोड़ रूपये के अनुदान की माँग की है। 2 अक्टूबर 1919 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती होने वाली है। पूरा देश मनाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सपना देखा है कि हम स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। माननीय रघुवर दास जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भी झारखण्ड में भी लक्ष्य बनाया है कि स्वच्छता अभियान

चलाने के माध्यम से 02 अक्टूबर, 1919 आते-आते झारखण्ड को भी स्वच्छता के पैमाने पर हम एक दो नवम्बर पर पूरे देश में कैसे लेकर आए, मैं धन्यवाद देता हूँ कि नगर विकास विभाग ने स्वच्छता अभियान चलाने के लिए धनबाद का महोदय, नम्बर-एक आया है। ये मैंने भी अखबार में पढ़ा है और इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। 68 साल में सबसे ज्यादा किसी पार्टी की सरकार इस देश में रही है तो माननीय मनोज यादव जी की सरकार इस देश और प्रदेश में रही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो काँग्रेस पार्टी दुर्गति के लिए जिम्मेवार है महोदय।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और आज मैं आग्रह करता हूँ कि अपने प्रतिपक्ष के बन्धुओं से भी कि ये भी सरकार को धन्यवाद करे। इन 14 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं था, जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनानी हों और विधायक अनुशंसा करे, 25 किलो मीटर सड़क बनायें। (मेज थपथपी) महोदय, सिर्फ ग्रामीण सड़क ही नही जो पथ निर्माण विभाग की सड़के हैं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का और मैं आज आग्रह करता हूँ अपने प्रतिपक्ष के बन्धु से भी कि ये सरकार को धन्यवाद करें। इन 14 सालों में कभी ऐसा हुआ नही था। जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़के बनानी हो और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, हमारी सरकार कहे कि कोई फर्क नहीं करूँगा, हर माननीय विधायक अनुशंसा करें, 35 कि0 मी0 सड़क बनाये। सिर्फ ग्रामीण सड़क नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे ऊर्जा विभाग हो, कल्याण विभाग हो, हर विभाग में यह सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, गाँव में मुहल्ले में बैठ कर योजना बनाने का कार्य सरकार ने किया है। यह अभूतपूर्व कदम है। पहले योजनाएं जैसे दिल्ली में, राँची में एअर कंडिशन कमरे में बैठ कर बनती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक योजना बनाओं अभियान में शामिल होने का अवसर मिला और जिस प्रकार से येाजनाएं सामने आयी। हमलोग भी जा रहे हैं गाँव में लोग बहुत प्रसन्न हैं योजना किस प्रकार से बन रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट भाषण : 23.02.2016

माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी, बजट पर अपना भाषण शुरू करें।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान् रघुवर दास जी द्वारा सदन के पटल पर लाये गये 62502 करोड़ रूपये के लगभग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन करने के लिए बजट बनाया चतुर्दिक विकास के लिए बजट बनाया। हर तबके का ध्यान रखा, हर वर्ग का ख्याल रखा। इसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। महोदय, पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने जो बजट

बनाया वह जनता से सलाह लेकर बनाया । पहले बजट एयर कंडिशन कमरे में बना करते थे लेकिन महोदय इस बार जो बजट बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांचों प्रमण्डल में जाकर वहाँ के बुद्धिजीवियों और वहाँ के लोगों से बात कर के, गांव में जाकर गांव की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और समस्याओं को जानने के बाद बजट का रूप दिया है। मैं इस सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कृतसंकल्पित हैं कि झारखण्ड को आगे ले जाना है। पिछले लगभग 68 साल के काल खंड में झारखण्ड क्षेत्र की जनता ने जो दंश झेला है या फिर पिछले 14-15 साल के काल खंड में जो भी कमियां रही है या जो गड्ढे उभरे हैं उनको भरने का काम यह सरकार करने जा रही है। महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री एक मजदूर का बेटा हैं, एक गरीब का बेटा हैं जिन्होंने गरीबी देखा है, जिन्होंने जन मजबूरी क्या होती है उसे जाना है। महोदय एक कहावत है कि **जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई**। महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जिस गरीबी का दंश झेला है, देखा है और उसको देखते हुए इन्होंने सपना देखा झारखण्ड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का। झारखण्ड विकास के रास्ते पर काफी तेजी से आगे जा भी रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को और उनके सरकार के एक-एक मंत्री को बधाई देता हूँ।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय बजट प्रस्तुत होने के बाद कई टीवी चैनलों के माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के कई नेताओं ने बजट की आलोचना की है। आलोचना करने के लिये आलोचना की नीति सही नहीं है। अगर आलोचना स्वस्थ हो तो फिर उसका स्वागत किया जाना चाहिये। लेकिन अगर आलोचना करने के लिये सिर्फ आलोचना करनी है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। पहली बार बहुमत की सरकार झारखंड में बनी है और यह सौभाग्य जनता ने हमारी पार्टी को दिया है। इस अवसर को एक चुनौती के रूप में लेते हुये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे माननीय मंत्रीगण दिन रात लगे हुये हैं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है कि निंदक नियरे राखिये, आंगन में कुटीर छवाए। अगर वह निंदा कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वह सावधान कर रहे हैं। प्रतिपक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ निंदा करने के लिये कि आप निंदा कीजिये सरकार सावधान रहेगी। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखण्ड के सवा तीन करोड़ जनता के विकास में लगे हुये हैं। हमारे जो प्रतिपक्ष के भाई हैं उनको मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह जो सत्ता का खेल है वह निरंतर चलता रहेगा। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेंगी, बिखरती रहेगी। लेकिन हमारा झारखण्ड आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिये। झारखण्ड के विकास की गाड़ी को किसी तरह से अवरूद्ध करना सही नहीं है। इसलिये मैं प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि जनहित में यह सरकार बनी है जिसने

एक बहुत अच्छा बजट लाया है। इस बजट का स्वागत किया जाना चाहिये। झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जो आबादी है, यह जनता हमारा आराध्य है। यह जो बजट बना है, झारखड की सवा तीन करोड़ जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार ने जो बजट बनाया है वह झारखण्ड की जो सवा तीन करोड़ जनता है, उसके विकास के लिये बनाया है। पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक हमलोगों ने यही चीज सुना और जाना कि गरीबी मिटाना है। लेकिन हुआ क्या, गरीबी मिटाने का नारा देते-देते गरीबी मिटते गये। लेकिन हम गरीबी मिटाने का नारा देकर गरीबों का अपमान नहीं करना चाहते। हम तो दरिद्र नारायण की उत्थान की बात करते हैं। हम तो समझते हैं कि जो गरीब है, वह नारायण है और उनकी सेवा हमारा लक्ष्य है। यह सरकार गरीबों की उत्थान के लिये उनकी सेवा के संकल्प को लेकर काम कर रही है। सारा झारखण्ड हमारे आस्था का केन्द्र बिंदु है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कृषि के लिये अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। खेती हमारा बुनियादी उद्योग है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी सरकार को कि अभी एक करोड़ रूपया बढ़ाया विधायक मद की राशि में। अच्छा हो कि इस पर हमारे प्रतिपक्ष के साथी मेजे थपथपा कर इसका स्वागत कर दें। एक बार मेंजें थपथपा दे तो शायद अगली बार पांच करोड़ का प्रावधान हो जाय। पिछले दिनों में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में गया था। वहां पर किसान ने मुझे कहा कि हमलोगों को सिंचाई की सुविधा चाहिये। खेत खलिहान सूख रहे हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की हालत जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक झारखण्ड आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिये मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने कृषि के लिये बहुत सारा काम करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ चलना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, सिर्फ करते नहीं हैं उसका असर भी शुरू हो गया है। दर्जनों छोटी मछलियां पकड़ी गयी हैं। लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने से काम नही चलेगा, बड़ी मछलियों को भी पकड़ने की आवश्यकता है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है- **नभितो मरणा तदस्मी, केवलम् दूषितो यशः**। अर्थात् मैं मरने से नहीं डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो बदनामी से डरता हूँ, लोकोपवाद से डरता हूँ। माननीय श्री रघुवर दास जी भी मरने से नहीं डरते, अगर डरते हैं तो बदनामी से डरते हैं, लोकोपवाद से डरते हैं। यही कारण है कि इन्होंने संकल्प ले लिया है। जिस एंटी करप्सन ब्यूरो का गठन किया है, उसके माध्यम से इन्होंने तय कर लिया है कि चाहे वह कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा कर्मचारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार का छींटा उसके दामन पर नजर आयेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जायेगा। इसके लिये मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस सदन के माध्यम

से भ्रष्टाचारियों को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि चाहे भ्रष्टाचारी हीरे मोती जितना भी जमा कर ले, चाहे कितनी भी सम्पति अर्जित कर ले, उसे एक बात याद रखनी चाहये कि जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है। जब ऊपर जायेंगे तो कफन में कोई जेब नहीं होती है, याद रखना चाहिये उन भ्रष्टाचारियों को। गीता में भगवान श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि बड़े लोग जैसा आचरण करते हें उसका अनुसरण छोटे लोग करते हैं। मेरा आग्रह यही है कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, उसे गाँव से नहीं लड़ी जा सकती है। अगर लड़नी है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई रांची से होनी चाहिये। मैं यह भी जानता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाने की जवाबदेही सिर्फ सत्तापक्ष की नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने की जवाबदेही प्रतिपक्ष की भी है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो प्रतिपक्ष को भी जवाबदेही तय करके सामूहिक रूप से साथ-साथ लड़ना होगा। महोदय, एक छोटी सी लघुकथा एक मिनट में कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे यहां सत्तापक्ष में एक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। उन्होंने कहा कि बजट इतना बढ़िया सरकार ने लाया है कि इसकी कोई आलोचना नहीं की जा सकती है। मैंने कहा कि हमारे यहां विपक्ष में एक से एक विद्वान हैं जो इसमें भी निकाल लेंगे मीन मेख। एक से एक विद्वान हमारे यहां प्रतिपक्ष में। मैं प्रतिपक्ष के विद्वानों की विद्वता पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे जिनको कोई बात में मीनमेख निकालने की बहुत आदत थी। चाहे कोई कितना भी बढ़िया काम हो, उसमें वह मीनमेख निकालते थे। एक गृहिणी ने कहा कि उस व्यक्ति को आमंत्रित कीजिये मैं उसको भोजन कराऊँगी। बढ़िया से बढ़िया और बहुत बढ़िया भोजन कराया उस व्यक्ति को। उस आलोचना करनेवाले व्यक्ति ने कहा कि खाना तो नीक था लेकिन ढ़ेर नीक भी अच्छा नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जो सरकार ने बजट लाया है उसको हृदय से प्रतिपक्ष स्वीकार करे और झारखण्ड के विकास की गाड़ी को हम सब मिलकर आगे बढ़ायें। बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य विभाग के बजट मांग पर भाषण : 03.03.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं 30 अरब, 49 करोड़, 67 लाख 19 हजार रूपये की मांग जो स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा सदन पटल पर रखी गयी है, इस मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी जी को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने झारखण्ड की सवा तीन करोड़ आबादी का स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए एक अच्छी योजना बनायी है। स्वस्थ झारखण्ड, उन्नत झारखण्ड, सुखी झारखण्ड, इस संकल्प के साथ यह विभाग आगे बढ़ रही है। हर आंख के आंसू को पोछना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हर आंख के आंसू को पोछना है। हर दुखियों

के दर्द को समझते हुए उसका निदान करना है। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बताने की आवश्यकता शायद किसी को नहीं है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके साथ हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सोच बदलने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो विचार अपने आप बदल जायेगा। मैं यह नहीं कह सकता, यह सही है मैं इस बात से इंकार नही करता कि माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने कई बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान को आकृष्ट कराया है, जो सकारात्मक है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन यह भी सही है कि जितनी बातें इन्होंने कही है, सारी की सारी बातें सत्य नहीं है। उनमें असत्य का पूट भरा था।

सभापति महोदय, हमारी सरकार हमारे विचारधारा की सरकार है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी हमारे पुरोधा हैं। पहले से हमसे ज्यादा माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी को पढ़ते और समझते हैं। उनके काव्य और मानव दर्शन को समझते रहे हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण करना है। हमारी सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के बताये हुए रास्ते पर चलकर झारखण्ड के हर गरीब दुखियों के कल्याण के लिए सोच रही है। महोदय, इसीलिए पिछले 14 वर्षो के कालखण्ड को छोड़ दीजिये, उसके पहले भी राज्य बनने के पहले लगभग 67-68 साल हो गये, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो कमी है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सरकार को ध न्यवाद देता हूँ कि जिसने बहुत ही गंभीरता पूर्वक, सूक्ष्म तरीके से प्लानिंग किया है। काम करने की योजना बनायी है। सरकार ने जो 600 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति की है, यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव लायेंगे इस झारखण्ड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में। मैं सरकार को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। महोदय, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। ये डॉक्टर एम0बी0बी0एस0 करके आज भी गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए इस सरकार ने एक विकल्प तैयार किया है और वह विकल्प है कि तीन साल जो छात्र बी0एस0सी किया है, उसको तीन साल का विशेष ट्रेनिंग देकर उनको ग्रामीण चिकित्सक के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। निश्चित रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आमूल चूल परिवर्तन होगा। जिनको देशी डॉक्टर कहकर चिढ़ाया जाता था, जिनको कहा जाता था कि झोला छाप डॉक्टर है, उनको निश्चित रूप से इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। सभापति महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। महोदय, सिर्फ शरीर स्वस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, हम तो प्रतिपक्ष

का मन भी स्वस्थ करना चाहते हैं और इसीलिए राँची में जो योग केन्द्र की स्थापना हुई है, सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। महोदय एक कवि ने कहा है कि **''पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे सा भुज दंड अभय और नस-नस में हो लहर आग सी, तभी जवानी पाति जय''** ये दिनकर जी ने कहा था और हमारी मांशपेशियाँ अच्छी होंगी, स्वस्थ्य होंगी, शरीर हमारा लोहे का होगा, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा और शरीर और मन स्वस्थ करने के लिए योग बहुत आवश्यक है। महोदय, यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद हैं, मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो येाग केन्द्र की स्थापना रांची में हुई है, इस प्रदेश के एक-एक स्कूल में योग की एक अलग से कक्षा चलनी चाहिए ताकि हमारे बालक, हमारे विद्यार्थी भी स्वस्थ रह सके। महोदय, ये गरीब-गुरबों की सरकार है। ये गरीबों की सरकार है जो गरीबों का कल्याण चाहती है। महोदय, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, पहले 13 हजार रू0 सलाना आय का था, हमारी सरकार ने सलाना आय जिनका 72 हजार रूपया हो किया, उसको बढ़ाया। महोदय, इसके साथ ही साथ पहले राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को 17 तरह की बीमारी में पैसे दिये जाते थे अब उस ईलाज का दायरा बढ़ाकर 85 कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। महोदय, पहले सिर्फ डेढ़ लाख की राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर ढ़ाई लाख किया गया। महोदय, कैंसर के लिए पहले डेढ़ लाख की राशि दी जाती थी, ईलाज होता नहीं था। रास्ते में कैंसर के मरीज दम तोड़ देते थे उसे बढ़ाकर 04 (चार) लाख रूपया किया गया और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि अगर किडनी का पेशेंट है तो उसके लिए 05 (पाँच) लाख रूपया की राशि तय किया, मैं सरकार को बधाई देता हूँ, हृदय से प्रशंसा करता हूँ। महोदय, इसके अलावा रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, सरवाईकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के जाँच के लिए, जो इस दायरे के अन्दर मरीज आते हैं, उनके लिए सरकार मुफ्त व्यवस्था करने जा रही है। महोदय, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। महोदय, यह सही है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज भी हम बहुत कमजोर हैं और इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त करने के लिए 329 एंबुलेंस राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में मुहैया करायी जा रही है और जब 329 की संख्या में एंबुलेंस राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में मुहैया हो जाएगी तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 108 नम्बर में यदि कोई डायल करेगा तो तुरन्त उस मरीज के पास एंबुलेंस हाजिर हो जाएगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, कई ऐसे जिले हैं जहाँ डायलिसिस सेन्टर और झारखण्ड के जितने भी जिला अस्पताल हैं, हर जिला अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेन्टर का निर्माण यह सरकार करने जा रही है। महोदय, मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ, 04 प्रमण्डलीय अस्पतालों में जो आई0सी0यू0 खोलने की बात है, मैं सरकार को इसके लिए भी बधाई देता हूँ। इसके अलावा कई जो एक्सीडेंट प्रोम्प्ट जोन है, वहाँ पर ट्रामा सेन्टर खोलने

की सरकार की योजना है। यह बहुत ही अच्छी योजना है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। महोदय, जो संथाल परगना के हमारे बन्धु हैं, उनको मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि पूरे राज्यभर में 24 ऐसे प्रखण्ड हैं जो जनजातीय बहुल प्रखण्ड हैं, उन जनजातीय बहुल प्रखण्डों में जो जनजाति परिवार हैं वहाँ सिकेन सेल्स, एनिमिया के पेशेंट काफी मात्रा में पाये जाते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके बीच शिक्षा का अभाव है। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके बीच जागरूकता का अभाव है, वो जाँच नहीं करा पाते हैं और उसका परिणाम ये होता है, मेडिकल साईस कहता है और अगर मेल और फीमेल दोनों अगर ''सिकेन सेल्स'' के पेशेंट हैं तो उनके बच्चे में 100 प्रतिशत वो बीमारी हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वैसे जनजातीय परिवार के कल्याण के लिए जाँच केन्द्र की स्थापना की है।

सभापति महोदय, यह भी सही है कि झारखण्ड में अभी मात्र तीन मेडिकल कॉलेज है। रिम्स में 150 की सीट है, एम0जी0एम में 100 सीट है, पाटलीपुत्र में 100 सीट है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो एम0सी0आई0 का गाईड लाईन है उसके हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाई जाय। हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ, चाहे लैब हो, लेक्चर थियेटर हो, जो भी सुविधा चाहिए, वो देने का सरकार काम कर रही है ताकि सीटों की संख्या रिम्स में 150 से बढ़ाकर 250 किया जाय, धनबाद में 100 को बढ़ाकर 150 किया जाय, जमशेदपुर में भी 100 को बढ़ाकर 150 किया जाय। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो 3 नये मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रही है, पहले 3 की घोषणा की है सरकार ने उसका डी0पी0आर0 बन गया है, उसका डी0पी0आर0 भारत सरकार को भेज दिया गया है। सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने 3 और मेडिकल कॉलेज बोकारो में, कोडरमा में और चाईबासा में खोलने का निर्णय किया है। मैं समझता हूँ कि झारखण्ड की जनसंख्या के अनुपात में अगर मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोलेंगे तो सीटें ज्यादा आयेंगी। अगर सीटें ज्यादा आयेंगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर ज्यादा बनेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके अलावा जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं। उसके लिए भी सरकार ने दरवाजा खोले हैं। सरकार ने दरवाजा खोल दिया है कि अगर कोई निजी व्यक्ति, पूँजी निवेश करेगा इस क्षेत्र में, अगर कोई 50 बेड का अस्पताल खोलेगा, तो 20 करोड़ रूपया उसको अनुदान दिया जायेगा। अगर कोई 100 बेड का अस्पताल खोलेगा तो उसको 25 करोड़ रूपया का अनुदान दिया जायेगा और अगर कोई 150 बेड़ का अस्पताल खोलेगा तो उसको 30 करोड़ रूपया का अनुदान दिया जायेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप ईजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं आपके संथाल परगना के तरफ थोड़ा ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ। साहेबगंज में हमेशा हमारे अनन्त भाई माँग करते रहे हैं कि जो हमारे ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र बनकर तैयार हैं, उसको चालू कराया जाय और बंगाल, बिहार की सीमा पर अवस्थित साहेबगंज, गंगा

के किनारे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। यह हमारे अनन्त ओझा जी हमेशा ही हर प्लेटफॉर्म पर यह विषय उठाते रहे हैं। मैं सरकार को बधाई देते हुए, यह सरकार जनहितैषी सरकार है, यह रघुवर दास जी की सरकार पूरी ईमानदारी से झारखण्ड की जनता का सेवा करना चाहती है। यह सरकार 5 सालों तक नहीं महोदय, यह सरकार लगातार 50 सालों तक झारखण्ड की जनता का सेवा करने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनुदान माँग के समर्थन पर भाषण : 11.03.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर ऊर्जा विभाग के द्वारा रखे गये माँग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है:-

नहीं फूलते कुसुम मात्र, राजाओं के उपवन में।
अमित बार खिलते वे, पुर से दूर कुंज-कानन में।।
समझे कौन रहस्य? प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल।
गुदड़ी में रखती चुन-चुनकर बड़े कीमती लाल।।

अध्यक्ष महोदय, 13-14 महीने पहले की बात है जब झारखण्ड में एक गुदड़ी के एक लाल, माई के एक लाल श्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार लगातार न रूके, न थके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ झारखण्ड की जो विकास की गाड़ी है, उसको निरन्तर आगे ले जाने का प्रयास माननीय श्री रघुवर दास जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से प्रतिपक्ष की भूमिका देखने को मिल रही है, विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका में है, इससे झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता आहत हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इन 14 वर्षो के कालखंड में पहली बार लगा था, झारखण्ड की जनता को पहली बार यह लगा था कि एक ईमानदार सरकार है जो झारखण्ड का कल्याण कर सकती है। लेकिन प्रतिपक्ष के इस प्रकार के प्रयास ने झारखण्ड की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज इतना महत्वपूर्ण विषय, बिजली पर चर्चा होनी थी, उर्जा पर चर्चा होनी थी। 69, 70 साल हो गये आज भी झारखण्ड में ढ़ाई हजार से ज्यादा गाँव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुँची है। मेरे बोकारो जिले में 13 गाँव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुँची थी। मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को, राज्य सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि मात्र 13, 14 महीने के कालखंड में प्रयत्नपूर्वक मेरे उन 13 गाँवों में से 8 गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। उन गाँवों में जहां बिजली पहुँच गई है और वहां जब मैं जाता हूँ तो वो लोग होली और दीपावली साथ मानते हैं। उनके चेहरे पर जो चमक देखने को मिलती है, बिजली आने के बाद वो वर्णन से परे है। हीरटाँड़ नाम का एक गाँव, नेशनल हाईवे से मात्र एक किलोमीटर अंदर, तीन तरफ से रेलवे लाईन, एक तरफ गरगा नदी अब

आजादी के उनहतर साल बाद भी उस गाँव में बिजली नहीं पहुँच पा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को, बोकारों के जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिसने प्रयत्नपूर्वक उस गॉव में बिजली पहुँचाने का काम किया है। ये हमारी सरकार के दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ''चलो जलाएं दीप वहां जहां सदियों से अंधेरा है।' इसी भाव को तो लेकर यह सरकार आगे बढ़ी है। इसी भाव को तो लेकर यह सरकार चल रही है। लेकिन जब ये सरकार एक अच्छा काम करने जा रही है तो जो विपक्ष है, जो प्रतिपक्ष है, उनके कान में दर्द हो रहा है। बड़ा ही दुःख हो रहा है इन बातों को कहते हुए। साल भर पहले की स्थितियाँ क्या थी, ट्रांसफर्मर नहीं, पोल नहीं, तार नहीं अन्य कोई उपकरण नहीं। लेकिन 13-14 महीनों के कालखण्ड में मैं यह मानता हूँ कि जो कमियां है वह पूरी नहीं हुई है, आज भी कमी है। लेकिन 14 साल, 15 साल हो गये राज्य बने हुए और लगभग 70 साल हो गये, देश को आजाद हुए। इन परेशानियों से इतनी जल्दी मुक्ति मिल नहीं सकती है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ एक ईमानदार प्रयास करने का सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश के तर्ज पर ट्रांसफार्मर रिपलेसमेंट की जो पॉलिसी लायी है, सरकार ने इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। एस.एम.एस. करिये, एस.एम.एस0 करके अपनी समस्या से अवगत कराईये और विभाग एक निश्चित समय सीमा के अंदर ट्रांसफार्मर मुहैया कराने का काम करेगा। एक कहावत थी ''**माल महाराज का और मिर्जा खेले होली**''। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने इशारा किया था माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव जी के तरफ कहा था कि उनके माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया था। श्री बाबूलाल जी ने महज 32 करोड़ रूपये के एवज में पैनम माइंस दे दिया। पंजाब चला गया कोयला। रोशन पंजाब हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि हम झारखण्ड के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी सरकार ने तय कर लिया है कि हम झारखण्ड का भी विकास करेंगे। हमारा झारखण्ड भी जगमगायेगा और सारा देश जगमगायेगा। यह हमारी सोच है, यह हमारी भावना है। इस मनःस्थिति के साथ हमारी सरकार काम करने को तैयार है, काम कर रही है। मात्र एक साल के अंदर एक हजार से ज्यादा गाँवों में बिजली पहुँचाने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, इसके लिए सरकार को हम बधाई देते हैं। आज झारखण्ड की जनता में आशा की एक नई किरण जगी है। हमारी सरकार के मुखिया परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, एक-एक मंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिन-रात एक करके लगे हुए हैं कि कैसे झारखण्ड को आगे बढ़ाया जाय? स्वामी विवेकानन्द जी ने ''उत्तिष्ठ जागृत'' की बात की थी।

''उठो जागो और तब तक चलते रहो,
तब तक चैन से मत बैठो, जब तक मंजिल मिल न जाये।

अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार चल रही है। हमारी सरकार विकास की गाड़ी पर चल

पड़ी है, लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वे रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं विपक्षियों को चुनौती देता हूँ कि हमारी सरकार की जो विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ी है, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नही सकती है। इसलिए कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ चल रही है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो कहा था कि

''माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीया जलाना कहाँ मना है।''

अध्यक्ष महोदय, वही तो हमारी सरकार कर रही है। एक संकल्प लिया है कि एक साल के अंदर 31 दिसम्बर, 2016 के पहले दो चरणों में काम करेंगे, छः महीना का एक चरण, दूसरा चरण और छः महीना का, जिसमें जो 2525 गांव बचे हुए हैं, उसमें एक भी गांव बचेगा नहीं जहां हम बिजली नहीं पहुंचा पाये। हमारी सरकार वैसे सभी जगह बिजली पहुंचा देगी, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अभी मात्र एक ही विपक्षी बचे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं विपक्ष से जानना चाहता हूँ कि आखिर 69-70 सालों तक गांवों में बिजली नहीं पहुंची तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी नहीं है, क्या इसके लिए कांग्रेस की सरकार दोषी नहीं है, कौन दोषी है? इस सवाल का जवाब झारखण्ड की जनता भी जानना चाहती है। महोदय, ये हमारी सरकार की नीयत पर शक कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टी हैं वे हमारी सरकार की नीयत पर शक कर रही हैं और बिना मतलब के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय श्री सरयू राय जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बताये, लेकिन कहने लगे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। अगर अंग्रेजी नही आती है तो माननीय श्री सरयू राय जी सहित कई ऐसे यहां माननीय विधायक हैं जो आपको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आपको अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जानते हुए भी अंजान बनना, यह अपराध है और ये झारखण्ड की जनता के साथ अपराध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कमर के नीचे वार नहीं करना चाहता और वे यहां हैं नहीं, इसलिए पीठ के पीछे वार भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि माननीय श्री प्रदीप यादव जी जो भी सवाल करते हैं। अधिकांश सवाल सदन में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को चिन्हित करके करते हैं, उनकी मंशा क्या है अध्यक्ष महोदय? क्या सभी अधिकारी काम करने वाले नहीं हैं, क्या सारे के सारे अधिकारी बेकार हैं, क्या सारे-के -सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में डुबे हुए हैं? महोदय, यह भी जांच का विषय है कि आखिर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी चाहते क्या हैं? टी.वी.एन.एल. के अधिकारी साहू के उपर इशारा किया जो पी.एल.एफ. के ओर माननीय सदस्य श्री राधाकृष्ण किशोर जी ने ध्यान आकृष्ट कराया। प्लांट लोड फैक्टर यदि सबसे ज्यादा किसी का है तो टी.वी.एन.एल. का है, उसके बाद भी शक कर रहे हैं और उनको कटघरा में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी चाहते क्या हैं जो भी निष्ठावान अधिकारी हैं सिर्फ ब्लैक मेलिंग, लेकिन

ये ब्लैक मेलिंग अब चलने वाला नहीं है। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी कोई भी बात जोर-जोर से बोलते हैं और वे साबित करना चाहते हैं कि हम जोर-जोर से बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज खाली बरतन से ही आता है। मैं उनके इस व्यवहार की निंदा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय 24 घंटे बिजली मिले ये कौन नहीं चाहता है। हमारी सरकार चाहती है कि सिर्फ शहर में ही नहीं, गांवों में भी किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, सातों दिन बिजली मिले। पी.टी.पी.एस. के साथ एन.टी.पी.सी का जो एम.ओ.यू. हुआ है, उसपर सवाल खड़ा कर दिया। कह दिये कि इसमें भी घोटाला है, हर चीज में घोटाले की बू आती है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की नीति अच्छी नहीं है। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मित्रों ने सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की नीति अपनायी है। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात नहीं है। यह झारखण्ड के हित में भी नहीं हैं जो एम.ओ.यू. हुए हैं पी.टी.पी.एस. और एन.टी.पी.सी. के बीच में, उससे चार हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी, इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं जो टी.भी.एन.एल में। अध्यक्ष महोदय, अभी कैबिनेट से एप्रुभल किया गया है, इसमें 660 मेगावाट के दो प्लांट है। तिलैया में 4000 मेगावाट का और देवघर में जमीन खोजने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सरकार चाहती है कि झारखण्ड केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो बल्कि देश के दूसरे, चौथे, पांचवें राज्य को भी बिजली मुहैया कराये और सारे देश को जगमगाये। ये हमारी सरकार की इच्छा है और हमारी भावना है। इसलिये हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जनहित में कदम उठाई हैं। अटल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर विधान-सभा क्षेत्र के ऐसे पचास गांव जो Schedule tribes, schedule caste बहुल गाँव है। वहां पर जो मुफ्त बिजली देने की हमारी योजना है। तिलका मांझी कृषि पम्प योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कृषक भाई है, यह उनको लाभ पहुंचाने की योजना है, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई हैं, उन्हें सस्ते दर में एल.ई.डी. बल्ब मुहैया कराने की योजना है। इसके साथ-साथ जेरेडा को बहुत ही मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि हमारा मानना है, जो परम्परागत उर्जा है इसकी एक स्रोत की एक सीमित संभावनाएँ हैं। दुनिया में जितने भी विकसित देश है। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया में थोड़ा तो हो भी रहा है। लेकिन जितने भी विकसित देश है, वहां उन लोगों ने कोयले के उत्खनन् में बैन लगा दिया गया है। इसलिये बैन लगा दिये है कि वे बेवकूफ नहीं है। इसलिये बैन लगा दिया गया कि जो हमारे खनिज सम्पदा है वह अगर खत्म हो जायेगी तो हमलोग करेंगे क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तय कर लिया है कि परम्परागत ऊर्जा के सीमित संसाधन को ध्यान में रखते हुए जो हमारी

वैकल्पिक ऊर्जा है, उसको भी हम सशक्त करेंगे, उसके माध्यम से भी झारखण्ड को आत्मनिर्भर बनायेंगे, झारखण्ड को आगे बढ़ायेंगे। इसलिये सोलर प्लांट लाने का निर्णय लिया गया है और इसमें सरकार बहुत सहयोग करने के लिए तैयार है। जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उनको मदद् करने के लिए भी तैयार है। सोलर ऊर्जा को बढ़ाने के साथ-साथ जितने भी सरकारी स्कूल है, उसमें दसवीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त सोलर लैम्प देने की योजना है। साथ ही छठीं क्लास से दसवीं क्लास की कस्तुरबा गाँधी विद्यालय के छात्राओं को सोलर लैम्प देने की योजना है। इसके साथ तीन लाख, बीस हजार छात्र-छात्राओं के बीच में सोलर लैम्प बांटने की योजना है। हमारी जो सरकार है, वह कल्याणकारी सरकार है। राज्य के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। एक और विषय पर ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ। आज वन विभाग की भी मांग है और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जन-वन योजना लाई है। मुख्यमंत्री जन-वन योजना से रैयती भूमि पर पचास प्रतिशत अनुदान देने की बात सरकार ने कही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो अनुदान हम देंगे वे बैंक माध्यम से, चेक के माध्यम से देंगें। इस पर जो अधिकार होगा, वन उपज पर जो अधिकार होगा, वह पूरी तरह से ग्रामीणों का अधिकार होगा। इससे ग्रामीणों की आय में काफी वृद्धि होगी, मैं सरकार को बधाई देता हूँ। सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को कि कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं है जो फॉरेस्ट क्लीयेंरस के अभाव में दम तोड़ देती है। कोई पूंजीपति अगर पंजी निवेश करता है अगर वह पांच हजार, दस हजार करोड निवेश करता है। दो हजार एकड़ भूमि चाहिए। उसमें अगर सौ, डेढ़ सौ एकड़ वन भूमि मिल गया तो प्रोजेक्ट फंस जाता है। इसके लिए विभाग कहता है कि इतने एकड़ जमीन खरीद करके इसमें फिर से पौधा लगाईये। यह बहुत बड़ा लफड़ा है, जिसके चलते हमारे यहां उद्योग नहीं लग रहा है। हमारा एक सुझाव है सरकार को। राज्य में पहले से लाखों एकड़ वन जमीन मौजूद है। क्यों न कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो फॉरेस्ट विभाग की जहाँ परती जमीन है, जहां पर वन उगे नहीं है। क्यों न सरकार निर्देश दे कि जो फॉरेस्ट की जमीन है, उसी जमीन पर जंगल उगाए। इससे मॉनिटरिंग करने में विभाग को आसानी हो जायेगी और जो उद्योगपति है उन्हें उद्योग लगाने में आसानी हो जायेगी। बदले में रेवन्यु सरकार को प्राप्त हो जायेगी। उद्योगपतियों को जमीन खरीदने में जो लगता वह सरकार के खजाने में जमा कर दें। इससे राज्य का बहुत विकास, भला हो जायेगा। यह सलाह मैं सरकार को देना चाहता हूँ। अंत में एक बात कहते हुए मैं अपनी वााणी को विराम देना चाहता हूँ।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में ये कहते हुए, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि ''**रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी।**''

अब रातभर का ही है मेहमान अंधेरा, रघुवर राज में अब किसके रोके रूकेगा सवेरा''। महोदय, रात चाहे कितनी भी काली हो, कितनी भी डरावनी हो, कितनी भी घनी, कितनी भी अंधेरी हो, सुबह को आना ही होता है महोदय और यह सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, की सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता के लिए एक नयी सुबह, नयी सवेरा लेकर आयेगी, इन्हीं विश्वास के साथ मैं अनुदान मांग के समर्थन में बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उक्त भाषण पर सरकार के आश्वासन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह (मंत्री) : श्री बिरंची नारायण जी का फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला था और उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें वहां पर बहुत दिक्कत होती है तो उसको भी हमने ग्रहण किया है और निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में काम करेगी।

बतौर सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पटल पर उपस्थापित करना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति।

श्री बिरंची नारायण : माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत प्राक्कलन समिति की षष्टम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ।

(16.03.2016)

मानसून–सत्र 2016

22.07.2016 - 29.07.2016

अल्पसूचित प्रश्न

मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 10/25.07.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच और मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 19 जनवरी, 2016 से आयोग बगैर अध्यक्ष के संचालित है और अन्य सदस्यों के पद भी अब तक खाली है?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पदों के खाली रहने से आयोग का काम प्रभावित हो रहा है तथा हजारों मामले लंबित हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य मानवाधिकार आयेाग में लगभग 640 मामले सुनवाई के लिए लंबित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति कर मानवाधिकार आयोग को सुचारु रुप से संचालित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

अध्ययनरत विद्यार्थियों की सेवा अनुबंध पर लेना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 08/26.07.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य भर के स्कूलों में शिक्षकों की भारी किल्लत है?	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। राज्य के उच्च विद्यालयों में 18584 सहायक शिक्षकों के रिक्त पद हैं।

2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बी.एड. पास प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी नहीं है और इनके लिए स्वीकृत पद के अनुपात में अब तक बहाली भी नहीं हो सकी है।	उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। जैसा कि खण्ड-1 में दर्शाया गया है, सहायक शिक्षकों के 18584 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक 1336, दिनांक 12.07.2016 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी जा चुकी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की किल्लत को दूर करने हेतु बी.एड. कॉलेजों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सेवा अनुबंध पर शिफ्टवार लेने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ही शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 में शिक्षकों की प्रशैक्षणिक योग्यता निम्नवत् निर्धारित की गयी है- ''नियमावली के नियम-9(i)(ii) के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी.एड. के समकक्ष घोषित डिग्री। परन्तु शारीरिक शिक्षक के मामले में प्रशिक्षण से अभिप्रेत है- मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के

		पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित समय- सीमा तक समर्पित करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। उक्त प्रावधान के अनुरुप ही नियुक्ति की कार्रवाई प्रस्तावित है। उक्त प्रावधान से इतर कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन स्थलों को उद्योग के रूप में विकसित करना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 10/26.07.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं जिससे सरकार को काफी राजस्व भी प्राप्त हो सकता है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अब तक योजनाबद्ध तरीके से राज्य के पर्यटन स्थलों को जिलावार चिन्हित नहीं किया गया है?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रुप में अधिसूचित करने के प्रावधान सहित राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के साथ पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण एवं योजनाओं के चयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1494, दिनांक 26.08.2015 एवं विभागीय संकल्प संख्या-663, दिनांक 30.03.2016 द्वारा संबंधित नीति एवं राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति गठित है।

3.	क्या यह बात सही है कि राज्य पर्यटन स्थलों का समुचित विकास नहीं होने के कारण पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, साथ ही सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि- विभाग द्वारा राज्य में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य निरंतर बजटीय उपबंध के आधार पर किया जाता रहा है। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार देश एवं विदेश में आयोजित टूरिज्म फेयर तथा प्रचार-प्रसार के अन्य साधनों के माध्यम से किया जाता रहा है। झारखण्ड पर्यटन नीति 2015 जो विभागीय संकल्प संख्या- 1005, दिनांक 17.06.2015 द्वारा राज्य में लागू है, के अनुसार विभाग राज्य में पर्यटन के विकास कार्य हेतु प्रतिबद्ध एवं अग्रसर है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार योजनाबद्ध तरीके से राज्य के सभी पर्यटन स्थलों का चिन्हितिकरण जिलावार करवाकर इनको उद्योग के रुप में विकसित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपर्युक्त कंडिका-2 एवं 3 में उत्तर सन्निहित है।

आर्या योजना की जाँच

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 06/28.07.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि एट्रैक्टिंग रुरल यूथ इन एग्रीकल्चर (आर्या) योजना के तहत वर्ष 2016 में राज्य के 249 प्रखण्डों के 28,812 गांवों से 57,624 युवक-युवतियों का चयन कर 39,011 लोगों को कृषि कार्य हेतु ट्रेनिंग महज 16 दिनों में दे दिया गया है?	झारखण्ड राज्य के सभी गांवों में कृषि के संबंध में जाग—कता पैदा करने, विशेषकर परती भूमि का आच्छादन, आदि कार्यों में गांवों के किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2016 में Attracting Rural Youth in Agriculture (ARYA) द्वारा राज्य के 259 प्रखण्डों के 29,828 ग्रामों के

		59,656 ग्रामीण युवकों/युवतियों का चयन आत्मा के देखरेख में किया गया है, जिन्हें कृषि क्षेत्र के आवश्यक कार्यों हेतु प्रेरित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र से एक या दो दिवसीय उन्मुखीकरण (Orientation) किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि आर्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवक एवं युवतियों का चयन कृषि विभाग के समेति निदेशालय के स्तर से आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट) के द्वारा किया गया और इन चयनित युवक-युवतियों को जिलों में ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से दी गई?	इन युवकों का प्रशिक्षण नहीं, अपितु कृषि के संबंध में Orientation किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खूंटी जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं रहने के बावजूद 1514 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है?	राज्य के खूंटी जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है तथा उसका संचालन आई.आई.एन.आर.जी. नामकोम, रांची को सौंपा गया है, परंतु अभी यह कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्ण रुप से कार्यरत नहीं हो पाया है, जिसके कारण निकटवर्ती जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्र, सिमडेगा के वैज्ञानिकों के द्वारा खूंटी जिला में चयनित ARYA युवकों/युवतियों को एक दिवसीय उन्मुखीकरण (Orientation) का कार्य किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की सघन जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराकर अनियमितता प्रकट होने पर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं है।

खाद्य सुरक्षा कानून का अनुपालन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 07/28.07.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के खाद्य गोदामों में अनाज के वितरण हेतु सहायक गोदाम प्रबंधक पदस्थापित होते हैं ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सहायक गोदाम प्रबंधकों की कमी की वजह से एक सहायक गोदाम प्रबंधक को दो-तीन गोदामों का भी प्रभार दिया गया है	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सहायक गोदाम प्रबंधकों की कमी को देखते हुए चतुर्थवर्गीय कर्मियों को भी एक से अधिक गोदामों का प्रभार दिया गया है और एक दर्जन से अधिक सहायक गोदाम प्रबंधक मुख्यालय में पदस्थापित हैं?	वर्तमान में राज्य के गोदामों में मात्र 36 सहायक गोदाम प्रबंधक पदस्थापित हैं, जिन्हें एक से अधिक गोदाम के प्रभार में रखा गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को भी गोदाम का प्रभार दिया गया है। इसके अलावे कई गोदामों में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी भी पदस्थापित हैं। पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा गोदाम का प्रभार नहीं लिये जाने की स्थिति में ही चतुर्थवर्गीय कर्मियों को निगम के जिला प्रबंधकों द्वारा कुछ जगहों के प्रभार में रखा गया है। 05 सहायक गोदाम प्रबंधक संवर्ग के पदाधिकारी जो पूर्व में जिला प्रबंधक के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें निगम मुख्यालय को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु निगम मुख्यालय में पदस्थापित किया गया एवं

		जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जिला प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में भी रखा गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए राज्य में फूड सिक्यूरिटी कानून सही तरीके से लागू कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। राज्य खाद्य निगम के गोदामों का प्रबंधन NeML के माध्यम से आउट सोर्सिंग (Out Sourcing) प्रणाली के द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है।

बी.एस.एल. के क्वार्टरों का निबंधन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 07/29.07.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा हजारों की संख्या में क्वार्टर लीज में दिया गया है, साथ ही बना बनाया दुकान और भूखण्ड (प्लॉट) भी लीज में दिये गये हैं?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दुकान और भूखण्ड (प्लॉट) का निबंधन भी हो रहा है तथा जरुरत पड़ने पर लोग इसको बैंक में बंधक रख ऋण ले रहे हैं और बिक्री भी कर पा रहे हैं परंतु जो क्वार्टर लीज में दिये गये हैं उसका निबंधन नहीं हो रहा है एवं न ही जरुरत पड़ने पर इनका बिक्री एवं बंधक ही संभव है?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजस्व वृद्धि हेतु उक्त क्वाटरों के निबंधन किये जाने का निर्देश जारी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में सभी पहलूओं का अध्ययन कर यथाशीघ्र विधिवत कार्रवाई की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्य

तारांकित प्रश्न संख्या - 04 / 25.07.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1	क्या यह बात सही है कि विभिन्न विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों के अनुसार विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण, उपस्थिति, प्रमाण पत्र, अवकाश, इत्यादि का कार्य त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपा गया है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभिन्न विभागों द्वारा सरकार के उक्त नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता और वित्तीय अनियमितता है?	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नियमानुसार कार्य सुनिश्चित करने हेतु कठोर कदम उठाने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बोकारो हवाई अड्डे का विस्तार

तारांकित प्रश्न संख्या - 01 / 25.07.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो में सेल (बोकारो स्टील) का अपना हवाई अड्डा है, जिसके हवाई पट्टी की लम्बाई कम होने के कारण केवल छोटे और चार्टर विमान अथवा हेलीकॉप्टर यहां से लैंडिंग तथा टेक-ऑफ कर पाते हैं?	स्वीकारात्मक।

2.	क्या यह बात सही है कि उक्त हवाई अड्डे में बड़े हवाई जहाज जैसे बोईंग, एयरबस, एटीआर आदि व्यवसायिक हवाई जहाजों का संचालन नहीं हो सकता है, जिसके चलते कोयलांचल के इस औद्योगिक और खान बहुल क्षेत्र बोकारो, धनबाद, गिरिडीह समेत संथाल को हवाई सुविधा हेतु रांची के बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा पर निर्भर होना पड़ता है?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेल बोकारो के इस हवाई अड्डे को भारत सरकार से सहयोग और सेल प्रबंधन से बातकर विस्तारित करवाकर यहां से बड़े और व्यवसायिक प्लेनों का अवागमन शुरू करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार की योजना है कि बोकारो हवाई पट्टी पर जेट ईंजनयुक्त विमानों के अवतरण एवं संचालन की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में बोकारो हवाई पट्टी के भूमि के अतिरिक्त इसके विस्तारीकरण/परिवर्धिकरण हेतु भौगोलिक अवस्था के परिवर्तन एवं विकास के संबंध में एक विस्तृत Feasibility Report की मांग उपायुक्त, बोकारो से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही विधान सभा को इससे अवगत कराया जाएगा।

महिलाओं के लिए टॉयलेट

तारांकित प्रश्न संख्या - 04/27.07.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि शहरों, महत्वपूर्ण स्थानों तथा प्रमुख हाट-बाजारों में सामुदायिक शौचालय बनाने की केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना है?	स्वीकारात्मक। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) क्षेत्र का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र का नगर विकास विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका की कंडिका-5.8 में प्रावधान है।

2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिलों के प्रमुख स्थानों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट और यूरिनल की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?	ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर पेयजल विभाग द्वारा सामुदायिक शौचालय (महिला एवं पुरुष) के लिए अब तक 370 अदद् बनाई गई है। इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 52 अदद् निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक सहभागिता से यह रु. 2 (दो) लाख की लागत से ग्रामीण स्थल पर हो सकता है। 10ः सामुदायिक सहभागिता करना है तथा रखरखाव समुदाय/PRI/VWSC द्वारा ही किया जाना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक जिलों के प्रमुख स्थानों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट/ यूरिनल बनवाने की स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार द्वारा जिले के प्रमुख स्थानों पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए टॉयलेट एवं स्नानागार, जलापूर्ति सहित बनवाने की स्थायी व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश प्रासंगिक पत्र सं.-253/P.Sec. दिनांक 19.07.2016 के द्वारा दी गयी है तथा 30 दिनों के अंदर एक्शन प्लान तैयार कर DWSC की बैठक में अनुमोदित कर क्रियान्वयन हेतु निदेश है। उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

मोबाईल कोर्ट की स्थापना

तारांकित प्रश्न संख्या - 01/29.07.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय और अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय स्थापित है, जहां दीवानी और आपराधिक मुकदमों का निपटारा होता है?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। सभी जिला मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय स्थापित है, जबकि अनुमंडलों में केवल घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम), राजमहल (साहेबगंज) तथा बेरमो (तेनुघाट, बोकारो) में ही अनुमंडलीय न्यायालय स्थापित है।

2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत स्तरों पर अब तक ग्राम न्यायालयों की स्थापना नहीं हो सकी है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य में 06 (छः) ग्राम न्यायालयों मधुपुर (देवघर), मांडर (रांची), बुण्डु (रांची), बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), जरमुण्डी (दुमका) एवं झुमरी तिलैया (कोडरमा) का गठन विधि विभागीय अधिसूचना सं0-1361/जे0 दिनांक 04.05.2012 द्वारा किया जा चुका है। जिसमें से केवल झुमरी तिलैया (कोडरमा) ग्राम न्यायालय कार्यरत् है। शेष ग्राम न्यायालयों के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों में न्यायपालिका का छोटे मुकदमों के निपटान हेतु मोबाईल कोर्ट की व्यवस्था नहीं है?	स्वीकारात्मक। किसी जिले में लोक अदालत का आयोजन होने पर झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के द्वारा मोबाईल लोक अदालत के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार न्यायहित में ग्रामीण इलाकों हेतु मोबाईल कोर्ट की स्थापना कर इस मोबाईल कोर्ट में सभी आवश्यक संसाधनों (आईटी बेस्ड) से युक्त एक न्यायाधीश की पदस्थापना कर ग्रामीण इलाकों में न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जहां तक मोबाईल कोर्ट की स्थापना का प्रश्न है, वर्तमान में यह अवधारणा प्रचलन में नहीं है। सुलहनीय आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य आपराधिक मामलों का विचारण नियमित अदालत में ही किया जाना संभव है, जिसमें विविध विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद ही निर्णय दिया जाता है।

गैर सरकारी संकल्प

विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक

गैर सरकारी संकल्प संख्या 19 : 29.07.2016

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि - ''वह बोकारो स्टील प्लांट, सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल. आदि द्वारा विस्थापितों की अधिग्रहित भूमि के एवज में उन्हें जो पुनर्वास के नाम पर भूमि मिली है, उसके प्रमाण में मात्र एक पर्चा दे दिया गया है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये इस पर्चे के जरिये जरूरत पड़ने पर इलाज एवं व्यवसाय हेतु न जमीन को बैंक में बंधक रख ऋण ले सकते हैं और न ही बेच सकते हैं। बिक्री एवं निबंधन न होने से सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है। अतः सरकार उक्त विस्थापितों को उनके जमीन का मालिकाना हक दिलवाये।''

श्री सरयू राय (मंत्री) : वस्तुस्थिति यह है कि विस्थापितों की अधिग्रहित भूमि के एवज में जो उन्हें पुनर्वास के नाम पर भूमि दी जाती है, वह अहस्तांतरणीय होता है। उक्त भूमि के खरीद-बिक्री के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के भूमिहीन होने की संभावना होती है, ऐसी परिस्थिति में विस्थापित परिवार का भूमिहीन होना पुनर्वास नीति के अनुरूप नहीं होगा। अतः ऐसी व्यवस्था की गई है। .....अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लिखित उत्तर दिया है और उत्तर स्वतः स्पष्ट है जो विस्थापित हुये हैं और विस्थापन के एवज में पुनर्वास के रूप में उनको जमीन मिली है। उससे माना जाता है कि फिर वह भूमिहीन नहीं हो इसलिए अहस्तांतरणीय माना जाता है। उसको बेच नहीं सकते है। तो इसी कारण से उनको अधिकार नहीं है कि बेच सके गिरवी रख सके। यही अभी वर्तमान स्थिति है।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, अभी धन्यवाद देता हूँ मैं राज्य सरकार को जिसने अभी सी.एन.टी. में संशोधन की बात की है। वह इसीलिए की महोदय आदिवासियों को उसको हक मिले। जब आदिवासी बन्धु वो बैंक में ऋण नहीं ले पा रहे थे, वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, ईलाज नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए सरकार ने वह प्रस्ताव लाया संशोधन की बात कही है। दस डिसमिल जमीन दी गई है विस्थापितों को अब पाँच हजार से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी भी बी.सी.सी.एल. प्रबंधन ने नहीं दिया। कई ऐसी समस्या है तो उनको सिर्फ दस डिसमिल जमीन मिली। अब वो दस डिसमिल जमीन अगर वो मॉरगेज रखने के अधिकारी होंगे, अगर उसको बेचने के अधिकारी होंगे, उसका मालिकाना हक उनको मिल जायेगा तो निश्चित रूप से हजारों नहीं लाखों परिवारों का भला होगा, राज्य भर के लाखों परिवारों का भला होगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसके म्यूटेशन हो जाय। मैं

चाहता हूँ उनका कम से कम म्यूटेशन हो उनको वह अधिकार मिले, हमको लगे कि एक पर्चा मिल गया उसको, राजस्व की भी प्राप्ति होगी उससे राज्य सरकार को। कम से कम म्यूटेशन हो जाय, राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिरंची जी आप अपना प्रस्ताव वापस लें। ताकि हमलोग आगे बढ़े।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, अगर संतुष्ट हो जायेंगे तो वापस ले लेंगे।

श्री सरयू राय (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पुनर्वास के बारे में जो पहले की सरकारे हैं, उनकी जो नीति रही है, उनका उल्लेख इसमें किया गया है, उनकी भावना रही है कि हम एक छोटी जमीन टुकड़ा इनको दे रहे हैं पुनर्वासित होने के लिए तो फिर से भूमिहीन नहीं हो जायें, इसलिए केवल पर्चा देकर उनका मोटेशन या उनके बेचने का अधिकार नहीं दिया। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस सरकार को विरासत में मिली है। उसमें से एक ये भी समस्या है और अच्छा है कि आज इस सदन में इसपर विचार हो रहा है और ये जो अभिस्ताव है, ये ध्यानाकर्षण की तरह हो गया। तो ध्यानाकर्षण की तरह से सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। प्रोपर्टी ये माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी की है, राज्य सरकार का इसके बारे में जो विचार अभी सदन में आया है।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद महोदय, मैं अपना अभिस्ताव वापस लेता हूँ।

कृत कार्रवाई

उक्त गैर सरकारी संकल्प के आलोक में झारखण्ड सरकार की कैबिनेट ने 16.11.2016 को विस्थापित परिवारों को प्राप्त पुर्नवासित भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सूचना

निगम चुनाव मामले में सूचना

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, जो रांची मेयर चुनाव में, मेयर के चुनाव में कैश फोर वोट में, सुबोधकान्त सहाय, उनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कार्रवाई नहीं किया, उनके भाई सुनील सहाय के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। जे.एम.एम. की विधायिका जेल में रही राज्य सभा में पैसे लेने के आरोप में, कोई कार्रवाई नहीं किया जे.एम.एम. ने। अध्यक्ष महोदय, ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। महोदय, इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। महोदय, लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस और जे.एम.एम. करती रही है सदन के अन्दर और सदन के बाहर।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण से आग्रह है कि आपलोग कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जायें। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर चले जायें।

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, इनको राज्य की चिन्ता नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी चाहते हैं। इनको न देश की चिन्ता है, न राज्य की चिन्ता है। नरसिंहा राव जी के समय से, ये याद करें इतिहास अपना।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, एस.सी./एस.टी. के बारे में अध्यक्ष महोदय, ये एस.टी./एस.सी. थाना की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह का विषय आया होगा तो सरकार इसमें संज्ञान में ले करके कार्रवाई करेगी। जहाँ तक एफ.आई.आर. की बात है, इन्होंने जो सनहा दर्ज किया है, उसको सरकार संज्ञान में ले ली है। संज्ञान में लेने के बाद फिर आगे हमलोग जाँच करने के बाद, फिर जो होगा एफ0आई0आर0 करना होगा, तो एफ0आई0आर0 करेंगे। जो जाँच में आयेगा, जाँच रिपोर्ट के अनुसार उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे। .....

श्री बिरंची नारायण : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश करिये, हमलोग इसको सार्वजनिक करेंगे। सार्वजनिक करते हैं, हमारे पास भी ऑडियो क्लिप है कि कैसे कांग्रेस की विधायिका उग्रवादियों से बात कर रही है।

(25.07.2016)

डोभा मृतक बच्चों को मुआवजा

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डोभा की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, महोदय वो बड़ा ही संवेदनशील विषय है। .....महोदय, कई बच्चे काल कलवित हो गये। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री

जी से कि इस पर कुछ मुआवजा घोषित करें, जिससे सबका भला होगा, जो डोभा में जिन बच्चों की मौत हो रही है, महोदय।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिरंची जी अभी डोभा से संबंधित विषय उठा रहे थे, निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीर है और खास करके अपने मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी इसके लिए काफी मर्माहत हैं कि डोभा निर्माण में कुछ बच्चों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जा रही है। कल ही चर्चा हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि डोभा निर्माण में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनको 50-50 हजार रूपया माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से दिया जायेगा। इसके अलावे सरकार के तरफ से एक निर्देश भी सारे जिला के उपायुक्तों को, सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देश देने का भी सरकार काम किया है कि इस तरह का विषय जहाँ-जहाँ पर आ रहा है, सारे लोगों को अपनी तरफ से सरकार के तरफ से कुछ गाईड लाईन दिया गया है कि वहाँ पर सावधानी बरतें जिससे कि बच्चों का जो डोभा से मृत्यु हो रही है, खास करके हम माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह को जो भी विषय आ रही है इसमें सारे लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, जन-प्रतिनिधि हैं, हमलोग जितने भी विधायक हैं एवं माननीय सांसद महोदय से भी, सारे लोगों से आग्रह है कि बच्चों को हम सावधान करें कि जहाँ पर डोभा निर्माण हुआ है, वहाँ पर न जायें, डोभा के पास न जाये जिससे कि जो घटनायें घटती है, वह न घटे और इसमें सरकार काफी संवेदनशील है। सरकार के द्वारा इसमें यह भी तय किया गया है पहले जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उसको 50-50 हजार रूपया दिया जायेगा।

(27.07.2016)

सी.एन.टी. पर चर्चा

श्री हेमन्त सोरेन (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन नहीं चलने देने का जिम्मेवार सत्ता पक्ष है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आप कृपया अपने सीट पर बैठ जाईये।

श्री बिरंची नारायण : महोदय, सिर्फ सी.एन.टी. के विषय पर चर्चा कराना चाहिए। सी.एन.टी. के विषय पर हाउस को क्यों बंधक बना के रखा है। .....अध्यक्ष महोदय, स्टीफन दा का तीन प्लॉट है, उसमें उनका फोटो भी है। ..... महोदय, बाबूलाल मराण्डी जी का भी नाम है।

(29.07.2016)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण जी कुछ बोलना चाहते हैं तो दो मिनट में अपनी बात को रखिये।

श्री बिरंची नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जी.एस.टी. के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है कि - **सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माँ फलेषु कदाचन् !** महोदय, जी.एस.टी. अगर आ जायेगा तो जो भी शंकाएं प्रतिपक्ष के द्वारा उठायी जा रही है, सारी शंकाएं निर्मूल हो जायेंगी, हमारा ऐसा मानना है। आज का दिन सचमुच बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल नहीं सकते। काँग्रेस के मित्र कहते हैं कि इसका ऑरिजीन यू.पी.ए. है। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सरयू राय जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा, उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, तो विजय केलकर समिति का गठन करके इसका ऑरिजीन करने का सोचा था। महोदय, आज इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो सच्चाई है कि राष्ट्रहित के मुद्‌दों पर चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या प्रतिपक्ष के लोग हों, हमलोग मिलकर निर्णय करते हैं। मैं काँग्रेस के मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं आदरणीय जे.वी.एम. के श्री प्रदीप यादव जी को, जिन्होंने अपनी बातों को रखते हुए जी.एस.टी. का समर्थन किया है। आज हम सबको मिलकर देश के लिए सोचना है, आम जनता के लिए सोचना है। आज यह बिल हमारा, यह बिल आपका, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमलोग सब मिलकर जी.एस.टी. को पास करें। यह सबसे बड़ी बात इस देश के हित में होगी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री आलमगीर आलम जी ने भी यह कहा कि ये जो बिल है जिस समय काँग्रेस ला रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी या एन.डी.ए. के लोगों ने विरोध किया था। महोदय, वह बिल का विरोध नहीं था। विरोध अगर था तो उस बिल में जो त्रुटियाँ थी, उसका विरोध था। उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्रियों की समितियों के अध्यक्ष श्री सुशील मोदी जी थे, वे तो भारतीय जनता पार्टी के थे। जब विरोध हुआ तो उस बिल के अंदर त्रुटियों का विरोध हुआ और विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र ने विरोध किया, केरल ने विरोध किया, आंध्रप्रदेश ने विरोध किया, जम्मू-कश्मीर ने विरोध किया, उड़ीसा ने विरोध किया। इस प्रकार कई प्रदेशों ने विरोध किया। महोदय, इसलिए क्या यह सच नहीं है कि आज जो कर प्रणाली है, वह इस प्रकार से है कि टेरिरिज्म टाइप का शब्द प्रयोग करें तो कहीं से अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज घबराहट है। आज मैं माननीय श्री रघुवर दास जी

के सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने झारखण्ड राज्य में कृषि बाजार समिति के टैक्स को समाप्त किया, तो एक प्रकार से वह भयादोहन समाप्त हो गया। वह एक उदाहरण है। यह माननीय श्री रघुवर दास जी सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार है और अगर इस सरकार को हम मजबूती प्रदान करें तो निश्चित रूप से इस राज्य का भला होगा। हमने आंकड़ा देखा अखबार में, पिछले दिनों खबरें आयी कि 12 प्रतिशत विकास ग्रोथ पार कर गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महोदय, मैं सदन के तमाम सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि इस जी0एस0टी0 के समर्थन में अपने आपको समर्पित करें ताकि हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को विशेष रूप से से बधायी देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद **!**

शीतकालीन–सत्र 2016

17.11.2016 - 25.11.2016

अल्पसूचित प्रश्न

विस्थापन आयोग का गठन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या -12 दिनांक 18.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट, एचईसी, बीसीसीएल, सीसीएल, बोकारो थर्मल, प्लांट, टाटा स्टील, चांडिल डैम तेनुघाट डैम, मैथन डैम, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, स्वर्णरेखा परियोजना इत्यादि इकाईयों और परियोजनाओं के कारण झारखण्ड के लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कई जगह तो गाँव के गाँव ही उजड़ गए हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की पुनर्वास नीति 2013 के तहत कंपनी के मुनाफे का एक फीसदी लाभ भू-मालिक को आजीवन मिलता रहेगा तथा विस्थापितों को यदि उद्योग क्षेत्र में मकान है, तो बदले में संबंधित शहरी क्षेत्र में मकान, नौकरी और 30 वर्ष तक प्रति एकड़ एक हजार रूपये भी मिलेंगे, परन्तु राज्य भर के विस्थापित उक्त सुविधा से पूर्णतः लाभान्वित नहीं है,	दिनांक 01.01.2014 से पूरे भारत वर्ष में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू की गई हैं भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की वैसी कार्यवाही जिसमें कोई एवार्ड नहीं किया गया है, अथवा अधिकांश रैयतों को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में नये अधिनियम के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का लाभ देय होगा।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों के समस्याओं के सम्यक निदान हेतु राज्य सरकार विस्थापन आयोग बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि अर्जन, प्रतिकार, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा कराने के प्रयोजन के लिए नये भू-अर्जन अधिनियम की धारा-51 में ''भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार'' की स्थापना करने हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित नियमावली के नियम-35 में प्राधिकार की स्थापना होने तक उच्च न्यायालय की सहमति से जिला न्यायाधीशों के न्यायालय को प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः राज्य सरकार द्वारा विस्थापन आयोग बनाना प्रस्तावित नहीं है।

बार एसोसिएशन में आधारभूत सुविधा

अल्पसूचित प्रश्न संख्या -11 दिनांक 18.11.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत राज्यभर के बार एसोसिएशनों में अधिवक्ताओं को भलीभांति बैठकर कार्य हेतु पर्याप्त भवन और आधारभूत संरचनाएं नहीं है, जहाँ कुछ भवन बने है, वे भी उन बार एसोसिएशनों के निजी प्रयास अथवा सांसद, विधायक विकास कोष की राशि से बनवाये गये हैं;	यह भवन निर्माण विभाग से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के अतिरिक्त विधि विभाग द्वारा अधिवक्ताओं को किसी भी तरह की कल्याणकारी सुविधा जैसे बीमा, पेंशन, प्रोत्साहन, मुआवजा, ट्रेनिंग इत्यादि नहीं प्रदान की जा रही है।	अधिवक्ताओं के कल्याणकारी सुविधा हेतु सरकार द्वारा एक विधेयक यथा - ''झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012'' गठित है, जिसके तहत् विहित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभिन्न बार एसोसिएशनों के अंतर्गत पर्याप्त भवन और आधारभूत संरचनाएँ की व्यवस्था सहित अधिवक्ताओं को विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका -2 में उत्तर से वस्तु स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

भूमिहीन आदिवासियों के नियोजन हेतु प्रमाण पत्र

अल्पसूचित प्रश्न संख्या -35 दिनांक 21.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1.93 लाख आदिवासी परिवारों के पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों की आजीविका मजदूरी पर निर्भर है;	अंशतः स्वीकारात्मक। भूमिहीन परिवारों का आँकड़ा विभाग में उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त भूमिहीन आदिवासियों के पास भूमि न होने के कारण खतियान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका नियोजन हेतु स्थानीय प्रमाण-पत्र और अन्य प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान, संकल्प संख्या - 3198, दिनांक 18.04.2016 के अनुसार छः विभिन्न शर्त्तों के आधार पर निर्धारित की जाती है। विनिश्चित शर्त्तों में से किसी एक शर्त्त को पूरा करने वाला भारतीय नागरिक झारखण्ड के स्थानीय निवासी माने गये हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे भूमिहीन आदिवासियों के कल्याणार्थ खतियान के अभाव में नियोजन हेतु प्रमाण-पत्र बनने में सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में प्रश्न की कंडिका - 3 का कोई औचित्य नहीं है।

जनप्रतिनिधियों के पत्र पर कार्रवाई

अल्पसूचित प्रश्न संख्या -29 दिनांक 21.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि All India Service Conduct Rule के आलोक में पदाधिकारियों को किसी जन प्रतिनिधि तथा नागरिक के पत्र अथवा ज्ञापन का समुचित उत्तर देना अनिवार्य है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। The All India Service (Conduct) Rule, 1968 के अंतर्गत Miscellaneous Executive Instruction भारत सरकार द्वारा निर्गत है, जिसमें माननीय सांसद/विधायक के साथ पत्र व्यवहार आदि के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरती जा रही है;	माननीय सांसद/विधान सभा सदस्य एवं अन्य सदृश महानुभावों तथा जनप्रतिनिधियों के स्तर से प्राप्त पत्रों के त्वरित निष्पादन आदि के संबंध में झारखण्ड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के पत्रांक - 1058 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त सर्विस रूल के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

बोकारो जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज

अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 06 दिनांक 25.11.2016

क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 16 इंजीनियरिंग कॉलेज और 29 पॉलिटेकनिक है अर्थात करीब 20 लाख की आबादी पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और करीब 10 लाख की आबादी पर एक पॉलिटेकनिक है;	अंशतः स्वीकारात्मक राज्य में कुल इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 15 एवं पॉलिटेकनिक कॉलेज की संख्या 31 है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में इंजीनियरिंग और पॉलिटेकनिक कॉलेज की कमी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा है, वहीं जो कॉलेज है, वहाँ भी पठन-पाठन की बेहतर स्थिति नहीं है,	अंशतः स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो सहित राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हुए समस्त पुराने इंजीनियरिंग और पॉलिटेकनिक कॉलेजों में पठन-पाठन की बुनियादी सुविधाएं यथा टीचर, क्लास रूम, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम, इत्यादि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही ंतो क्यों ?	बोकारो जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय के स्थापना एवं निर्माण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस संबंध में भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत् स्थापित 01 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 10 वैसे राजकीय पॉलिटेकनिक जिसका भवन पुराना हो गया है सम्पूर्ण भवन के जीर्णोद्धार की योजना स्वीकृत की गई है जिसमें चार में कार्य प्रारंभ है। शिक्षक की नियुक्ति हेतु अधियाचना JPSC को भेज दी गई है।

तारांकित प्रश्न

पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का मेंटेनेंस

तारांकित प्रश्न संख्या -14 दिनांक 23.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यभर में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत बन रहे पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के एकरारनामा के साथ संवेदक से उस सड़क के 5 वर्षों तक समस्त मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य का भी एकरारनामा सम्पादित किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी विभाग में वैसी कंपनियों पर कार्रवाई प्रारंभ की है, जो एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लघंन कर राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाले सड़कों की मरम्मत नहीं कर रही है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यभर के ऐसे तमाम सड़कों को चिन्हित करवाते हुये उनके मेंटेनेंस कार्य एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पी.एम.जी.एस.वाई. का सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। जिन पूर्ण पथों में Routine maintenance नहीं किया जा रहा है, इसे चिन्हित किया गया है एवं संबंधी क्रियान्वयन एजेंसी को एकरारनामा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन

तारांकित प्रश्न संख्या - 22 दिनांक 23.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु जारी 328 योजनाओं के Convergence का निर्देश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित गाँवों में उक्त 328 योजनाओं के आलोक में पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं, जिनके कारण योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। समन्वय दस्तावेज में निहित अभिसरण सिद्धांतों के अनुरूप सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रथम चरण के तहत चयनित 20 ग्राम पंचायतों के Village Development Plan (VDP) के आधार पर विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में चयनित 20 ग्रामों के लिए तैयार VDP में कुल 2096 योजनाएँ ली गयी हैं, जिसमें से 1024 योजनाएँ पूर्ण/प्रगतिशील हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इन 328 योजनाओं के समन्वय दस्तावेज के आलोक में समुचित कदम उठाना चाहती है? यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

आंगनबाड़ी में पोषाहार

तारांकित प्रश्न संख्या - 05 दिनांक 24.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	क्या यह बात सही है कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम योजना के तहत् सरकार बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती व धात्री महिलाओं को राज्यभर के 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिये पोषाहार उपलब्ध कराती है;	स्वीकारात्मक है।

2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित उक्त योजना पर राज्य गठन के बाद से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 3442 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं, साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी पर हर साल 1.10 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं, परन्तु कैलोरी व प्रोटीन पर हुए इस खर्च के बावजूद ग्रासरूट पर कुपोषण बरकरार है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 595.69 करोड़, वर्ष 2014-15 में 428.59 करोड़, वर्ष 2013-14 में 389.46 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 में 351.84 करोड़ रूपया व्यय किया गया है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम का निरीक्षण एवं अनुश्रवण विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जिससे पूरक पोषाहार के प्रति लोगों को जागरूक कर झारखण्ड को पूर्ण कुपोषण मुक्त किया जा सके।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त योजना में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर कर झारखण्ड को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों;	सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है इसके लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :- झारखण्ड पोषण मिशन का गठन :- इसके अंतर्गत पूरे राज्य के कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना तथा कुपोषण के विभिन्न कारणों में हस्तक्षेप के लिए कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। कुपोषण चक्र को समाप्त करने के लिए गर्भवती महिला को पूरक पोषण सामग्री (RTE), रोग प्रतिरक्षण टीका एवं संस्थागत प्रसव के अतिरिक्त प्रसव उपरांत स्तनपान, धात्री माता को पूरक पोषाहार एवं नवजात शिशु रोग प्रतिरक्षण टीका कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलाये जा रहे है। RTE एवं गर्म ताजा पका भोजन का वितरणः- राज्य सरकार के द्वारा 6 माह से 3 वर्ष एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को RTE एवं गर्म ताजा पका भोजन का आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

		अति कुपोषित बच्चों का MUAC Tape से बाँह माप किया जाता है एवं तदनुसार अतिकुपोषित अस्पतालों में अवस्थित 86 कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) में उपचार हेतु भेजा जाता है एवं कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भोजन सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। सबला योजनान्तर्गत हजारीबाग, रांची, गुमला, गिरिडीह, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम एवं साहेबगंज में 11-14 वर्ष आयु वर्ग की गैर-विद्यालय किशोरियों एवं 14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियों को माह में 25 दिनों के लिए पूरक पोषाहार के रूप में भोजन सामग्री दी जा रही है। संबंधित योजनाओं का लाभ लक्षित लाभुक जन को प्राप्त हो इसके लिए सभी लाभुकों का आधार पंजीकरण किया जा रहा है। जिससे इस योजना में उत्पन्न होने वाले कमियों को समाप्त किया जा सकेगा।

लंबित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना

तारांकित प्रश्न संख्या - 09 दिनांक 24.11.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में खेतों तक पानी पहुँचाने हेतु अब तक करीब 6302 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किये जा चुके है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

2.	क्या यह बात सही है कि 40 वर्ष पहले शुरू की गयी सिंचाई योजनाएँ अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वैसे वृहत और माध्यम सिंचाई योजनाओं के समय पर पूरा न होने से अब लागत 50 गुणा अधिक बढ़ गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराते हुए दोषियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अधिकांश वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएँ 1970-80 के दशक में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा भू-अर्जन, वन-भूमि अपयोजन, पुनर्वास संबंधी कार्यों को पूरा किये बिना प्रारंभ की गयी थी। योजना प्रारंभ किये जाने के कुछ समय के पश्चात् सभी योजनाएँ निधि के अभाव में लम्बे अरसे तक बंद पड़ी रही। झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् इन योजनाओं के कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, किन्तु भू-अर्जन, वन-भूमि अपयोजन, पुनर्वास, स्थानीय विरोध पूर्व से संवेदकों के लम्बित वाद आदि कारणों से कुछ योजनायें अधूरी है। इन योजनाएँ के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का सघन रूप से प्रबोधन कर उनका निराकरण कराया जा रहा है तथा योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम

तारांकित प्रश्न संख्या - 07/25.11.2016		
क्र.सं.	**श्री बिरंची नारायण का प्रश्न**	**सरकार का जवाब**
1.	क्या यह बात सही है कि राँची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर इत्यादि में पेड़ों की कटाई, औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों, भवनों के निर्माण तथा वाहन की बढ़ती संख्या इत्यादि के कारण पर्यावरण में तेजी से प्रदूषण हो रहा है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि दिल्ली तथा देश के अन्य कई शहरों में प्रदूषण की समस्या के आलोक में झारखण्ड के शहरों में भी गंभीर प्रयास तत्काल करना आवश्यक है?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दिशा में कौन से कदम उठाना चाहेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. प्रदूषण के रोकथाम हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद गठित है। पर्षद द्वारा CTO/ CTE निर्गत करने के क्रम में निम्नलिखित शर्त्त लगायी जाती है :– जल प्रदूषण – (1) सभी बड़ी इकाइयों में बहिःस्राव उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant) की स्थापना। (2) शून्य बहिःस्राव (Zero liquid discharge) की व्यवस्था। (3) शहरी क्षेत्रों में सिवेज उपचार संयंत्र (Sewage Treatement Plant) की स्थापना।

		वायु प्रदूषण – (1) इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ESP), (2) वेट स्क्रबर की स्थापना। (3) बैग फिल्टर की स्थापना। (4) जल छिड़काव की व्यवस्था। (5) वृक्षारोपण। 2. प्रदूषण के रोकथाम को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2016 में कई पुराने नियमावली में संशोधन तथा जिन विषयों पर नियमावली पूर्व से नहीं थे, उन पर भारत सरकार द्वारा निम्न नियमावली तैयार किये गये हैं :– (1) ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, (2) 2016 जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (3) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016 (4) अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 (5) निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट नियम, 2016 (6) ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 इन नियमावलियों के अनुपालन हेतु संबंधित विभागों को प्राधिकृत करते हुए विस्तृत अधिकार एवं निर्देश दिये गये हैं। इनका अनुपालन कर प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

फार्मासिस्ट की बाध्यता का सरलीकरण

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या - 04 दिनांक 18.11.2016		
क्र.सं.	श्री बिरंची नारायण का प्रश्न	सरकार का जवाब
1.	वर्तमान में राज्यभर के रिटेल दवाई दुकानदारों को दवा बिक्री हेतु फार्मासिस्ट लाईसेंस लेना पड़ता है। उक्त नियम वर्षों पुराना है, जब भारत में बनी-बनाई दवाईयाँ नहीं मिलती थी और केमिकल्स को मिलाकर दवाई बनानी पड़ती थी। वर्तमान में सभी दवाईयाँ बनी-बनाई आती है। आज झारखण्ड में फार्मासिस्ट का घोर अभाव है। झारखण्ड में मौजूदा दवा दुकानों की तुलना में राज्य में फार्मासिस्टों की संख्या न के बराबर है, जिस कारण आज एक फार्मासिस्ट अपना सर्टिफिकेट 10-12 दवा दुकानों में लाईसेंस बनावाने हेतु देता है जिसके आड़ में स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर और रीजनल लाईसेंसिग ऑथोरिटी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतएव इस दिशा में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि उक्त प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु राज्य के सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले सभी साइंस और अंग्रेजी ग्रेजुएट्स को दवा दुकान में फार्मासिस्ट के समतुल्य लाइसेंस लेने का अधिकार दिया जाए, जिसे हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन तो होगा ही, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।	अंग्रेजी दवा दुकान में फार्मासिस्ट रखे जाने की अनिवार्यता औषधि एवं अंगराज अधिनियम 1940 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली - 1945 के नियम -65 (2) में विहित प्रावधान के तहत है। यह केन्द्रीय कानून है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली में भारत सरकार द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।

प्रतिनिधियों के काम में दिलचस्पी लें नागरिक

ऋषि कुमार पांडेय
सचिव, झारखण्ड फाउंडेशन

संसद और विधानसभा को 'लोकतंत्र का मंदिर' कहा जाता है। जनाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों को सदन में जाकर जनहित और राज्यहित के सवाल उठाने का दायित्व है। उन पर विभिन्न प्रस्तावों, विधेयकों, मांग इत्यादि पर भी चर्चा में सकारात्मक योगदान का दायित्व है। माननीय सदस्यों द्वारा अपनी क्षमता के अनुरूप ऐसे कार्य किए भी जाते हैं।

नागरिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि सदन में क्या कर रहा है। राजनीतिक दलों के प्रदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओं को भी मालूम होना चाहिए कि उनके सदस्यों का प्रदर्शन कैसा रहा। इस जानकारी का माध्यम महज जनसंचार के साधन हों, तो यह पर्याप्त नहीं। उन्हें संपूर्णता में जानकारी होनी चाहिए।

बोकारो क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य श्री बिरंची नारायण द्वारा विधानसभा में उठाये गए प्रश्नों एवं चर्चा पर केन्द्रित यह पुस्तक इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

सदन में सदस्यों के प्रदर्शन की यह पारदर्शिता के उद्देश्य से इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। झारखण्ड फाउंडेशन द्वारा भविष्य में ऐसे अन्य प्रकाशनों के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग अपेक्षित है।

आशा है, यह प्रथम प्रयास झारखण्ड में जनप्रतिनिधियों के कार्यों में नागरिकों की दिलचस्पी बढ़ाने तथा सार्थक संवाद का माध्यम बनेगा।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग करने वाले सभी महानुभवों के प्रति आभार!

बिरंची नारायण : जीवन एवं कार्य

विधानसभा क्षेत्र	:	36, बोकारो
राजनीतिक दल	:	भाजपा
निर्वाचन तिथि	:	23.12.2014
पिता का नाम	:	श्री सदानंद प्रसाद
माता का नाम	:	श्रीमती लीला देवी
पत्नी का नाम	:	श्रीमती नीना नारायण
संतान	:	पुत्री-परी नारायण, पुत्र-मोक्ष नारायण
जन्मतिथि	:	01.02.1971 (जैनामोड़, बोकारो)
विवाह तिथि	:	27 जनवरी, 1999
शिक्षा	:	स्नातक-समाजशास्त्र (प्रतिष्ठा), राँची विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर-पत्रकारिता डिप्लोमा (दिल्ली वि.वि.)
स्थायी पता	:	220 सेक्टर 1B, बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड
राँची आवास	:	एफ टाइप बंगला संख्या संख्या 131, समीप युवराज होटल, डोरण्डा, राँची-834002
संपर्क	:	9546101100
ई-मेल	:	branchi1271@gmail.com
	:	twitter@BiranchiMla
पूर्व राजनीतिक पद	:	प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजयुमो, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा
संपादन	:	अंत्योदय (प्रदेश भाजपा की मासिक पत्रिका)

समितियों संबंधी विवरण

सदस्य, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, झारखण्ड विधानसभा
सदस्य, झारखण्ड वन विकास निगम लिमिटेड
सदस्य, शासी निकाय, झारखण्ड कौशल विकास मिशन
सदस्य, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन
पूर्व सभापति, प्राक्कलन समिति, झारखण्ड विधानसभा

(डॉ. जगन्नाथ शाही की प्रेरणा से बाल्यकाल में ही संघ से जुड़ाव)